सोमवार,
९ मार्च, १९५३

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

तीसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

—:o:—

भाग १—प्रश्न और उत्तर

लोक सभा

सोमवार, ९ मार्च, १९५३

सदन की बैठक दो बजे समवेत हुई

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

कलकत्ते में रेलों का बिजली से चलाया जाना

*५९१. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) हावड़ा-बर्दवान के आसपास रेलों के बिजली से चलाये जाने के सम्बन्ध में बात-चीत की क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या रेलवे ईंधन जांच समिति ने इस मामले पर औपचारिक या अनौपचारिक रूप से विचार या चर्चा की है;

(ग) यदि की है, तो किन किन बातों पर चर्चा की गई और किसके साथ;

(घ) योजना के लिए अपेक्षित बिजली कहां से मिलेगी; तथा

(ङ) योजना पर अनुमानित लागत कितनी आयेगी ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) वर्ष १९५३-५४ में परिमाप करने का निश्चय किया गया है ।

(ख) तथा (ग) । जी हां । समिति ने दिसम्बर १९५२ में इस विषय पर पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री से अनौपचारिक रूप से बातचीत की थी ।

(घ) इस बात का निश्चय कि बिजली कहां से प्राप्त की जायेगी, परिमाप का परिणाम पता लगाने के बाद किया जायेगा और रेलवे के लिए बिजली प्राप्त करने का कोई ऐसा तरीका निकाला जायेगा जो सब से अधिक मितव्ययी तथा उपयुक्त हो ।

(ङ) लागत इस बात पर निर्भर करेगी कि किन सैक्शनों पर बिजली की रेलें चलाये जाने का निश्चय किया गया है ।

श्री एस० सी० सामन्त : इस विषय में पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री का सुझाव क्या था ?

श्री अलगेशन : इस सम्बन्ध में समिति के विचार क्या हैं यह हमें नहीं पता । हां यदि माननीय सदस्य एक अलग प्रश्न रखें तो मैं उसका उत्तर दे सकूंगा ।

श्री बी० के० दास : यह रेल कितने मील लम्बे क्षेत्र में चलाई जायगी ?

श्री अलगेशन : इसका मैं कोई निश्चित उत्तर नहीं दे सकता ।

एक एसे ही प्रश्न का उत्तर सदन में कुछ दिन पहले दिया गया था ।

डा० एम० एम० दास : क्या रेलवे प्राधिकारियों और पत्तन आयुक्तों, जिनकी साथ साथ अपनी रेलवे है, के बीच मतभेद दूर हो गया है ?

श्री अलगेशन : अभी तो काम की शुरूआत है। हम परिमाप अगले वर्ष प्रारम्भ करने वाले हैं।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या कलकत्ते के आसपास असरकारी रेलों का भी परिमाप किया जायेगा ?

श्री अलगेशन : जी नहीं।

मुख्य इंजीनियर के सभापतित्व में प्रबन्ध बोर्ड

***५९२. श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) मुख्य इंजीनियर के सभापतित्व में प्रबन्ध बोर्ड को प्रशासन सम्बन्धी किन-किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा तथा हल निकालना पड़ा;

(ख) १९५२ में बोर्ड की कितनी बार बैठकें हुईं तथा इस समय उसके कौन-कौन सदस्य हैं;

(ग) कारखानों में क्या क्या सुधार किये गये; तथा

(घ) सन् १९५२ में उत्पादन बढ़ा है या घटा है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग)। सदन पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३२]**

(घ) अधिक ज़रूरी चीज़ों का उत्पादन बढ़ गया है।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि वर्ष १९४९-५० में तीन स्थानों में उत्पादन कम होने के क्या कारण हैं ?

श्री राज बहादुर : जहां तक अलीपुर और बम्बई के कारखानों का सम्बन्ध है, मैं नहीं कह सकता कि वहां उत्पादन में कोई कमी हुई है या नहीं हां जहां तक जबलपुर के इस कारखाने का प्रश्न है उत्पादन में कमी नहीं हो रही है।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या सामान खरीदने की प्रणाली में किसी प्रकार की फ़ेर बदल की गई है ?

श्री राज बहादुर : हमने कच्चे माल के प्राप्त किये जाने की प्रणाली का नवीकरण करने की चेष्टा की है और उसके लिए तीनों कारखानों के लिए समान मान स्थापित किये हैं।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मंडलीय भंडारों (डिवीज़नल स्टोर्स) का पुनर्संगठन किया जा रहा है और उन्हें अधिक सुविधापूर्ण स्थानों में रखा जा रहा है ?

श्री राज बहादुर : मंडलीय भंडारों के बारे में मुझे ठीक ज्ञान नहीं है। मुझे इसकी जांच करनी पड़ेगी।

तम्बाकू

***५९४. श्री चरक :** (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि तम्बाकू का व्यापार बढ़ाने के लिये भारतीय केन्द्रीय तम्बाकू समिति ने क्या काम किया है ?

(ख) सन् १९४७ से भारत में तम्बाकू का कितना उत्पादन तथा उपभोग हुआ है ?

(ग) भारत में तम्बाकू का उपभोग अन्य देशों की तुलना में कितना है ?

(घ) भारत में विभाजन के पूर्व कितने तम्बाकू उद्योग थे और विभाजन के पश्चात् कितने हैं ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) (क) सदन पटल पर एक टिप्पणी रखी जाती है जिसमें तम्बाकू का व्यापार बढ़ाने के लिए भारतीय केन्द्रीय तम्बाकू समिति द्वारा की गई कार्यवाहियां बतलाई गई हैं। **[देखिए परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३३]**

(ख) वर्ष १९४७-४८ से १९५१-५२ तक भारत में तम्बाकू का उत्पादन तथा उपभोग इस प्रकार हुआ :

वर्ष	उत्पादन (दस लाख पौंड में)	उपभोग (दस लाख पौंड में)
१९४७-४८	५४२	४३७
१९४८-४९	५७१	३५९
१९४९-५०	५९१	४७२
१९५०-५१	५८९	४९१
१९५१-५२	५०४	५०८

(ग) भारत तथा अन्य महत्वपूर्ण देशों में तम्बाकू के उपभोग का संसार के सम्पूर्ण उपभोग से अनुपात इस भांति है :—

देश	सम्पूर्ण विश्व उपभोग से अनुपात	
भारत	७·०६	प्रतिशत
अमेरिका	१९·५३	,,
संयुक्त राजतंत्र	४·२५	,,
जापान	३·०१	,,
कनाडा	१·७०	,,
तुर्की	०·८६	,,
यूनान	०·८३	,,
रुडेशिया	०·२८	,,

(घ) विभाजन के पूर्व निम्न तम्बाकू उद्योग विद्यमान थे :—

(१) सुरक्षित रखने के उद्योग

(२) विभिन्न ग्रेड बनाने के उद्योग

(३) गोदामों में रखने के उद्योग

(४) फिर से सुखाने के उद्योग

(५) सिगरेट, सिगार, चिरुट, बीड़ी, खाने का तम्बाकू तथा हुलास बनाने के उद्योग।

इसके अतिरिक्त निम्न उद्योग विभाजन के बाद स्थापित हुए हैं :—

(१) बेकार तम्बाकू में से निकोटिन सल्फ़ट निकालना, और

(२) तम्बाकू के बीज का तैल निकालना।

श्री रघुरामय्या : क्या तम्बाकू का निर्यात पूर्णरूप से असरकारी व्यापारियों के हाथों में छोड़ दिया गया है या उस पर किसी प्रकार की अनुज्ञप्ति प्रणाली द्वारा या सरकार के अन्य सरकारों के साथ करार द्वारा नियन्त्रण है और क्रय तथा विक्रय सरकारी स्तर पर होता है ?

डा० पी० एस० देशमुख : इस विषय में मेरे पास विस्तृत जानकारी नहीं है।

डा० सुरेश चन्द्र : सबसे अधिक मात्रा में तम्बाकू हम किस देश को भेजते हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : मेरे पास यह जानकारी नहीं है ?

श्री बी० एस० मूर्ति : निकोटिन सल्फेट का कुल वार्षिक उत्पादन कितना है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मुझे इस प्रश्न की सूचना चाहिए।

श्री आर० के० चौधरी : क्या सरकार की नीति भारत में तम्बाकू के उत्पादन तथा उपभोग को बढ़ाने की है ?

डा० पी० एस० देशमुख : उत्पादन तो हम बढ़ाना चाहते हैं; जहां तक उपभोग का प्रश्न है, यह हमारा काम नहीं है।

डा० सुरेश चन्द्र : क्या मैं तम्बाकू विक्रय अधिकारी की केवल लन्दन में ही नियुक्ति का कारण ज्ञात कर सकता हूं।

डा० पी० एस० देशमुख : मेरे पास यहां तम्बाकू के विक्रय सम्बन्धी जानकारी मौजूद नहीं है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या यह सच है कि तम्बाकू अनुसन्धान केन्द्र जिला जलपायगुरी के एक गांव में खोला जाने वाला था, परन्तु हाल में यह विचार किया गया है कि अब वह किसी शहर में खोला जायगा और क्या मैं इसका कारण जान सकता हूं ?

डा० पी० एस० देशमुख : मुझे इस प्रश्न की सूचना चाहिए ।

श्री श्यामनन्दन सहाय : क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि क्या यह सच है कि तम्बाकू की बिक्री इस वर्ष बहुत कम हो गई है और इसके परिणामस्वरूप इसकी कीमतें भी बहुत गिर गई हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : ऐसा तो कितनी ही चीजों में हुआ है, श्रीमान् ।

श्री मात्तन : क्या कोयम्बटूर में पैदा होने वाले तम्बाकू की किस्म सुधारने का कोई प्रयत्न किया गया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : जी हां । तम्बाकू समिति का कृत्य केवल उपज बढ़ाना ही नहीं, बल्कि किस्म में सुधार करना भी है ।

हैदराबाद के मजदूर नेताओं द्वारा स्मृति-पत्र

*५९५. **श्री गिडवानी :** (क) क्या **श्रम** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने उन मांगों पर विचार किया है जो हैदराबाद के मज़दूर नेताओं ने श्रम मंत्री को—जबकि वह वहां गये थे—दिये गये एक स्मृति-पत्र में खनि-बोर्ड की नियुक्ति दुर्घटनाओं के कारण अंगहीन हुए मज़दूरों के पुनर्संस्थापन और जहां कोयला उद्योग लोकोपयोगी उपक्रम घोषित कर दिया गया है वहां मज़दूरों को मजूरी के अतिरिक्त भुगतान के सम्बन्ध में की थीं ।

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस दिशा में क्या पग उठाये हैं ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि): (क) तथा (ख)। सदन पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें उक्त स्मृति-पत्र में निर्दिष्ट बातों सम्बन्धी स्थिति बतलाई गई है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३४]**

स्वास्थ्य कार्यक्रमों सम्बन्धी राष्ट्रीय समन्वय समिति

*५९८. **श्री एस० एन० दास :** (क) क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगी कि **स्वास्थ्य** कार्यक्रमों सम्बन्धी राष्ट्रीय समन्वय समिति ने अब तक भारत सरकार को क्या क्या सुझाव दिये हैं तथा क्या क्या सिफारिशें की हैं ?

(ख) इनमें से कौन कौन सी सिफारिशें स्वीकार तथा कार्यान्वित की गई हैं ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) तथा (ख) । स्वास्थ्य कार्यक्रमों सम्बन्धी राष्ट्रीय समन्वय समिति ने अब तक केवल एक ही सिफारिश की है, अर्थात् केन्द्रीय सरकार (स्वास्थ्य मंत्रालय) को एक राष्ट्रीय मलेरिया नियन्त्रण कार्यक्रम प्रारम्भ करना चाहिए । यह सिफारिश सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई है ।

श्री एस० एन० दास : क्या विभिन्न राज्य सरकारों की राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम सम्बन्धी कार्यवाहियां इस समिति के अन्तर्गत आ जाती हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : जी नहीं । स्वास्थ्य के विषय में राज्य स्वायत्तशासी हैं । हां, हमारी एक केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् है जिसके द्वारा हम राज्यों की कार्यवाहियों का समन्वय करने का प्रयत्न करते हैं । परन्तु इस समिति का राज्य की कार्यवाहियों से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

डा० सुरेश चन्द्र : स्वास्थ्य कार्यक्रम के बाद देश के स्वास्थ्य में कहां तक सुधार हुआ है ?

राजकुमारी अमृत कौर : स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यवाहियां सभी राज्यों में बहुत बढ़ गई हैं। इस देशव्यापी मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम से भी हम अच्छे परिणामों की आशा कर रहे हैं।

डा० एम० एम० दास : क्या इस समिति ने भारत सरकार के परिवार आयोजन कार्यक्रम पर भी विचार किया है और कोई सिपारिश की है ?

राजकुमारी अमृत कौर : इस समिति ने परिवार आयोजन की किसी विशेष योजना पर विचार नहीं किया है, क्योंकि भारत सरकार पहले ही उस सम्बन्ध में कार्यवाही कर चुकी है।

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

चीनी

*६००. **श्री गिडवानी :** (क) **क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि सरकार को ये शिकायतें मिली हैं कि चीनी के व्यापारियों को कारखानों से या कारखानों के विक्रय अभिकर्त्ताओं से फैक्टरी के घटे हुए नियन्त्रित मूल्य पर चीनी नहीं मिल सक रही है ?

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी हां।

(ख) चीनी के चार कारखानों के विरुद्ध विशिष्ट शिकायतें मिली थीं। उनके उत्तर मांगे गये हैं। प्राप्त होने पर उत्तरों की जांच की जायेगी तथा उन पर उपयुक्त कार्यवाही की जायेगी।

कुछ अन्य मामलों में शिकायतें केवल साधारण प्रकार की थीं अर्थात् यह कि चीनी नियन्त्रित मूल्य पर उपलब्ध नहीं है। विशिष्ट कारखानों से चीनी की अपेक्षित मात्रा, माल की उपलब्धता के अधीन रहते हुए, सम्बन्धित पार्टियों को नियंत्रित मूल्य पर दे दी गई थी।

श्री गिडवानी : सरकार किस प्रकार की कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं कारखानों के उत्तर प्राप्त किये बिना यह नहीं बतला सकती।

चैथम में लकड़ी चीरने का सरकारी कारखाना

*६०३. **श्री एस० सी० सामन्त :** (क) **क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि चैथम अण्डमान टापू, में लकड़ी चीरने के सरकारी कारखाने में सन् १९४७ से प्रति वर्ष कितनी इमारती लकड़ी चीरी गई ?

(ख) इसमें से कितनी की खपत (१) टापू में तथा (२) भारत में हुई है तथा कितनी अन्य देशों को भेजी गई है ?

(ग) क्या कारखाने की इमारती लकड़ियों को वैज्ञानिक तथा आधुनिक ढंग से ठीक कर ने की आवश्यकताएं पूरी हो गई हैं ?

(घ) कारखाने में ऐसी सुविधाओं के अभाव में कितनी हानि होने का अनुमान है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा समय सदन पटल पर रख दी जायेगी।

नौकरी सम्बन्धी सांख्यकी

*६०४. **डा० अमीन :** (क) क्या **श्रम मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार के पास कोई ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा वह हमारे देश में नौकरी से लगे,

बेकार तथा आंशिक रूप से नौकरी व्यक्तियों की विस्तारपूर्ण सांख्यकी रख सके तथा प्रकाशित कर सके ?

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो क्या सरकार का विचार समय समय पर ऐसी सांख्यकी प्रकाशित करने का है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) कतिपय क्षेत्रों में, जैसे कारखानों, खानों आदि में नौकरी की सांख्यकी नियमित रूप से संगृहीत की जाती है तथा उपलब्ध हैं । नौकरी दिलाने वाले दफ्तर ऐसे व्यक्तियों के सम्बन्ध में जानकारी देते हैं जिन्हें नौकरी की खोज है । हां, अब तक ऐसी कोई व्यवस्था कायम नहीं की गई है जिसके द्वारा देश की अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में नौकरी से लगे हुए तथा बेकार व्यक्तियों के सम्बन्ध में विस्तारपूर्ण विवरण मिल सके ।

(ख) प्राप्य सांख्यकी समय समय पर प्रकाशित की जाती है ।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या कृषि-श्रमिकों के सम्बन्ध में भी कोई सांख्यकीय उपबन्ध हैं ?

श्री वी० वी० गिरि : जी नहीं ।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या उक्त सांख्यकी संकलित करने के लिए कोई देशवार या प्रान्तवार प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

श्री वी० वी० गिरि : जी हां । इस विषय पर नौकरी तथा बेकारी सम्बन्धी सर्वोत्तम सांख्यकी राष्ट्रीय स्तर पर तथा नियमित कालान्तरों के पश्चात् किस प्रकार संगृहीत की जा सकती है, केन्द्रीय सांख्यकीय संस्था के साथ बातचीत हो रही है ।

श्री रघुरामय्या : क्या इसके अन्तर्गत आंशिक रोजगार या आंशिक बेकारी भी सम्मिलित होगी ?

श्री वी० वी० गिरि : मैं ऐसा समझता हूं ।

डा० अमीन : क्या केन्द्र या राज्यों में सरकारी सेवाओं में लगे हुए कर्मचारियों के सम्बन्ध में कोई सांख्यकी उपलब्ध हैं ?

श्री वी० वी० गिरि : मुझे इसकी सूचना चाहिए ।

अमोनियम सल्फ़ेट (वितरण)

*६०६. **श्री एल० जे० सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने पश्चिमी बंगाल सरकार को ५०,००० टन अमोनियम सल्फेट निर्मूल्य देना स्वीकार कर लिया है जो ऐसी भूमि पर प्रयोग की जायेगी जिसमें केवल धान की खेती होती है;

(ख) क्या यह सच है कि यह अमोनियम सल्फ़ेट की रासायनिक खाद पश्चिमी बगाल के किसानों को ऋण के रूप में बांटी जायेगी, जोकि धान या चावल के रूप में वापस लौटाई जानी होगी; तथा

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) तथा (ख) के उत्तर स्वीकारात्मक हों तो क्या सरकार अन्य राज्यों में भी इसी आधार पर वित रण करने का विचार कर रही है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) भारत सरकार ने पश्चिमी बंगाल सरकार को ५०,००० टन सल्फ़ेट आफ़ एमोनिया बेचना स्वीकार कर लिया है जिसके लिए उसे एक अल्पकालीन ऋण देने का विचार है ।

(ख) जी हां । वसूली नकद या वस्तुओं के रूप में, जैसा कि किसान चाहे, की जायेगी ।

(ग) राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है ।

श्री एल० जे० सिंह : क्या माननीय मंत्री अमोनियम सल्फ़ेट की राज्यवार मांग बतलाने की कृपा करेंगे?

डा० पी० एस० देशमुख : यदि माननीय सदस्य इसी वर्ष यानी १९५३ की आवश्यकताएं जानना चाहते हैं, तो परिमाण के सम्बन्ध में अभी केन्द्रीय सरकार और राज्यों के बीच बातचीत चल रही है और अन्तिम आंकड़े अभी प्राप्त नहीं हैं ?

श्रीमती कमलेन्दुमति शाह : क्या सरकार के पास यह जानकारी है कि यह रासायनिक खाद अन्य देशों में कितने वर्षों से प्रयोग की जा रही है और उसके क्या प्रभाव रहे हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : भारत में तो हम कितने ही वर्षों से इसका प्रयोग कर रहे हैं और उसका बहुत अच्छा प्रभाव रहा है ।

श्रीमती कमलेन्दुमति शाह : कितने वर्षों से ?

डा० पी० एस० देशमुख : मेरे पास यह जानकारी नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह कहना ही पर्याप्त है कि इसका प्रयोग कितने ही वर्षों से किया जा रहा है।

श्री एल० जे० सिंह : पुनः चुकाने का आधार क्या है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मेरे ख्याल में माननीय सदस्य का अभिप्राय वही बात जानना है जो उन्होंने मूल प्रश्न में पूछी है, अर्थात् क्या हम पुनर्भुगतान नकदी में चाहते हैं या वस्तुओं के रूप में। जैसा कि मैं बतला चुका हूं, हमारा विचार है कि यह बात प्रत्येक सम्भव मामले में किसानों की इच्छा पर ही छोड़ दी जाये ।

श्री अच्युतन : क्या सरकार को यह आशा है कि वह राज्यों की सम्पूर्ण मांग पूरी कर सकेगी ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं तो ऐसा ही समझता हूं ।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या मैं ज्ञात कर सकता हूं कि मद्रास राज्य ने कितनी मांग की है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): मदरास के पास ११०,००० टन तो जमा है ।

श्री एस० वी० रामास्वामी : वितरण असरकारी अभिकरणों की मार्फ़त किया जाता है या सरकारी अभिकर्ताओं के द्वारा ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह पद्धति तो प्रत्येक राज्य में अलग-अलग है । हम अपेक्षित मात्रा राज्य को दे देते हैं । फिर राज्य उसका वितरण या तो सहकारी समितियों की मार्फ़त या कभी कभी कृषि तथा राजस्व विभागों के अधिकारियों की मार्फ़त या सार्थों के द्वारा करवाते हैं ।

डा० एम० एम० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि पश्चिमी बंगाल सरकार को इस अमोनियम सल्फ़ेट का क्या मूदेल्य ना होगा ?

डा० पी० एस० देशमुख : मुझे यह बतलाते हुए प्रसन्नता है कि शुरू में जो कीमतें निश्चित की गई थीं उनमें अब काफ़ी कमी कर दी गई है। गत वर्ष 'पूल' मूल्य ३६५ रुपये था और इस वर्ष ३३५ रुपये ; अब यह घटा कर २९० रुपये कर दिया गया है ।

डा० एम० एम० दास : वस्तुओं के रूप में सरकार कितनी कीमत वसूल करेगी ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह मोटे तौर पर करीब करीब डेढ मन धान या एक मन चावल फैलेगी ।

सेठ अचल सिंह : क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश को कितना रासायनिक खाद दिया गया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : अभी दिया नहीं गया है। उसके पास कुछ मात्रा मौजूद है। शायद इस साल वह ४० हजार टन लेगा।

श्री एस० एन० दास : क्या किसी अन्य राज्य सरकार ने भी ऋण के आधार पर इस रासायनिक खाद की मांग की है ?

डा० पी० एस० देशमुख : खाद मांगने का यह आधार नहीं होता। सम्बन्धित राज्य सरकार अपनी आवश्यकता की मात्रा मांगती है। यह प्रश्न तो बाद में उठता है कि यह ऋण नकदी में लौटाया जायेगा या वस्तुओं के रूप में। प्रत्येक राज्य को यह स्वतन्त्रता होती है कि वह ऋण नकदी में या वस्तुओं के रूप में चुकाये।

कई माननीय सदस्य उठे—

उपाध्यक्ष महोदय : हमने इस प्रश्न पर पांच छः मिनट बिता दिये हैं। अगला प्रश्न।

ग्राम कार्यकर्त्ताओं का प्रशिक्षण केन्द्र

***६०८. श्री कृष्ण चन्द्र :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सामुदायिक परियोजना कार्यक्रम के सम्बन्ध में अब तक खोले गये ग्राम कार्यकर्त्ताओं के प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या क्या है तथा वे कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) उनकी स्थापना तथा सधारण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के टैक्निकल सहयोग करार तथा फ़ोर्ड फाउन्डेशन से कितनी वित्तीय सहायता आवर्तक तथा अनावर्तक—प्राप्त हुई है; तथा

(ग) क्या इनमें से किसी केन्द्र में कोई अमेरिकी, किसी हैसियत में, कार्य कर रहे हैं तथा यदि कर रहे हैं, तो उनकी संख्या क्या है और वे कहां कार्य कर रहे हैं ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) (क) सामुदायिक योजना के सम्बन्ध में अब तक चौंतीस प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाने की मंजूरी दी गई है। सदन पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें यह बतलाया गया है कि ये केन्द्र कहां कहां स्थित हैं। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३५]**

(ख) (१) अनावर्तक :

टैक्निकल सहयोग करार में संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात किये जाने वाले सामान के रूप में १६६,००० डालर की राशि दी जाने का वायदा है।

(२) आवर्तक :

फोर्ड फ़ाउन्डेशन ने १११,५६,९६० रुपये का व्यय पूरा करना स्वीकार कर लिया था जिस में से अब तक ४२,९३,६५० रुपये प्राप्त हुए हैं।

(ग) ११ प्रशिक्षण केन्द्रों में ११ अमेरिकी विशेषज्ञ इस प्रकार लगे हुए हैं :—

मध्य प्रदेश	२
पंजाब	प्रत्येक में १
उत्तर प्रदेश	
भूपाल	
हैदराबाद	
पैप्सू	
त्रावनकोर-कोचीन	
पश्चिमी बंगाल	
बम्बई	
मैसूर	

श्री कृष्ण चन्द्र : क्या इन अमेरिकी विशषज्ञों के हाथ में किसी प्रकार का प्रशासनात्मक नियन्त्रण भी है ?

डा० पी० एस० देशमुख : जी नहीं।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : जब केन्द्रों की संख्या ३४ है तो उनके लिए अमेरिकी विशेषज्ञ ११ ही क्यों हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : बाकी के केन्द्रों की देखभाल हम खुद कर सकते हैं । कुछ भी हो, सामने बैठे माननीय सदस्य तो हमेशा से अधिक विशेषज्ञ रखने की आलोचना करते आये हैं ।

सेठ गोन्विद दास : यह ३४ केन्द्रों की संख्या जो माननीय मंत्री जी ने अभी अभी बतलाई, क्या ये केन्द्र इस वर्ष के हैं या यह संख्या और आगे बढ़ाई जाने वाली है या अभी कुछ वर्षों तक ३४ केन्द्र ही रहेंगे ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह तो और बढ़ाने की कोशिश है । अब तक इतने ही हो सके हैं, आगे और भी हो सकेंगे ।

श्री बी० के० दास : अब तक इन केन्द्रों में से कितने प्रशिक्षणार्थी आये हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : लगभग ४०० को प्रशिक्षण दिया जा चुका है और कोई ६००-७०० को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ।

श्री बी० एस० मूर्ति : माननीय मंत्री ने यह बतलाया कि ३४ में से २३ केन्द्रों का प्रबन्ध किन्हीं विदेशी विशेषज्ञों की सहायता के बिना हो रहा है । मैं पूछता हूं कि इतने विशेषज्ञ रखने की भी क्या आवश्यकता है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता कि एक विदेशी विशेषज्ञ से केवल एक ही केन्द्र तक सीमित रहने की आशा की जाती है या...

डा० पी० एस० देशमुख : सामान्यतया वे विशेष केन्द्रों से ही सम्बद्ध रहते हैं; परन्तु अन्य स्थानों में भी हमने सन्तोषजनक व्यवस्था कर दी है ।

श्री टी० एन० सिंह : क्या ये अमेरिकी जानकार किसी विशेष क्षेत्र में विशेष योग्यता रखने वाले व्यक्ति हैं या वे सामान्य योग्यता वाले व्यक्ति हैं जिन्हें कार्य के सामान्य पथ-प्रदर्शन के लिए रखा गया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : जी नहीं । उनमें से प्रत्येक के पास प्रशिक्षण सम्बन्धी कोई विशेष योग्यता है ।

श्री बी० के० दास : क्या इन प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण प्राप्त करके आने वाले सभी व्यक्तियों को सामुदायिक योजना केन्द्रों में काम से लगा दिया गया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : इस सम्बन्ध में मेरे पास कोई जानकारी तो नहीं है, परन्तु मेरा ख्याल है कि उन्हें नौकरी से लगा लिया गया है क्योंकि सामुदायिक योजना का कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है ।

श्री बी० के० दास : ठीक-ठीक कायदा क्या है—क्या पहले उन्हें भर्ती किया जाता है और फिर प्रशिक्षण दिया जाता है या पहले उन्हें योजना सम्बन्धी कार्य में लगा दिया जाता है और फिर प्रशिक्षण दिया जाता है?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : वे सब सरकारी कर्मचारी होते हैं और प्रशिक्षण के लिए आते हैं और प्रशिक्षण प्राप्त करके वापस चले जाते हैं ।

श्री केलप्पन : कुल कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिये जाने का विचार है ?

डा० पी० एस० देशमुख : जैसा कि मैं अभी बतला चुका हूं, कोई ६०० या ७०० व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ।

उपाध्यक्ष महोदय : जिनको प्रशिक्षण दिये जाने का विचार है ?

डा० पी० एस० देशमुख : प्रशिक्षण दिये जाने का विचार है ? उनकी संख्या तो मैं नहीं बतला सकता, श्रीमान् ।

श्री भगवत झा : इन केन्द्रों में जो प्रशिक्षक प्रशिक्षण दे रहे हैं, उनके स्थान में दूसरे व्यक्ति नियुक्त करने में कितना समय लग जायेगा ?

श्री किदवई : प्रशिक्षक तो स्थायी हैं । उनके स्थान में दूसरे व्यक्ति नियुक्त नहीं किये जा रहे हैं ।

श्री भगवत झा : इन अमेरिकियों के स्थान में भारतीय रखे जाने में कितना समय लग जायेगा ?

श्री किदवई : प्रशिक्षक तो केवल भारतीय ही हैं ।

जानवरों के विषैले रोगों को रोकने के टीकों के निर्माण का प्रशिक्षण

*६१०. **सरदार ए० एस० सहगल :** (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार खाद्य तथा कृषि संस्था के विस्तारित टैक्निकल सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत इज्जतनगर के एक अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केन्द्र में जानवरों के विषैले रोगों को रोकने के टीकों के निर्माण का प्रशिक्षण देने के लिए एक केन्द्र खोल रही है ?

(ख) भिन्न भिन्न राज्यों के कितने पदाधिकारी प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे ?

(ग) प्रशिक्षणार्थियों को कितने दिन प्रशिक्षण दिया जायेगा ?

(घ) क्या वहां कोई विदेशी प्रशिक्षक भी है तथा यदि हैं, तो कितने और किस देश के ?

(ङ) सरकार कौन-कौन सा व्यय सहन करेगी ?

(च) कौन कौन से रोगों पर लैक्चर दिये जायेंगे ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) प्रशिक्षण केन्द्र १६ फरवरी, १९५३ से चालू हो गया है ।

(ख) १४ ।

(ग) तीन सप्ताह ।

(घ) वहां १२ विदेशी प्रशिक्षक हैं, ९ संयुक्त राजतन्त्र के, २ आस्ट्रेलिया के और एक संयुक्त राज्य अमेरिका का ।

(ङ) सदन पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें यह बतलाया गया है कि व्यय के किन-किन मदों के लिए भारत सरकार उत्तरदायी है । [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३६]

(च) रिंडरपैस्ट (गाय बैलों का एक रोग), न्यू कैसिल रोग, फाउल-प्लेग (खाने के काम आने वाले पक्षियों का एक रोग), भेड़ों की चेचक और पक्षियों की चेचक आदि विभिन्न रोगों के लिए टीकों के उत्पादन पर लैक्चर दिये जायेंगे ।

डा० एम० एम० दास : क्या प्रशिक्षण इन विषैले रोगों के टीके बनाने के सम्बन्ध में ही दिया जाता है या जानवरों के रोगों की अन्य दवाइयां बनाने के सम्बन्ध में भी ?

डा० पी० एस० देशमुख : मेरे पास सूची तो यहां नहीं है, हां, यह एक व्यापक प्रशिक्षण होता है—उतना व्यापक जितना कि इतने समय में सम्भवतः दिया जा सकता है ।

डा० एम० एम० दास : प्रशिक्षणार्थी किन किन देशों से आयेंगे ?

डा० पी० एस० देशमुख : वे अफ़गानिस्तान, बर्मा, जापान, मलाया, पाकिस्तान तथा थाइलैण्ड और भारत के पश्चिमी बंगाल, मद्रास तथा विभिन्न अन्य राज्यों से आ भी गये हैं ।

श्री टी० एन० सिंह : इज्जतनगर तथा मुक्तेश्वर में टीके बनाने वाले केन्द्र तो पहले से ही मौजूद हैं । क्या इस नयी योजना के अन्तर्गत किन्हीं नये प्रकार के विषैले रोगों के लिए टीके बनाये जा रहे हैं और प्रशिक्षण दिया जा रहा है या पुरानी चीज़ को ही फिर से किया जा रहा है ?

डा० पी० एस० देशमुख : जी नहीं। न केवल उत्पादन के तरीके के सम्बन्ध में ही अनेक नयी बातें की जा रही हैं, बल्कि भिन्न-भिन्न जानवरों के भिन्न-भिन्न रोगों के लिए टीके तैयार किये जा रहे हैं।

डा० एम० एम० दास : क्या इस संस्था में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षणार्थियों को अपना खर्चा स्वयं करना पड़ता है या वह अन्तर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा किया जाता है ?

डा० पी० एस० देशमुख : वह उनके अपने अपने राज्य द्वारा भेजा जाता है।

दक्षिण भारत में भूमि का कृषि योग्य बनाया जाना

*६११. **श्री रामचन्द्र रेड्डी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या केन्द्रीय ट्रैक्टर संस्था द्वारा की जाने वाली कार्यवाहियों को दक्षिण भारत तक विशेष रूप से उन क्षेत्रों तक जिनके प्रस्तावित सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत आने की सम्भावना है—बढ़ाने का विचार है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : केन्द्रीय ट्रैक्टर संस्था की कार्यवाहियों को सलेम जिले के तथा मद्रास राज्य के एजेन्सी ट्रैक्टर्स के कुछ क्षेत्रों तक बढ़ाने के सुझावों पर इस समय विचार किया जा रहा है। ये क्षेत्र किसी भी सिंचाई योजना के अन्तर्गत नहीं आते।

श्री रामचन्द्र रेड्डी : इस पर कितने दिन से विचार हो रहा है ?

डा० पी० एस० देशमुख : अभी हाल से ही। इस पर कोई बहुत दिनों से विचार नहीं हो रहा है।

श्री रामचन्द्र रेड्डी : इस पर विचार कब तक समाप्त हो जायेगा ?

श्री पी० एस० देशमुख : बहुत समय नहीं लगेगा, श्रीमान्।

श्री पी० टी० चाको : क्या इन कृष्यकरण योजनाओं के फलस्वरूप दक्षिण भारत में खेती वाली भूमि गत पांच वर्षों में कुछ बढ़ी है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मुझे खेद है कि इस समय मेरे पास इसके आंकड़े मौजूद नहीं हैं।

श्री रघुरामय्या : क्या मैं यह जान सकता हूं कि कितनी भूमि को कृषियोग्य बनाने का विचार है ?

उपाध्यक्ष महोदय : दक्षिण भारत में।

डा० पी० एस० देशमुख : यह कहना तो अभी समय से बहुत पूर्व होगा। दूसरी प्रस्थापना ५०,००० एकड़ के बारे में है।

डा० राम सुभग सिंह : इस समय केन्द्रीय ट्रैक्टर संस्था की कार्यवाहियां किन-किन क्षेत्रों तक सीमित रखी गई हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : भूपाल, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में की गई हैं।

श्री बी० एस० मर्ति : किन विशेष क्षेत्रों तथा एजेन्सी ट्रैक्टरों को कृषि योग्य बनाने का विचार है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मेरे पास यह जानकारी नहीं है

डा० सुरेश चन्द्र : क्या केन्द्रीय ट्रैक्टर संस्था दक्षिण में एक पृथक् संस्था खोलना चाहती है या उसका इरादा अपनी कार्यवाहियों को ही बैरागढ़ तक बढ़ाने का है।

डा० पी० एस० देशमुख : वह एक स्वतन्त्र संस्था होगी जो केन्द्रीय ट्रैक्टर संस्था के अधीन रहेगी।

श्री बी० के० दास : तो क्या मैं यह समझूं कि दक्षिण भारत से यह मांग कभी नहीं की गई थी कि यह ट्रैक्टर संस्था वहां भी कार्य करे ? दक्षिण भारत के योजना में सम्मिलित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : बहुत से राज्य स्वयं इसका प्रबन्ध कर रहे हैं। यह ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक राज्य केन्द्रीय ट्रैक्टर संस्था से ही सहायता मांगे। स्पष्ट है कि अब तक वे इसका प्रबन्ध खुद ही करते आये हैं।

पंडित सी० एन० मालवीय : केन्द्रीय ट्रैक्टर संस्था ने अब तक कुल कितने क्षेत्र में ट्रैक्टर चलाया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : सात लाख एकड़ में।

श्री टी० एन० सिंह : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि विगत काल में कुछ राज्यों ने केन्द्रीय ट्रैक्टर संस्था द्वारा ट्रैक्टर चलाये जाने के दर के अधिक होने की कुछ शिकायतें की थीं, क्या मैं जान सकता हूं कि नये क्षेत्रों में ट्रैक्टर चलाये जाने के विषय में राज्यों की राय ले ली गई है ?

डा० पी० एस० देशमुख : उसका तो हमेशा ध्यान रखा जाता है : जहां थोड़ा बहुत मतभेद भी रहा, वहां भी राज्य सरकारों ने कोई निश्चित राशि स्वीकार करने का वायदा कर लिया था।

श्री रामचन्द्र रेड्डी : क्या मैं ज्ञात कर सकता हूं कि कितने ट्रैक्टरों से काम लिये जाने की आशा है, कितने प्राप्त हो गये हैं और कितनों के मंगाये जाने का आर्डर दिया जाने वाला है ?

डा० पी० एस० देशमुख : यदि माननीय सदस्य ये बातें मद्रास के बारे में जानना चाहते हैं, तो अभी तक उनमें से कोई भी आंकड़ा नहीं फैलाया गया है।

श्री सिंहासन सिंह : उत्तर प्रदेश में कितने ट्रैक्टर काम कर रहे हैं और उन्होंने कितनी एकड़ भूमि तोड़ी है ?

उपाध्यक्ष महोदय : उत्तर प्रदेश दक्षिण भारत नहीं है। प्रश्न का सम्बन्ध तो दक्षिण भारत से ही है।

श्री सिंहासन सिंह : ट्रैक्टर उत्तर प्रदेश भेजे गये थे। अतः मैं यह पूछ रहा हूं कि कितने ट्रैक्टर भेजे गये तथा उन्होंने कितनी जमीन तोड़ी।

डा० पी० एस० देशमुख : तीस हज़ार एकड़ तराई की भूमि को, जिसमें पहले जंगल ही जंगल थे, कृषि योग्य बनाया गया। इनके अलावा अन्य क्षेत्रों को भी कृषि योग्य बनाया गया।

श्री जी० पी० सिन्हा : क्या यह अनुमान लगाया गया है कि दक्षिण भारत के लिए कितने ट्रैक्टरों की आवश्यकता होगी ?

डा० पी० एस० देशमुख : इस समय तो केवल एक ही प्रस्थापना विचाराधीन है।

डा० सुरेश चन्द्र : यह कार्य राज्य सरकार को न सौंप कर केन्द्रीय ट्रैक्टर संस्था द्वारा क्यों किया जा रहा है ?

डा० पी० एस० देशमुख : स्पष्ट है कि राज्य सरकार ने यह इच्छा प्रकट की थी कि हम बीच में पड़ें।

डा० सुरेश चन्द्र : इस में कितना धन व्यय होगा ?

डा० पी० एस० देशमुख : हमने यह हिसाब अभी नहीं फैलाया है।

श्री जी० पी० सिन्हा : क्या भिन्न भिन्न राज्यों से यह कहा गया है कि वे अपना अपना अनुमान बतलायें कि उन्हें कितने कितने ट्रैक्टरों की आवश्यकता पड़ेगी ?

डा० पी० एस० देशमुख : जी नहीं।

श्री राघेलाल व्यास : ट्रैक्टरों द्वारा जिनकी भूमि कृषियोग्य बनाई गई उसमें से कितनी में ट्रैक्टर चलाये जाने से पहले ही खेती हो रही थी ?

डा० पी० एस० देशमुख : भूपाल के कुछ क्षेत्रों तथा मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में पहले से खेती की जा रही थी। परन्तु उनमें कांस बहुत थी, अतः वहां ट्रैक्टर चलाया जाना आवश्यक समझा गया।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य प्रश्न तो रख देते हैं, परन्तु जब उनका नाम पुकारा जाता है तो वे यहां उपस्थित नहीं रहते। वे मुझे भी सूचना दे दिया करें ताकि मुझे उनका नाम न पुकारना पड़े।

बेकी तथा भुलकाडोबा पुल

*६१८. **श्री अमजद अली** : (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि आसाम रेलवे पर बेकी तथा भुलकाडोबा पुल अब तक कितने बार टूटे हैं ?

(ख) प्रत्येक बार प्रत्येक की मरम्मत पर कितना व्यय हुआ है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) गत ४५ वर्षों में वर्तमान बेकी पुल आठवीं बार तथा वर्तमान भुलकाडोबा पुल चौथी बार बना है।

(ख) प्रत्येक पुल की प्रत्येक बार हुई मरम्मत पर आय व्यय के आंकड़े तो इस समय उपलब्ध नहीं हैं; हां, जहां तक बेकी पुल का सम्बन्ध है, सातवें पुल की मरम्मत की लागत १२,७०,००० रुपये तथा आठवें पुल की ५२,००,००० रुपये थी। भुलकाडोबा पुल के १९४२ में अस्थायी रूप में चालू किये जाने पर २,५४,००० रुपये खर्च पड़े थे और फिर १९४२-४३ में इसके अन्तिम रूप से बनाये जाने पर १२,५०,००० रुपये व्यय हुए।

श्री अमजद अली : क्या यह सच है कि बेकी पुल पहले सात बार टूट चुका है और यह आठवां मौका है ?

श्री अलगेशन : नदियों के साइज़ में परिवर्तन होने के कारण यह कई बार टूट चुका है।

श्री अमजद अली : यह कई बार नहीं सात बार टूटा है।

श्री अलगेशन : हां।

उपाध्यक्ष महोदय : कई बार या सात बार, बात एक ही है।

श्री रघुनाथ सिंह : सरकार को पुल के इस प्रकार से टूटने से अब तक कितना नुकसान हुआ है ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि समय समय पर पुल के टूटने से सरकार को कितनी हानि हुई है।

श्री अलगेशन : मैं दोनों पुलों पर हुआ व्यय बतला चुका हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि पुलों के बह जान के कारण सरकार को कितनी हानि हुई है।

श्री अलगेशन : मेरे पास यह जानकारी नहीं है, श्रीमान्।

श्री अमजद अली : पुल के इतने बार टूट जाने के मुख्य कारण क्या थे ?

श्री अलगेशन : भूटान से निकलने वाली एक नदी से दो तीन झरने निकलते हैं। बड़ी-बड़ी बाढ़ आने के कारण उनके साइज़ में फर्क आता रहता है, अतः पुल टूट जाते हैं।

श्री अमजद अली : उन पुलों के जल्दी जल्दी टूट जाने के लिए कौन कौन सी नदियां उत्तरदायी हैं ?

श्री अलगेशन : बेकी और बुलकाडोबा नदियां।

भटनी शुगर मिल्स

*६१९. **श्री सिंहासन सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) उत्तर प्रदेश के ज़िला देवरिया में भटनी शुगर मिल्स के बन्द हो जाने का कारण;

(ख) क्या सरकार उक्त कारखाने का नियन्त्रण अपने हाथ में लेने का विचार कर रही है; तथा

(ग) प्राधिकृत नियन्त्रक की नियुक्ति किन सिद्धान्तों तथा शर्तों के अनुसार की जाती है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) भटनी शुगर मिल्स के बन्द हो जाने के कारण ये हैं: मालिकों में झगड़े, वित्ताभाव तथा संयंत्र की अकुशलता।

(ख) जी नहीं।

(ग) केन्द्रीय सरकार प्राधिकृत नियन्त्रक की नियुक्ति तब करती है जब वह ऐसा करना किसी आवश्यक वस्तु के उत्पादन को कायम रखना या बढ़ाना चाहती है।

श्री रघुनाथ सिंह : इस मिल पर क्या सरकार का कुछ इनकम-टैक्स चाहिए ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री किदवई) : ज़रूर चाहिए।

श्री रघुनाथ सिंह : कितना चाहिए और क्या यह मिल इस इनकम-टैक्स के बकाया की सबब से तो नहीं बन्द हो गयी है ?

श्री किदवई : नहीं, किसी चीज़ का उन्होंने कर्ज अदा नहीं किया, इसलिए मिल बन्द हो गयी।

श्री सिंहासन सिंह : सरकार इस मिल को अपने कब्जे में लेकर क्यों नहीं चलाना चाहती ?

श्री किदवई : सरकार ऐसा नहीं कर रही है कि दूसरे की जायदाद को अपने कब्जे में कर ले।

श्री सिंहासन सिंह : क्या सरकार ने कठकुईयां और रामकोला मिल्स को अपने कब्जे में नहीं कर लिया है ?

श्री किदवई : यह बात भी ग़लत है। वह मिल चल रही थी, लेकिन यह ख्याल था कि अगर उनमें आपस में झगड़ा चले तो उन्हीं में से एक कन्ट्रोलर बना दिया जाय।

श्री सिंहासन सिंह : क्या यह मिल भी आपसी झगड़ों की वजह से बन्द नहीं हुई ?

श्री किदवई : हां, अगर चलती होती तो हम उन्हीं चलाने वालों में से एक को कन्ट्रोलर कर देते।

श्री बी० एस० मूर्ति : इस कारखाने के बन्द हो जाने से कितने मज़दूरों पर प्रभाव पड़ा है ?

श्री किदवई : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य को यह ज्ञात नहीं है कि यह कुछ वर्षों से बन्द है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न समाप्त हो गये हैं। अब मैं प्रश्न-सूची फिर से पढ़वा दूं ताकि जो सदस्य पहले अनुपस्थित थे उन्हें अवसर मिल जाये।

अगरतल्ला से कलकत्ता को यात्री यातायात

*६१३. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि पारपत्र प्रणाली के चालू होने से कलकत्ते से पाकिस्तान होकर अगरतल्ला जाने वाला यात्री यातायात बिल्कुल रुक गया है;

(ख) क्या यह सच है कि अधिकांश लोगों को कलकत्ता या आसाम तक यात्रा वायुयान द्वारा करनी पड़ती है; तथा

(ग) कलकत्ता या शिलौंग तक जाने में एक यात्री को कितना व्यय करना होता है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) इसमें तो कोई सन्देह नहीं है कि दृष्टांक तथा पारपत्र प्रणाली में अन्तर्निहित प्रतिबन्धों के कारण अगरतल्ला से पाकिस्तान होकर कलकत्ता जाने वाले यात्री यातायात में कुछ कमी हो गई है परन्तु यह कहना भी ठीक नहीं होगा कि पाकिस्तान होकर यात्री यातायात बिल्कुल ही बन्द हो गया है ।

(ख) सरकार के पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे यह प्रकट होता हो कि अधिकांश यात्री कलकत्ते से अगरतल्ला वायुयान द्वारा जा रहे हैं ।

(ग) अगरतल्ला से कलकत्ते का स्वीकृत किराया ४९ रुपये (वापसी किराया ९३ रुपये) है और अगरतल्ला से गौहाटी जो कि शिलौंग से निकटतम हवाई अड्डा है, का ३८ रुपये (वापसी ७२ रुपये) है ।

श्री बीरेन दत्त : क्या वायुयान द्वारा यात्रा करने के किराये अधिक होने के सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ?

श्री राज बहादुर : मुझे नहीं पता कि ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है । परन्तु मैं माननीय सदस्य को यह बतला दूं कि एक टेढ़े रास्ते से रेल का पहले दर्जे का किराया १०१ रुपये और दूसरे दर्जे का ५६ रुपये ८ आने है । इन दरों की तुलना में ४९ रुपये वायुयान से किराया पूर्णतः उचित है ।

श्री रघुनाथ सिंह : लास्ट ईयर हमारे यहां से कितने आदमियों ने इस रास्ते यात्रा की ?

श्री राज बहादुर : इसका सब हिसाब बतलाना सम्भव नहीं है ।

त्रिपुरा में निर्धारित वायु चर्याएं

*६१४. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या त्रिपुरा के भीतर एक हवाई अड्डे से दूसरे तक कोई निर्धारित वायु चर्या है; तथा

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार वहां निर्धारित वायु चर्या चालू करने का विचार कर रही है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी नहीं ।

(ख) इस समय तो ऐसा कोई विचार नहीं है ।

त्रिपुरा के लिये खाद्यान्न

*६१५. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि पारपत्र प्रणाली के लागू होने से त्रिपुरा में कोई एक लाख विस्थापित व्यक्ति आ गये हैं;

(ख) क्या यह सच है कि वर्ष १९५२ में त्रिपुरा की सरकार ने केन्द्र से केवल एक हज़ार टन खाद्यान्न मंगाया; तथा

(ग) क्या त्रिपुरा की सरकार चालू वर्ष में खाद्यान्न मंगाने का विचार कर रही है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) :

(क) लोग पारपत्र प्रणाली के लागू होने के ठीक पहले आये थे ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्योंकि अब भी कुछ समय बाकी है अतः मैं उन माननीय सदस्यों को एक अवसर और देता हूं जो उस समय अनुपस्थित थे जब मैं ने उनके नाम दूसरी बार पुकारे थे ।

श्री नम्बियार : तो मैं अपनी प्रश्न संख्या ५९७ रखूंगा ।

रेल कर्मचारियों की कठिनाइयां

*५९७. **श्री नम्बियार** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) दिनांक ४ अगस्त, १९५२ को मंत्री से किये गये रेल कर्मचारियों की कठिनाइयों सम्बन्धी अभ्यावेदन के सम्बन्ध में जिसमें कि २६ बातें थीं, क्या कार्यवाही की गई है; तथा

(ख) क्या उस अभ्यावेदन में निर्दिष्ट किसी बात को निपटाया गया है तथा रेल कर्मचारियों को क्या जवाब दिया गया है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : अभ्यावेदन में निर्दिष्ट मामलों पर वैसे तो सरकार पहले ही विचार कर चुकी थी, परन्तु अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उनकी फिर से जांच की गई तथा जहां कहीं भी आवश्यक समझा गया उन पर कार्यवाही भी की गई । ऐसे अभ्यावेदनों के संबंध में किसी भी कर्मचारी को कोई विशेष सूचना नहीं दी जाती ।

श्री नम्बियार : मैं यह जानना चाहता हूं कि अभ्यावेदन करने वाले व्यक्ति को उस संबंध में की गई कार्यवाही की सूचना दी जायेगी या नहीं ?

श्री अलगेशन : यदि माननीय सदस्य कार्यवाहियों की सूक्ष्मताएं ही जानना चाहते हैं तो इसके लिये उन्हें पहले हमें सूचना देनी होगी ।

श्री नम्बियार : क्या अभ्यावेदन करने वाले व्यक्ति को कार्यवाही के सम्बन्ध में उत्तर दिया जायेगा या नहीं ?

श्री अलगेशन : यदि वह एक कर्मचारी है, नहीं ।

श्री नम्बियार : यदि इस सदन का कोई सदस्य अभ्यावेदन करे, तो उसे कार्यवाही के संबंध में उत्तर दिया जायेगा या नहीं ?

श्री अलगेशन : यह बात तो अलग अलग मामले पर निर्भर होगी ।

हैदराबाद में कांग्रेस का अधिवेशन

*६०१. **श्री तुषार चटर्जी** : (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अखिल-भारतीय कांग्रेस के ५८वें अधिवेशन के सम्बन्ध में रेल विभाग द्वारा क्या विशेष प्रबन्ध किये गये थे ?

(ख) इन प्रबन्धों पर विभाग द्वारा कुल कितना व्यय किया गया था ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) बढ़े हुए यातायात की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए जो प्रबन्ध किये गये थे उनमें निम्न कार्यवाहियां शामिल थीं :—

भारत के भिन्न भिन्न भागों से हैदराबाद और काचिगूड़ा को १२ और हैदराबाद और काचिगूड़ा से भारत के भिन्न भिन्न भागों को ९ विशेष रेल गाड़ियां चलाई गईं ;

कुछ दैनिक गाड़ियों में अतिरिक्त डिब्बे लगाये गये;

दोनों तरफ़ का किराया लेकर सब दर्जों के वापसी टिकट दिये गये;

हैदराबाद (बड़ी लाइन) तथा काचिगूड़ा (छोटी लाइन) स्टेशनों पर अस्थायी अतिरिक्त सुविधाओं, जैसे मुसाफिर खाने, शौचालय, गुसलखाने, खाने की दुकानें, टिकट देने तथा सामान बुक कराने के लिये बुकिंग आफ़िस आदि, की व्यवस्था की गई; तथा

नानलनगर कांग्रेस कैम्प में एक पूछ-ताछ कार्यालय, टिकट घर तथा रिज़र्वेशन आफ़िस की व्यवस्था की गई ।

(ख) हैदराबाद तथा काचिगूड़ा स्टेशनों पर और नानलनगर कांग्रेस कैम्प में अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था करने पर लगभग ४२,००० रुपये व्यय हुए ।

श्री रघुनाथ सिंह : इस कांग्रेस की वजह से रेलवे की क्या आमदनी हुई ?

श्री अलगेशन : यह जानकारी हम इकट्ठी नहीं कर पाये हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि कोई अन्य माननीय सदस्य अपना प्रश्न प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो वह अब कर सकते हैं ।

प्रश्नों के लिखित-उत्तर

भारत तथा पाकिस्तान द्वारा निर्गमित 'ए' क्लास के दृष्टांक

*५५४. **श्री ए० सी० मुहा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) ३१ दिसम्बर, १९५२ तक भारत तथा पाकिस्तान द्वारा 'ए' क्लास के कितने कितने दृष्टांक निर्गमित किये गये;

(ख) क्या यह सच है कि पाकिस्तान भारतीय नागरिकों को 'ए' क्लास के दृष्टांक नहीं दे रहा है; तथा

(ग) क्या यह सच है कि भारतीय सीमा पर छोटे छोटे व्यापारियों तथा कृषकों को सीमा की दूसरी ओर अपनी फ़स्ल काटने तथा दैनिक कारबार करने की उचित सुविधायें नहीं दी जातीं ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) ३१ दिसम्बर, १९५२ तक भारतीय दृष्टांक निर्गमन प्राधिकारियों द्वारा श्रेणी 'ए' के २८५४ दृष्टांक निर्गमित किये गये थे । पाकिस्तान दृष्टांक निर्गमन प्राधिकारियों द्वारा निर्गमित दृष्टांकों के सम्बन्ध में भारत सरकार के पास कोई अधिकृत आंकड़े नहीं हैं, परन्तु उसका ख्याल है कि उसी अवधि में भारतीय राष्ट्रजनों को 'ए' श्रेणी के कोई १०० से कम दृष्टांक निर्गमित किय गये थे ।

(ख) तथा (ग) । भारतीय राष्ट्रजनों को 'ए' श्रेणी के पर्याप्त दृष्टांक न दिये जाने से काफ़ी कठिनाई हो गई है । परन्तु इसका कारण पाकिस्तान की किसी वर्ग विशेष के लोगों को सुविधायें देने की अनिच्छा की अपेक्षा उसके प्रशासनात्मक प्रबन्धों की अपर्याप्तता अधिक है । हाल ही में हुए पारपत्र सम्बन्धी सम्मेलन में पाकिस्तानी प्रतिनिधि-मंडल की सूचना में यह बात ला दी गई थी और उसने इस कठिनाई को सुलझाने का वायदा भी कर लिया था । पश्चिमी बंगाल आसाम तथा त्रिपुरा की सरकारों ने भी पूर्वी बंगाल की सरकार के साथ यह मामला उठाया है ।

भाकरा-नंगल योजना का प्राक्कलन

*५५५. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि भाकरा-नंगल योजना पर १९४९ में प्राक्कलित व्यय इस समय काफ़ी बढ़ गया है;

(ख) यदि हां, तो प्राक्कलन में कितनी वृद्धि हो गई है ; तथा

(ग) उसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) लगभग २३ करोड़ रुपये ।

(ग) (१) निर्माण सामग्री के मूल्यों और ढुलाई तथा मजूरी के दरों के अधिक हो जाने के कारण निर्माण लागत में वृद्धि हो जाना;

(२) विस्तारपूर्ण छानबीन करने, डिज़ाइन तथा नमूनों में परिवर्तन हो जाने और योजना के क्षेत्र के विस्तृत हो जाने के परिणामस्वरूप निर्माण कार्य का बढ़ जाना ; तथा

(३) रुपये का अवमूल्यन हो जाने के कारण विदेशों से आने वाली मशीनों तथा उपकरणों की लागत में वृद्धि हो जाना ।

पूर्व निर्मित गृह

***५५६. श्री एम० एल० द्विवेदी :** (क) क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि गवर्नमेंट हाउसिंग फैक्टरी द्वारा कितने पूर्वनिर्मित गृह बनाये गये ?

(ख) इन गृहों का क्या हुआ ?

(ग) इन गृहों का निर्माण करने में, जिसमें फैक्टरी की स्थापना भी सम्मिलित है, कुल कितना व्यय हुआ ?

(घ) क्या पानी से प्रभावित न होने वाली छतों सम्बन्धी अनुसन्धान सफल हुआ है ?

(ङ) सरकार को किन कारणों से इस फैक्टरी को एक लिमिटेड कम्पनी के रूप में परिणत कर के एक भारत-स्वीडिश सार्थ को सौंपना पड़ा ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) १२४ (एक सौ चौबीस) ।

(ख) सदन पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें इन गृहों सम्बन्धी नवीनतम स्थिति बतलाई गई है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३७]**

(ग) कोई ७ लाख ९० हज़ार रुपये । इसमें फैक्टरी की स्थापना के सम्बन्ध में किया गया कोई व्यय सम्मिलित नहीं है क्योंकि यह हिसाब फैलाना सम्भव नहीं है कि इस व्यय का कितना अनुपात गृहों के नाम डाला जाये ।

(घ) जी हां । अनुसन्धान से पता लगा है कि फ़ोम कंकरेट से अच्छी छतें बनती हैं और बहुत कम खर्चे से उन्हें ऐसा बनाया जा सकता है जिन पर पानी का प्रभाव न पड़े । हां, अभी यह नहीं तय हुआ है कि छतों को पानी से प्रभावित न होने का गुण कितने दिनों तक कायम रहा आयेगा ।

(ङ) जिन कारणों से सरकार को इस हाउसिंग फैक्टरी को चलाने के लिये एक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी स्थापित करनी पड़ी वे ये थे कि फैक्टरी बनाये जाने तथा उत्पादन शुरू किये जाने के पश्चात् यह देखा गया कि १९५० के उत्तरार्द्ध में उत्पादन आशा से कम हुआ तथा उसमें कुछ टैक्निकल दोष भी पाये गये । इसके अलावा उत्पादन लागत भी मूल प्राक्कलनों से अधिक बैठी । अतएव यह निश्चय किया गया है कि मूल प्रस्थापना के अनुसार उत्पादन न किया जाये और फैक्टरी हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी लिमिटेड को पट्टे पर दे दी जाये । इस फैक्टरी में भारत सरकार तथा मैसर्स बसाखा सिंह वालेनबर्ग, लिमिटेड नामक भारत-स्वीडिश सार्थ बराबर के भागी हैं तथा उक्त सार्थ के स्वीडिश भागी को फ़ोम कंकरेट तथा प्रिस्ट्रैस्ड कंकरेट की सामग्रियों के निर्माण का विशेष ज्ञान है ।

ऑल इन्डिया रेडियो के कार्यक्रम

***५५७. श्री एम० एल० द्विवेदी :** (क) क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ऑल इंडिया रेडियो के कार्यक्रमों में क्या क्या सुधार किये गये हैं ?

(ख) ऑल इंडिया रेडियो फिल्मी संगीत का स्तर उच्च करने में कहां तक सफल हुआ है ?

(ग) ऑल इंडिया रेडियो द्वारा हाल ही में चालू किये गये राष्ट्रीय कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या है ?

(घ) कार्यक्रमों को अधिक शिक्षाप्रद, रोचक तथा उपयोगी बनाने की दृष्टि से अन्य क्या क्या परिवर्तन किये जा रहे हैं ?

(ङ) प्रथम पंचवर्षीय योजना को ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा लोकप्रिय बनाने के क्या क्या तरीके तथा मार्गोपाय हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) तथा (घ)। सदन पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें संक्षेप में यह बतलाया गया है ऑल इंडिया रेडियो के कार्यक्रमों में क्या क्या सुधार किये गये हैं या किये जा रहे हैं। [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३८**]

(ख) फिल्मी संगीत तैयार करने वालों पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है हां, सरकार इस बात का ज़रूर ख्याल रखती है कि केवल ऐसा फिल्मी संगीत ही प्रसारित किया जाये जिसका कि एक निर्धारित स्तर हो ।

(ग) राष्ट्रीय कार्यक्रम ऑल इंडिया रेडियो के सब स्टेशनों द्वारा रिले किया जाता है । इस कार्यक्रम में अखिल भारतीय रुचि की बातें प्रसारित करने का विचार है ।

(ङ) प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रचार भिन्न भिन्न भाषाओं में प्रसारित किये जाने वाले समाचार बुलेटिनों द्वारा और साधारण तथा विशेष कार्यक्रमों में वार्त्ताओं, वाद विवादों तथा बातचीतों आदि का आयोजन करके किया जाता है ।

इराक के साथ मैत्री संधि

***५५८. श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत तथा इराक़ के बीच हुए मैत्री संधि से, जिस पर नवम्बर १९५२ में बग़दाद में हस्ताक्षर हुए, दोनों देशों की औद्योगिक तथा कृषि सम्बन्धी प्रगति में किस प्रकार सहायता मिली है ?

(ख) मैत्री संधि पर हस्ताक्षर होने से पहले दोनों देशों के बीच व्यापार सम्बन्ध कैसे थे ?

(ग) दिसम्बर १९५१ तक इराक़ से कितना तथा किन क़िस्मों का खाद्य पदार्थ भारत आया ?

(घ) क्या भारत से निर्यात की जाने वाली कोई नई वस्तुएं शामिल की गई हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी०टी० कृष्णमाचारी) : (क) भारत तथा इराक़ के बीच मैत्री संधि अभी लागू नहीं हुई है । अभी इसका दोनों सरकारों द्वारा पुनर्समर्थन किया जाना है ।

(ख) संधि पर हस्ताक्षर होने से पहले भारत तथा इराक़ के बीच सामान्य व्यापार सम्बन्ध विद्यमान थे ।

(ग) सदन पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें वर्ष १९५१-५२ में भारत में इराक़ से आयात किये गये खाद्य पदार्थों का उल्लेख है । [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३९**] ।

(घ) जी नहीं ।

पारपत्रों तथा दृष्टांक के लिये फोटो

***५५९. श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार जानती हैं कि निर्धन, अनभिज्ञ तथा अशिक्षित लोगों के लिये भारत तथा पाकिस्तान के बीच यात्रा करने के पारपत्रों तथा दृष्टांकों के लिये फोटो देना तथा उसके लिये भुगतान करना असम्भव है ; तथा

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इन अभागे लोगों की किसी प्रकार सहायता करने का विचार कर रही है ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अविल के० चन्दा) : (क) सरकार जानती है कि इसमें क्या कठिनाइयां हैं और कितना व्यय होता है ?

(ख) पारपत्र तथा दृष्टांक प्रणाली में ये कठिनाइयां तो प्रायः होती ही हैं । पारपत्र तथा दृष्टांक लागू करने का निश्चय करने पर पहचान के लिये फोटो की ज़रूरत पड़ती ही है । सरकार ने इसकी फीस यथासम्भव कम से कम रखी है । वस्तुतः उस से तो प्रशासनात्मक लागत भी नहीं निकलती । हां, सरकार इस मामले को ध्यान में रखेगी और उसमें ऐसे परिवर्तन कर देगी जो हो सकते हों

उद्योगों में सांख्यकीय प्रकार नियन्त्रण (स्टैटिस्टीकल क्वालिटी कंट्रोल)

*५६०. **श्री बी० के० दास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सरकार का देश के उद्योगों में सांख्यकीय प्रकार नियंत्रण चालू करने का कोई विचार है ;

(ख) यदि है, तो इसके लिये योजना किस प्रकार तैयार की जायगी और उसे लागू करने के लिये क्या पग उठाये गये हैं ; तथा

(ग) इस कार्य के लिये पर्याप्त प्रशिक्षित कर्मचारी प्राप्त करने के लिये क्या प्रबन्ध किये गये हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख) । संयुक्त राष्ट्र के टैक्निकल सहायता प्रशासन के साथ किये गये प्रबन्ध के अन्तर्गत सांख्यकीय प्रकार नियंत्रण के चार विशेषज्ञों का एक दल हाल में भारत आया था और उसने कुछ स्थानों में लेक्चर तथा प्रशिक्षण संबंधी व्याख्यान दिये थे । अब इन लैक्चरों तथा प्रशिक्षण संबंधी व्याख्यानों के परिणामों का अध्ययन किया जा रहा है ताकि यह पता लगाया जा सके कि सांख्यकीय प्रकार नियंत्रण के तरीकों को किस हद तक लागू किया जा सकता है तथा इन तरीकों के भारत में और अधिक प्रभावी ढंग से लागू किये जाने के साधन ढूंढे जा सकें ।

(ग) उद्योगों, सरकारी संस्थाओं और अनुसन्धान तथा शिक्षा संस्थाओं से छांटे गये १५३ अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है । इन अभ्यर्थियों में से १८ को अधिक विस्तारपूर्ण ढंग से प्रशिक्षण दिया गया जिस से कि वे प्रशिक्षण के भावी कार्यक्रम में आदर्श शिक्षक बन सकें।

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की अस्थियां

*५६१. **श्री ए० एन० विद्यालंकार** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे ।

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में भारत सरकार को जापान सरकार से यह प्रार्थना मिली है कि वह नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की अस्थियां अपने कब्जे में ले ले;

(ख) क्या सरकार के पास इस बात का कोई निश्चित प्रमाण है कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की मृत्यु हो गई है और जिन अस्थियों को उनकी बतलाया जा रहा है वे वस्तुतः उन्हीं की हैं; तथा

(ग) क्या सरकार उनकी अस्थियों को भारत लाने और भारत के इस सपूत का एक उपयुक्त स्मारक बनाने का इरादा कर रही है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) भारत सरकार को ऐसी कोई प्रार्थना नहीं मिली है; सच तो यह है कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की अस्थियां, जो कि टोकियो के रेनकोजी मन्दिर में रखी हैं हमारे जापान स्थित दूतालय के कब्जे में ही हैं ।

(ख) सरकार ने इस मामले की बराबर छानबीन की है तथा सरकार के पास जो

प्रमाण हैं उनका खुलासा दिनांक ५ मार्च, १९५२ को सदन पटल पर रखा गया था। सरकार द्वारा समस्त सम्भव कार्यवाहियां की गईं और उसे यकीन हो गया कि श्री सुभाष चन्द्र बोस की मृत्यु की खबर सच्ची है। जो जो बातें पता लगाई गई थी वे प्रकट की जा चुकी हैं।

(ग) सरकार ने पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री से यह कहा था कि वह श्री सुभाष चन्द्र बोस के परिवार से यह पता लगायें कि अस्थियों के विषय में उनकी इच्छा क्या है। मुख्य मंत्री ने उत्तर दिया कि उनके परिवार वाले इस समय इस मामले में कुछ नहीं करना चाहते और उनकी इच्छा है कि इस समय इसे यों ही छोड़ दिया जाये। उसके बाद कोई और कार्यवाही नहीं की गई है।

बनावटी पैट्रोल तैयार करने की योजना

*५६२. **श्री सारंगधर दास :** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि श्री बिजयनन्द पटनायक ने भारत सरकार को एक पत्र भेजा था जिसमें उन्होंने भारतीय कोयले में से पैट्रोल निकालने का सुझाव दिया था तथा उन्होंने १४ लाख रुपये देने की भी इच्छा प्रकट की थी जिसकी कि प्रारम्भिक अनुसन्धान के लिये आवश्यकता थी ?

(ख) यदि श्री पटनायक को कोई उत्तर भेजा गया था, तो क्या ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख)। उन्होंने इस विषय में भारत सरकार को पत्र तो भेजा था परन्तु मुझे प्रारंभिक अनुसंधान के लिये १४ लाख रुपये देने के प्रस्ताव का पता नहीं है। उन्होंने केन्द्रीय सरकार से योजना के लिये अपेक्षित पूंजी में सहायता मांगी थी तथा इसके अलावा अर्थसाहाय्य की भी मांग की थी। सरकार का उत्तर यह था कि पूंजी में कोई सहायता तो दी नहीं जा सकती, हां अर्थसाहाय्य देने के प्रश्न पर विचार किया जा सकता है यदि तटकर बोर्ड इसकी सिपारिश कर दे।

यात्रा अभिकरण तथा पारपत्र

*५६३. **श्री ए० एन० विद्यालंकार :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार की जानकारी में यह बात आई है कि हाल ही में कुछ ऐसे यात्रा अभिकरण स्थापित हो गये हैं जो यात्रियों से, उन्हें इस आश्वासन द्वारा धोखा देकर कि वे उनके लिये पारपत्र प्राप्त कर लेंगे बहुत अधिक किराया वसूल कर लेते हैं;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ व्यक्तियों को, जिनके पारपत्र के लिये आवेदनपत्र पहले अस्वीकृत किये जा चुके थे, एक ऐसे ही अभिकरण के द्वारा पुनः आवेदन करने पर पारपत्र दे दिये गये; तथा

(ग) सरकार लोगों को ऐसे अभिकरणों से बचाने तथा यह सुनिश्चित करने के लिये कि पारपत्र देने के विषय में उक्त अभिकरणों के साथ कोई अनुचित पक्षपात न किया जाय, क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) तथा (ग)। सन् १९५१ में भारत सरकार को यह पता चला कि कुछ यात्रा अभिकर्ता अशिक्षित लोगों को यह आश्वासन दे कर कि यदि वे उनके मार्फत टिकट खरीदेंगे तो वे उनके लिये पारपत्र ले देंगे, उनसे अनुचित लाभ उठा रहे हैं। वे इसके लिये जितना रुपया मांगते थे वह सामान्य दर से बहुत अधिक होता था।

तब से भारत सरकार ने पारपत्र निर्गमित करने वाले सब प्राधिकारियों को यह हिदायत दे दी है कि वे पारपत्रों के लिये आवेदनप यात्रा अभिकर्ताओं से न लें।

(ख) भारत सरकार को इस बात का पता नहीं है क्योंकि निजी व्यक्तियों को पारपत्र सामान्यतया उन राज्यों की सरकारों द्वारा दिये जाते हैं जहां कि वे रहते हैं। ऐसे मामले तो हो सकते हैं जिन में एक बार अस्वीकृत आवेदनपत्रों पर, पुनरावेदन किये जाने पर, फिर से विचार किया गया हो और पारपत्र दे दिये गये हों, परन्तु यह कहना गलत होगा कि उक्त पारपत्र इसलिये दिये गये क्योंकि वे एक यात्रा अभिकर्ता की मार्फत मांगे गये थे।

पाकिस्तान के साथ व्यापार करार

*५६४. **श्री एस० सी० सिंघल** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या पाकिस्तान ने वर्ष १९५१-५२ के लिये किये गये अपने व्यापार करार को पूर्ण रूप से लागू किया है ?

(ख) यदि नहीं, तो पाकिस्तान करार के कौन कौन से उपबन्ध लागू नहीं कर सका ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख)। १९५१-५२ के भारत-पाकिस्तान व्यापार करार के अन्तर्गत दोनों में से कोई भी सरकार, खाद्यान्नों को छोड़ कर अन्य वस्तुओं तथा सामान के सम्बन्ध में, इस बात के लिये वचनबद्ध नहीं थी कि वह निर्दिष्ट मात्रा या मूल्य तक की वस्तुओं या सामान का निर्यात या आयात करेगी। दोनों सरकारों ने तो केवल यह बात स्वीकार की थी कि वे वस्तुओं के आयात या निर्यात किये जाने में सुविधा देंगी, उदाहरणार्थ लाइसेंस दे कर तथा या विदेशी विनिमय उपलब्ध कर के।

पाकिस्तान ने ७७ लाख टन खाद्यान्न देना स्वीकार किया था परन्तु बाद में देश में खाद्यान्न की कमी होने के कारण वह केवल १ लाख ९२ हजार टन ही दे सका।

कोयला धोने के संयंत्र

*५६५. **सरदार ए० एस० सहगल** : (क) क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि निम्न ग्रेड का कोयला धोने के लिये कितने संयंत्र अधिष्ठापित किये गये हैं ?

(ख) क्या कोयला धोने के संयंत्र कोकिंग कोयले के अधिक दिन तक सुरक्षित रखे जाने में सहायक सिद्ध हुए हैं ?

(ग) सरकार कोयला खानों में कोयला धोने के संयंत्र अधिष्ठापित करने के कार्य को तेज़ी से करने के लिये क्या सहायता देने का विचार कर रही है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) दो।

(ख) जी हां।

(ग) इस प्रयोजनार्थ कोयला बोर्ड या सरकार से जो सहायता अपेक्षित होगी उसके स्वरूप तथा विस्तार का निर्देश एक कोल वाशरीज़ कमेटी को किया गया है जो हाल ही में कोयला बोर्ड द्वारा इसलिये नियुक्त की गई है कि वह भारत में कोल वाशरीज़ की स्थापना सम्बन्धी समस्याओं के सब पहलुओं की जांच कर के रिपोर्ट प्रस्तुत करे। इस प्रश्न पर विचार समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने के पश्चात किया जायेगा। रिपोर्ट के मार्च १९५३ के अन्त तक प्रस्तुत किये जाने की आशा है।

कोकिंग कोयला

*५६६. **सरदार ए० एस० सहगल** : (क) क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस समय कितनी कोयला खाने 'ए' तथा 'बी' ग्रेड का कोकिंग कोयला बना रही हैं ?

(ख) इसमें से कितना कोयला थाक लगा कर निकाला जाता है ?

(ग) क्या सरकार थाक लगाने को अनिवार्य बनाने का विचार कर रही है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) ८३ कोयला खानें ।

(ख) लगभग ८ लाख टन या कुल उत्पादन का लगभग १० प्रतिशत ।

(ग) थाक लगाने के नियम का तभी पालन करवाया जायेगा जबकि ऐसा करना कोकिंग कोयले के सुरक्षण या कोयला खानों की सुरक्षा के हित में आवश्यक हो ।

काश्मीर से जिप्सम

*५६७. **श्री एन० पी० सिन्हा** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सिन्दरी के रासायनिक खाद बनाने वाले कारखाने ने अपनी आवश्यकता के लिये जिप्सम काश्मीर से लेने का प्रस्ताव किया है ?

(ख) पहले भारत के कौन कौन से राज्य जिप्सम देते थे और क्या अब वे देना जारी रखेंगे ?

(ग) काश्मीर से जिप्सम किन किन निबन्धनों और शर्तों के अधीन दिया जायेगा और ये निबन्धन और शर्तें अन्य राज्यों की तुलना में कैसी हैं ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) जी नहीं ।

(ख) सिन्दरी की जिप्सम की आवश्यकता राजस्थान से पूरी की जाती है । यदि अन्यत्र कहीं अधिक अच्छी किस्मों का तथा अधिक लाभप्रद दर पर जिप्सम प्राप्त नहीं होता तो सिन्दरी की आवश्यकता राजस्थान से ही पूरी की जाती रहेगी ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

नैपाल सरकार को ऋण

*५६८. **श्री बी० एन० राय** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत सरकार द्वारा नैपाल सरकार को स्वीकृत ऋण की राशि;

(ख) ऋण के निबन्धन; तथा

(ग) क्या उस देश को अधिक ऋण दिये जाने की बातचीत चल रही है ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) से (ग) ।/भारत सरकार ने नैपाल सरकार को, उसके विकास के लिये ऋण देकर, सहायता देना सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया है । इस ऋण की राशि तथा निबन्धन अभी तय किये जाने हैं ।

मनीपुर में तारपीन तथा राल उद्योग

*५६९. **श्री एल० जे० सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या मनीपुर राज्य में, स्वतन्त्रता मिलने के पश्चात्, यह जानने के लिये कोई अनुसन्धान किया गया है कि वहां ताड़पीन तथा राल उद्योग प्रारम्भ किया जाना कहां तक संभव है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अनुसन्धान के क्या परिणाम निकले; तथा

(ग) क्या सरकार मनीपुर में, जहां एक लाख से अधिक चीड़ के वृक्ष उपलब्ध हैं, शिलौंग के सरकारी उद्योग के समान एक ऐसा ही उद्योग स्थापित करने की वांछनीयता पर विचार करेगी ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) इस समय भारत सरकार के विचाराधीन ऐसी कोई प्रस्थापना नहीं है ख्याल

किया जाता है कि राज्य सरकारें इस क्षेत्र में सम्भावनाओं की प्रारंभिक पड़ताल करने का विचार कर रही हैं । सरकार द्वारा भविष्य में की जाने वाली कोई कार्यवाही इस पड़ताल पर ही निर्भर करेगी ।

अन्तर्राष्ट्रीय वस्तु सम्मेलन

*५७०. **श्री एम० आर० कृष्ण :** (क) **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या हाल ही में हुए अन्तर्राष्ट्रीय वस्तु सम्मेलन में भारत का भी प्रतिनिधित्व था ?

(ख) क्या इस सम्मेलन ने भारत को कोई अभ्यंश आबंटित किया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय वस्तु सम्मेलन की मैंगनीज़/निकल/कोबल्ट समिति तथा गन्धक समिति में, जिनकी बैठकें क्रमशः दिसम्बर, १९५२ तथा जनवरी १९५३ में हुई थीं, भारत का प्रतिनिधित्व था ।

(ख) मैंगनीज़/निकल/कोबल्ट समिति ने भारत को १०० मेटरिक टन निकल आबंटित किया है; और गन्धक समिति ने १९५३ के पहले तीन मासों के लिये १९,००० लौंग टन गन्धक आबंटित की है ।

इसके अतिरिक्त, भारत को तांबा/सीमा/जस्ता तथा टंग्स्टन (चंडातु)/मोलिबडेनम (संवर्णातु) सम्बन्धी समितियों द्वारा क्रमशः ५,००० मेटरिक टन तांबा तथा २ मेटरिक टन मोलिबडेनम (संवर्णातु) आबंटित किया गया है ।

अनुज्ञप्ति-समिति की सिपारिशें

*५७१. **श्री एस० एन० दास:** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अनुज्ञप्ति-समिति ने अब तक क्या क्या महत्वपूर्ण सिपारिशें की हैं ?

(ख) सरकार द्वारा इनमें से कौन कौन सी सिपारिशें स्वीकार कर ली गई हैं तथा उन पर अमल किया गया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) अनुज्ञप्ति-समिति का कार्य अनुज्ञप्ति के लिये उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत प्राप्त सब आवेदन-पत्रों की जांच करना है । अब तक समिति ने ८१ आवेदन-पत्रों पर विचार किया है तथा ५३ उपक्रमों को अनुज्ञप्ति दी जाने की सिपारिश की है ।

(ख) अनुज्ञप्ति समिति की एक को छोड़ कर सब सिपारिशें भारत सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं ।

स्याम की रैड क्रास सोसाइटी द्वारा चावल का दान

*५७२. **श्री के० जे० देशमुख :** (क) क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या स्याम की रैड क्रास सोसाइटी ने मद्रास के तूफ़ान से पीड़ित क्षेत्रों में वितरित किये जाने के लिये चावल दान दिया है ?

(ख) यदि हां तो कितना चावल दान दिया गया ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) तथा (ख). नवम्बर १९५२ में थाई रैड क्रास सोसाइटी ने भारतीय रैड क्रास सोसाइटी को मद्रास में अकाल सहायता कार्य के लिये चावल की चालीस बोरियां दी थीं । इनके दिसम्बर, १९५२ में प्राप्त होने पर भारतीय रैड क्रास सोसाइटी ने चावल का मद्रास राज्य के तूफ़ान ग्रस्त ज़िलों में पीड़ितों की सहायतार्थ उपयोग करने का निश्चय किया ।

आदिम जातिय क्षेत्रों का विकास

*५७३. **श्री भीका भाई :** क्या **योजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) पण्चवर्षीय योजना के अन्तर्गत

विकास के लिये छांटे गये आदिमजातीय क्षेत्र ;

(ख) प्रस्तावित विकास का स्वरूप; तथा

(ग) विभिन्न प्रकार के विकास कार्यों के ऊपर किया जाने वाला व्यय ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी): (क) संविधान की षष्ठ अनुसूची के अन्तर्गत सारणी (भाग क तथा ख) में उल्लिखित समस्त क्षेत्र पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विकास के लिये छांट लिये गये हैं ।

(ख) सदनपटल पर विवरण रखे जाते हैं जिनमें विकास कार्य सम्बन्धी व्यय के ब्यौरे तथा अनुसूचित आदिमजातियों व अनुसूचित क्षेत्रों के लिये योजनाओं के विवरण दिये गये हैं । [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४०**]

(ग) ८ करोड़ ५० लाख रुपये :

साइकिल के भागों का निर्माण करने के लिये कारखाने

*५७४. **श्री तुषार चटर्जी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में साइकिल के भाग तैयार करने वाले कारखानों तथा उनमें काम करने वाले कर्मचारियों की राज्यवार संख्या;

(ख) हाल ही में कौन कौन से कारखाने बन्द हो गये हैं तथा उससे कितने कर्मचारियों पर प्रभाव पड़ा है ;

(ग) इनके बन्द हो जाने के क्या कारण हैं ; तथा

(घ) सरकार कारखानों को फिर से उत्पादन चालू कराने में सहायता देने तथा प्रभावित कर्मचारियों को तुरन्त सहायता पहुंचाने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) :

(क)

राज्य	कारखानों की संख्या
पश्चिमी बंगाल	६
बम्बई	२
पंजाब (भारत)	४
उत्तर प्रदेश	८
दिल्ली	२
मद्रास	१

इन कारखानों में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या के बारे में जानकारी प्राप्य नहीं है ।

(ख) तथा (ग)। जहां तक सरकार को ज्ञात है, दो कारखाने बन्द हो गये हैं और उनके बन्द हो जाने का मुख्य कारण मांग की कमी समझा जाता है ।

(घ) साइकिल के भागों के "आयात नहीं" की नीति से, जो इसलिये अपनाई गई है ताकि प्राप्य विदेशी विनिमय का उपयोग अधिक ज़रूरी चीज़ों के मंगवाने में किया जा सके, स्थानीय उद्योग को और भी अधिक सहायता मिलनी चाहिये ।

बनियान मोज़े तैयार करने वाले कारखाने

*५७५. **श्री तुषार चटर्जी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) इस समय भारत में बनियान मोज़े तैयार करने वाले कितने कारखाने हैं, राज्यवार;

(ख) इन कारखानों में कितने मज़दूर काम कर रहे हैं;

(ग) क्या यह सच है कि गत एक वर्ष में बनियान मोज़े बनाने वाले बहुत से कारखाने बन्द हो गये हैं;

(घ) यदि हां, तो बन्द हुए कारखानों की संख्या, राज्यवार, उत्पादन में हानि तथा बेकार हुए मज़दूरों की ठीक ठीक संख्या;

(ङ) इन कारखानों के बंद हो जाने में विदेशी प्रतियोगिता का कहां तक हाथ है;

(च) सरकार इन कारखानों को फिर से उत्पादन चालू करने में सहायता देने के लिये क्या पग उठा रही है; तथा

(छ) सरकार बेकार मज़दूरों को तुरन्त ही क्या सहायता देने का विचार कर रही है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) से (छ)। जानकारी एकत्र की जा रही है तथा यथासमय सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

सोवियत रूस से पैट्रोलियम उत्पाद का आयात

*५७६. **डा० अमीन** : (क) क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने सोवियत रूस से मट्टी का तेल तथा अन्य पैट्रोलियम उत्पादों का आयात करने के कोई प्रयत्न किये हैं ?

(ख) क्या यह सच है कि सोवियत रूस से पैट्रोलियम उत्पाद भारत की तैल कम्पनियों द्वारा किये जाने वाले दर से कम दर पर मिल सकते हैं ?

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो क्या सरकार सोवियत रूस से पैट्रोलियम उत्पादों के आयात की अनुमति देने का विचार कर रही है ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद उपमंत्री (श्री बुरागोहिन) : (क) जी नहीं। हाल के वर्षों में कोई प्रयत्न नहीं किया गया ।

(ख) जी नहीं। मेरी जानकारी में नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

रेशम के कारख़ाने

*५७७. **श्री तुषार चटर्जी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५०, १९५१, १९५२ तथा जनवरी १९५३ में रेशम के कारखानों की राज्यवार संख्या क्या थी और उनमें कितने मज़दूर काम करते थे ;

(ख) इन कारखानों द्वारा किये गये उत्पादन की मात्रा; वर्षवार;

(ग) मई १९५२ से कुल कितने कारखाने बन्द हुए हैं, उनके बन्द होने से उत्पादन को कितना नुकसान पहुंचा है तथा कितने मज़दूर बेकार हो गये हैं ;

(घ) कारखानों के बन्द हो जाने के क्या कारण हैं; तथा

(ङ) सरकार ने कारखानों को फिर से उत्पादन चालू करने में सहायता देने तथा कारखानों के बन्द होने से बेकार हुए मज़दूरों को सहायता पहुंचाने के लिये क्या कार्यवाही की है या करने का विचार कर रही है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख)। सदन पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४१]**

(ग) से (ङ)। मई १९५२ से सरकार को रेशम के कारखानें बन्द होने की कोई सूचना नहीं मिली है । हां, कुछ कारखानों द्वारा रेशमी कपड़े के स्थान में नकली रेशम (आर्ट सिल्क) के कपड़े बनाना शुरू किये जाने के फलस्वरूप रेशमी कपड़े के उत्पादन में कमी अवश्य आ गई है । अतएव रेशम के कारखानों के बन्द होने के कारण मज़दूरों की संख्या में कमी का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

रबड़ की बिक्री

*५७८. **पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय:** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५०, १९५१ तथा १९५२ में संयुक्त राज्य अमेरिका तथा ब्रिटेन ने भारत से कितना रबड़ खरीदा ?

(ख) चीन को लंका की रबड़ के प्रस्तावित विक्रय का संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन तथा अन्य देशों के साथ हमारे व्यापार सम्बन्धों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) सदन पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

(ख) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भारत को इस रबड़ की बहुत कम मात्रा का निर्यात किया जाता है—यह सामान्यतया जूतों के तलों की 'क्रीप रबड़' होती है—इस व्यापार के सम्बन्ध में संसार में अन्यत्र होने वाली किसी बात से इस पर प्रभाव पड़ने की कोई सम्भावना नहीं है ।

———

विवरण

भारत से संयुक्त राजतन्त्र तथा संयुक्त राज्य अमेरिका को रबड़ का निर्यात

देश	१९४९-५० टन	१९५०-५१ टन	१९५१-५२ टन
संयुक्त राजतंत्र	५०.९	६५८.५	१४१.३
संयुक्त राज्य अमेरिका	—	२५५	—

———

मिस्री कपास

*५७९. **पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय:** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में भारत की मिस्र के कपास के क्रेता के रूप में क्या स्थिति रही है तथा जनवरी १९५३ में क्या स्थिति है ?

(ख) जनवरी १९५३ में मिस्र का जो प्रतिनिधि मंडल भारत आया था उसने मिस्र के कपास के उच्च मूल्य के बारे में और भविष्य में कपास के व्यापार के विषय में होने वाले विवादों के निपटारे के स्थान तथा उसके लिये कार्य व्यवस्था स्थापित किये जाने के बारे में क्या क्या आश्वासन दिये थे ?

(ग) संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन तथा अन्य यूरोपीय देशों द्वारा मिस्र के कपास के क्रय सम्बन्धी स्थिति क्या है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) (क) सदन पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

(ख) मिस्र के प्रतिनिधिमंडल के साथ सरकार की कोई बातचीत नहीं हुई ।

(ग) सदन पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिस में अगस्त-दिसम्बर, १९५२ की कालावधि में मिस्र से किया जाने वाला कपास का निर्यात दिखलाया गया है । [**(क) तथा (ग) के लिये देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४२**]

पिंपरी पेंसिलीन फ़ैक्टरी

*५८०. **डा० रामा राव :** (क) क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पिंपरी पेंसिलीन फैक्टरी के निदेशक बोर्ड की रचना किसने की ?

(ख) इस फैक्टरी में विनियोजित कुल पूंजी में भारत सरकार के अंशों की प्रतिशतता क्या है ?

(ग) क्या इस फैक्टरी के सम्बन्ध में भारत सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संस्था अथवा संयुक्त राष्ट्र की अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि के साथ कोई करार किया है ?

(घ) यदि किया है, तो उस के निबन्धन क्या हैं ?

(ङ) क्या इस फैक्टरी के लिये कोई मशीनें भारत में आयात की गयी हैं या भेंट के रूप में दी गई हैं ?

(च) यदि हां, तो उस की तफ़सील क्या है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) पैंसिलीन फैक्टरी के प्रबन्ध के लिये अभी तक कोई समवाय पंजीबद्ध नहीं किया गया है; हां, इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

(ख) फैक्टरी अभी बन रही है परन्तु अनुमानित लागत में भारत सरकार का अंश कोई २० प्रतिशत होगा ।

(ग) जी हां ।

(घ) मैं सदन पटल पर एक विवरण रखता हूं । जिसमें कार्यसंचालन सम्बन्धी संयुक्त कार्यक्रम की मुख्य बातें बतलाई गई हैं । संयुक्त कार्यक्रम की एक प्रतिलिपि सदन के पुस्तकालय में भी प्राप्य है ।

(ङ) फैक्टरी के लिये समस्त आयातित संयंत्र तथा उपकरण संयुक्त राष्ट्र की अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि द्वारा दिया जाता है । उस की प्रथम खेप तो भारत आ भी पहुंची है ।

(च) जो पहली खेप प्राप्त हुई है उस में पैंसिलीन फैक्टरी की "कूलिंग टावर" के कुछ भाग भी हैं । अधिकांश उपकरण अप्रैल १९५३ से आने प्रारम्भ होंगे । मैं माननीय सदस्यों का ध्यान संयुक्त कार्यक्रम की परिशिष्ट २ की ओर दिलाऊंगा जिस में उक्त उपकरण की तफ़सील दी हुई है ।

पाकिस्तानियों का छिपे-छिपे प्रवेश

*५८१. **श्री पी० एल० बारुपाल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) उन पाकिस्तानी मुसलमानों की कार्यवाहियों का मुकाबला करने के लिये सरकार क्या पग उठा रही है, जो गंगानगर ज़िले में छिपे-छिपे घुस आते हैं और दंगों के समय छोड़े गये अपने मकानों पर कब्ज़ा कर लेते हैं; तथा

(ख) सरकारी आंकड़ों के अनुसार ऐसे लोगों की संख्या कितनी है ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) पाकिस्तानियों के छिपे-छिपे प्रवेश को बन्द करने के लिये राजस्थान की सरकार निवारक कार्यवाहियां कर रही हैं। जो लोग पहले ही भारत में घुस आये हैं उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्यवाही की जा रही है ।

(ख) बतलाया जाता है कि गंगानगर ज़िले में ४६२ पाकिस्तानी घुस आये हैं ।

मद्य निषेध योजनाएं

*५८२. **डा० राम सुभग सिंह** : (क) क्या **योजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि कुछ राज्य सरकारों ने अपनी मद्यनिषेध योजनाओं को अनिश्चित समय तक के लिये उठा रखा है जिस से कि समस्त प्राप्य धन का पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विकास योजनाओं में उपयोग किया जा सके ?

(ख) यदि हां, तो कौन कौन सी राज्य सरकारों ने ऐसा किया है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री हाथी): (क) तथा (ख)। अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासमय सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

मकानों का निर्माण

*५८३. **श्री शिवमूर्ति स्वामी** : (क) क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सार्वजनिक गृह-निर्माण सहकारी समितियों को गत वर्ष ऋण या अनुदान के रूप में कितना धन दिया गया; तथा सरकारी कर्मचारियों के लिये क्वार्टरों का निर्माण करने के हेतु कितना धन रखा गया ?

(ख) मंत्रालय द्वारा कितने मकान बनाये जा चुके हैं और कितने गत वर्ष बनाये जा रहे थे ?

(ग) क्या हरिजनों या अन्य ग़रीब लोगों को बिना व्याज ऋण देने के लिये भी कोई उपबन्ध किया गया है ?

(घ) यदि किया गया है, तो गत दो वर्षों में कितनी धनराशि दी गई है ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): (क) वर्ष १९५१-५२ में सार्वजनिक गृह-निर्माण सहकारी समितियों को कोई अनुदान या ऋण नहीं दिया गया था। सरकारी कर्मचारियों के लिये क्वार्टर बनाने के निमित्त वर्ष १९५१-५२ में ५३ लाख रुपये की राशि अलग रखी गई थी।

(ख) वर्ष १९५१-५२ में सरकारी कर्मचारियों के लिये १२११ मकान बनाये जा रहे थे।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

ऊनी कालीन उद्योग

*५८४. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारतीय ऊनी कालीन उद्योग को विकसित करने और उस के लिये विदेशों में बाजार स्थापित करने के लिये सरकार द्वारा उठाये जाने वाले पग;

(ख) क्या यह सच है कि भारतीय कालीन उद्योग विदेशों में अपने बाजार खो रहा है, और यदि सच है, तो इस के कारण;

(ग) १९५१ और १९५२ में निर्मित ऊनी कालीनों का मूल्य और क्रमशः देशी और विदेशी बाजारों में बेचे गये कालीनों का मूल्य ; तथा

(घ) कौन कौन देश प्रतिस्पर्द्धी हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) अप्रैल १९४६ से कालीनों के बिना लाइसेंस निर्यात किये जाने की अनुमति अबाध रूप से दी जा रही है हमारे विदेश स्थित व्यापार प्रतिनिधि भारत के कालीन निर्माताओं तथा निर्यातकों को व्यापार सम्पर्क स्थापित करने में सहायता देकर तथा अपेक्षित जानकारी उपलब्ध कर के समस्त सम्भव सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। इस के अलावा इस बात को सुनिश्चित करने के लिये कि माल की खराब किस्म के कारण व्यापार को कोई नुकसान न पहुंचे, उस के न्यूनतम मान निर्धारित करने के लिये भी पग उठाये गये हैं।

(ख) १९५१ से ऊनी कालीनों के निर्यात में कमी आ गई है।

(ग) सदन पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४४]**

(घ) फारस।

डाक्टर तथा स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम

*५८५. **डा० रामा राव** : (क) क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगी कि देश में डाक्टरों की संख्या बढ़ाने के लिये सरकार द्वारा क्या पग उठाये जा रहे हैं ?

(ख) क्या पंचवर्षीय योजना में निर्धारित स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के सम्बन्ध में चिकित्सा व्यवस्था के किसी वर्ग के साथ विचार-विमर्श किया गया है ?

(ग) यदि उन के साथ विचार विमर्श किया गया है, तो देश में चिकित्सा सेवाओं के प्रसार के बारे में उन के विचार क्या हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): (क) देश में डाक्टरों की संख्या बढ़ाने के लिये कार्यवाही प्रारम्भिक रूप से राज्य सरकारें करती हैं जो अपने सीमित वित्तीय संसाधनों से जो कुछ कर सकती हैं कर रही हैं। बड़े

राज्यों में से अधिकांश मैडीकल कालेज चलाते हैं। उन में से कुछ नये मैडीकल कालेज खोलने का भी विचार कर रहे हैं।

(ख) जी हां। योजना आयोग को परामर्श देने के लिये चिकित्सा व्यवसाय का प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ लोगों की एक स्वास्थ्य मंडली बनाई गई थी और विष्टि विषयों का अध्ययन करने के लिये कई उप-समितियों का भी निर्माण किया गया था।

(ग) सामान्यतया उन के विचार डाक्टरी शिक्षा तथा प्रशिक्षण के लिये सुविधाएं बढ़ाने, अस्पतालों तथा चिकित्सालयों की संख्या में वृद्धि करने तथा ग्रामीण स्वास्थ्य की समस्या का हल निकालने के लिये निदानात्मक तथा निवारक दृष्टिकोण अपनाने के पक्ष में था।

जबलपुर का तार (टेलीग्राफ़) कारख़ाना

*५८६. **श्री एम ०एल० द्विवेदी :** क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि जबलपुर में स्थित तार कारखाना बंगलौर ले जाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं; तथा

(ग) जबलपुर में कारखाना कब स्थापित किया गया था ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) १९४२ में।

दिल्ली में ट्रामवे

*५८७. **श्री एम० एल० द्विवेदी :** (क) क्या **यातायात** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पुरानी दिल्ली में चलने वाली ट्रामों के सम्बन्ध में दिल्ली सड़क परिवहन प्राधिकार ने क्या पग उठाये हैं ?

(ख) क्या यह सच है कि दिल्ली में ट्रामें बहुत पुरानी पड़ गई हैं तथा सन्तोषजनक ढंग से काम नहीं दे रही हैं ?

(ग) दिल्ली में ट्रामवे सुधारने या समाप्त करने के लिये क्या पग उठाये जा रहे हैं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) दिल्ली सड़क परिवहन प्राधिकार ने दिल्ली ट्रामवे सर्विस को दिल्ली केन्द्रीय विद्युत शक्ति प्राधिकार से १ अप्रैल, १९५१ को ले लिया था।

(ख) जी हां।

(ग) ट्रामों और ट्रौली बसों के स्थान में शनैः शनैः पैट्रोल या डिज़ल तेल से चलने वाली बसें चलाने के प्रश्न पर दिल्ली सड़क परिवहन प्राधिकार विचार कर रही है। इन बसों की बौडी सम्बन्धित मार्गों की आवश्यकताओं के अनुसार बनाई जायेंगी।

राजपूताना का रेगिस्तान

*५८८. **सरदार हुक्म सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या राजपूताना के रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकने की योजना का पहला दौर शुरू कर दिया गया है ; तथा

(ख) क्या रेगिस्तान के अन्तर्गत सिंध-गंगा के मैदान की कुछ और भूमि भी आ गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) जी हां। १७ अक्तूबर, १९५२ से जोधपुर में एक रेगिस्तान वनीकरण अनुसन्धान केन्द्र खोल दिया गया है।

(ख) यह पता लगाना कि रेगिस्तान के अन्तर्गत कितनी और भूमि आई, सम्भव नहीं है।

केन्द्रीय कृषिसार संग्रह

*५८९. **सरदार हुक्म सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय कृषिसार संग्रह को सन् १९५३ में भी जारी रख ने का फैसला किया है;

(ख) सन् १९५२ में विभिन्न राज्य सरकारों तथा स्वत्वों ने केन्द्रीय संग्रह में से कितनी अमोनिया सल्फ़ेट की मांग की थी; तथा

(ग) क्या उक्त संग्रह में से सब मांगें पूरी हो गई थीं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) जी हां ।

(ख) सदन पटल पर एक विवरण रखा जाता है। जिस में विभिन्न राज्य सरकारों तथा स्वत्वों द्वारा १९५२ के पत्रीं वर्ष में केन्द्रीय कृषिसार संग्रह से की गई सल्फ़ेट ऑफ़ अमोनिया की मांगें बतलाई गई हैं। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४५]**

(ग) जी हां

त्रावनकोर-कोचीन राज्य को खाद्य साहाय्य

*५९३ **श्री वी० पी० नायर : क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) जनवरी १९५३ में नई दिल्ली में हुए राज्य खाद्य मंत्री सम्मेलन में हुई चर्चा के प्रकाश में त्रावनकोर-कोचीन को कितनी साहाय्य या सहायता दी जाने का वायदा किया गया या निर्धारित की गई; तथा

(ख) क्या उक्त केन्द्रीय सहायता या साहाय्य की पर्याप्तता के सम्बन्ध में त्रावनकोर-कोचीन सरकार द्वारा कोई अभ्यावेदन किये गये हैं तथा यदि किये गये हैं, तो क्या ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) तथा (ख) । हाल ही में इस विषय पर त्रावनकोर कोचीन सरकार के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की गई थी। उन्हों ने चावल का निर्गम मूल्य १९५३ में भी १७ रुपये प्रति मन रखे जाने के लिये अपने आयव्ययक में २ करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। केन्द्र इस बात के लिये राजी हो गया है कि वह १९५३ में राज्य को चावल इस प्रकार देगा कि राज्य चावल विक्रय पर होने वाली हानि को अपने आय-व्ययक में उपबन्धित दो करोड़ रुपये तक सीमित रख सके ।

कोयम्बटूर-मैसूर रेलवे लाइन

*५९६. **श्री टी० एस० ए० चेट्टियार :** क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या मैसूर विधान मंडल ने एक संकल्प पारित कर के कोयम्बटूर तथा मैसूर के बीच संह्यमंगलम होकर एक नई रेलवे लाइन बनाने की मांग की है; तथा

(ख) क्या मामले की जांच कर ली गई है तथा क्या सरकार निकट भविष्य में यह कार्य शुरू करने का विचार कर रही है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) सरकार को इस विषय पर मैसूर विधानमंडल के किसी संकल्प का पता नहीं है ।

(ख) जो निर्माण योजनाएं प्रारम्भ की जाती हैं या जिन का परिमाप किया जाना है, उन की सूची मंत्री के आयव्ययक भाषण में दी जा चुकी है। अन्य लाइनों के निर्माण पर विचार अनुसूचित परिमापों के परिणामों पर विनिश्चय किये जाने के पश्चात् ही किया जा सकता है ।

खाद्यान्नों का विनियन्त्रण

*५९९. **श्री टी० एस० ए० चेट्टियार :** क्या **खाद्य तथो कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) जिन राज्यों ने सारवान रूप से खाद्य विनियन्त्रण किया है उन राज्यों में

विनियन्त्रण का खाद्य के मूल्य तथा उसकी उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ा है ; तथा

(ख) कीमतों को कम रखने के लिये सरकार ने क्या पग उठाये हैं या उठाने का विचार रखती है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) सामयिक उतार-चढ़ाव को छोड़ कर खाद्यान्नों का मूल्य, सब बातों को देखते हुए, कम ही हुआ है और उसकी खुले बाजार में उपलब्धता भी बढ़ गई है क्योंकि सरकारी दूकानों से निकासी कम हो गई है।

(ख) कीमतों को उचित सीमाओं के भीतर बनाये रखने तथा माल के छिपा कर रखे जाने से रोके जाने के लिये उपाय तैयार हैं; परन्तु अभी उन्हें कार्यान्वित करने का समय नहीं आया है।

हैदराबाद में कांग्रेस अधिवेशन

***६०२. श्री विट्टल राव :** (क) क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अखिल भारतीय कांग्रेस के ५८ वें अधिवेशन के सम्बन्ध में डाक तथा तार विभाग द्वारा क्या विशेष प्रबन्ध किये गये थे ?

(ख) इन प्रबन्धों पर विभाग द्वारा कुल कितना व्यय किया गया ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) निम्नलिखित प्रबन्ध किये गये थे :—

(१) डाक :—नानलनगर, सर्वोदय प्रदर्शनी तथा निलोफ़र हॉस्पिटल में तीन डाकघर खोले गये।

(२) तार :—समाचारपत्रों तथा आम लोगों के तार शीघ्रता से भेजने के लिये एक कैम्प तारघर खोला गया।

(३) टेलीफोन :—कैम्प में एक अस्थाई टेलीफोन एक्सचेंज खोला गया। १०८ टेलीफोन कनैक्शन तथा दो पब्लिक कौल आफ़िसेज उपलब्ध किये गये। १९ टेलीफोन हैदराबाद में दिये गये।

(ख) ठीक आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। आशा है कि व्यय लगभग २९,२०० रुपये हुआ होगा।

मौसम का हाल जानने के लिये भारतीय पोत

***६०५. डा० रामा राव :** (क) क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने एक योजना आरम्भ की है जिस के अन्तर्गत कुछ भारतीय पोतों को अपने नौपरिवहन के दौरान में मौसम का हाल जानने के लिये नियुक्त किया गया है ?

(ख) योजना की पूरी-पूरी तफ़सील क्या है और यह कहां तक कार्यान्वित की जा चुकी है ?

(ग) पोतों द्वारा इस प्रकार इकट्ठी की गई जानकारी का अध्ययन कौन करेगा ?

(घ) क्या मौसम का हाल जानने के लिये पोतों में कोई विशेष उपकरण लगे होते हैं तथा यदि लगे होते हैं, तो ये उपकरण कहां से प्राप्त किये जाते हैं ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां।

(ख) योजना १९४८ में चालू की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत कुछ छंटे हुए पोतों को, जिन में मौसम जानने सम्बन्धी साधारण उपकरण लगे हुए हैं, बेतार के तार द्वारा मौसम का हाल दिन में चार बार तटीय अन्तरिक्ष-शास्त्रीय केन्द्रों को भेजना होता है। कुछ अन्य पोतों के साथ भी, जिन में ऐसे उपकरण नहीं लगे हुए हैं, ऐसी व्यवस्था है कि वे प्रार्थना करने पर या जब कभी आवश्यक हो मौसम का हाल भेजते हैं।

(ग) कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई में स्थित मौसम बतलाने वाले कार्यालय।

(घ) पोतों में मौसम जानने सम्बन्धी साधारण उपकरण लगे हुए हैं, जैसे बैरोमीटर, बैरोग्राफ़, साइक्रोमीटर आदि। इन में से कुछ

संयुक्त राजतन्त्र से खरीदे गये थे और कुछ भारत अन्तरिक्ष शास्त्र विभाग में बनाये गये थे ।

डाक्टरी शिक्षा

*६०७. **पंडित लिंगराज मिश्र :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगी कि भारत में डाक्टरी शिक्षा की पाठचर्चाओं के एकीकरण की योजना की साधारण रूपरेखा क्या है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : भारत में डाक्टरी शिक्षा की पाठचर्चाओं के एकीकरण की कोई योजना नहीं है ।

खड़गपुर में रेलवे के दूकानदार

*६०९. **श्री एन० बी० चौधरी :** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या खड़गपुर के रलव अहाते में कई सौ दूकानदारों ने छोटी दुकानों के किराये बढ़ाये जाने के विरोध के रूप में अपनी दूकानों के किराये का भुगतान करना बंद कर दिया है; तथा

(ख) यदि हां, तो खड़गपुर के दूकानदार संघ के अभ्यावेदन पर सरकार ने क्या फैसला किया है ।

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) खड़गपुर में रेलवे के अहाते में ६२४ दूकानदारों में से ७० ने किरायों में वृद्धि होने के विरोध के रूप में किराया देना बन्द कर दिया है ।

(ख) खड़गपुर के दूकानदार संघ के अभ्यावेदन पर फैसला यह किया गया है कि दूकानदारों को बढ़ा हुआ किराया देना चाहिये । किरायों में वृद्धि रेल प्रशासन तथा खड़गपुर के व्यापारी संघ में समझौता होने के बाद ही की गई थी ।

डाक तथा तार विभाग में अनुसूचित जाति के कर्मचारी

*६१२. **श्री गणपति राम :** क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५२ में खोले गये नये डाक तथा तार घरों की कुल संख्या (राज्यवार); तथा

(ख) उक्त कालावधि में कितने कर्मचारी रखे गये तथा भारत सरकार द्वारा कितना व्यय किया गया ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) सदन पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४६]**

(ख) जानकारी मांगी गई है तथा यथा समय सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन

*६१६. **श्री विश्वनाथ रेड्डी :** क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को नये रूप से बनाने का कार्य कब प्रारम्भ किया जायेगा और उस के कब तक पूरा होने की आशा है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : ख्याल है कि यह कार्य वर्ष १९५३–५४ में प्रारम्भ किया जायेगा और वर्ष १९५४–५५ में पूरा हो जायेगा ।

पशु प्रदर्शनियों के लिये परिवहन सुविधाएं

*६१७. **श्री अनिरुद्ध सिन्हा :** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि रेल प्रशासन पशु प्रदर्शनियों के लिये जाने वाले पशुओं के परिवहन की सुविधाएं दिया करता था

(ख) यदि हां, तो किस रूप में ;

(ग) क्या यह सच है कि अब पशु-को पशु प्रदर्शनियों के लिये रेलवे

द्वारा पशु ले जाने के सम्बन्ध में कोई सुविधा किसी भी रूप में नहीं दी जाती तथा यदि हां, तो कब से;

(घ) क्या रेल प्रशासन को अखिल भारतीय पशु पालक सम्मेलन तथा अन्य संस्थाओं से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिसमें यह प्रार्थना की गई है कि इन सुविधाओं का दिया जाना पुनः चालू कर दिया जाये; तथा

(ङ) यदि हां, तो रेल प्रशासन द्वारा अब तक क्या विनिश्चय किये गये हैं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) सम्भवतः माननीय सदस्य का निर्देश उन रियायतों की ओर है जो रेलवे द्वारा पशु प्रदर्शनियों में ले जाये जाने वाले पशुओं के परिवहन के सम्बन्ध में दी जाती हैं। यदि ऐसा है तो उत्तर स्वीकारात्मक है।

(ख) (१) सवारी गाड़ी से :

जाते समय	पूरा भाड़ा।
वापस आते समय	१० रुपये प्रति गाड़ी के न्यूनतम किराये तथा कुछ अन्य शर्तों के अधीन रहते हुए, सामान्य किराये का दसवां भाग लिया जाता था

(२) मालगाड़ी से :

जाते समय	पूरा भाड़ा।
वापस आते समय	कुछ शर्तों के अधीन रहते हुए, कोई किराया नहीं लिया जाता था।

(ग) सवारी गाड़ी में दी जाने वाली रियायत तो सन् १९४२ में समाप्त कर दी गई; हां, मालगाड़ी में रियायत दी जानी अभी भी जारी है।

(घ) रेल प्रशासन को अखिल भारतीय पशु पालक सम्मेलन या अन्य संस्थाओं से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुए हैं। हां, रेलवे बोर्ड को अखिल भारतीय पशु प्रदर्शनी से अभ्यावेदन अवश्य मिले हैं जिन में सवारी गाड़ी में भी रियायतों के पुनः चालू किये जाने की प्रार्थना की गई है।

(ङ) सरकार सवारी गाड़ियों में भी रियायत पुनः चालू करने के लिये तैयार नहीं है।

उत्तर-पूर्व सीमान्त एजेन्सी (विकास)

४१५. श्री भीखा भाई : क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) उत्तर-पूर्व सीमान्त एजेन्सी के विकास पर १९४८ से किया गया कुल व्यय; तथा

(ख) उत्तर-पूर्व सीमान्त एजेन्सी के विकास की विभिन्न मदों पर अब तक हुआ कुल व्यय ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क) १९४८–४९ से १९५२–५३ तक हुआ कुल व्यय—१,५६,९९,४०३ रुपये।

(ख) १. वन, कृषि, चिकित्सा तथा शिक्षा विभाग पर हुआ राजस्व व्यय—

वर्ष	रुपये
१९४८–४९	६,९५,५७२
१९४९–५०	९,८५,५८६
१९५०–५१	१३,०६,६५४
१९५१–५२	२०,२८,७००
१९५२–५३	१७,९१,५००

(नवीनतम अनुमानित व्यय)

२. विकास भवनों तथा सड़कों पर पूंजीगत व्यय—

	भवन	सड़क
वर्ष	रुपये	रुपये
१९४८–४९	६,७७,५८७	४,७२,२०६

वर्ष	भवन रुपये	सड़क रुपये	कुल योग
१९४९–५०	१०,२२,६९७	६,८२,५५४	११,४९,७९३
१९५०–५१	१,८७,९३१	१४,२७,०००	१७,०५,२५१
१९५१–५२	१,६८,४१६	१२,२०,०००	१६,१४,९३१
१९५२–५३	२१,३३,०००	९,००,०००	१३,८८,४१६
			३०,३३,०००

बनारसी साड़ियां

४१६. **श्री गणपति राम:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) १९५१ तथा १९५२ में स्थानीय कारीगरों द्वारा तैयार की गई बनारसी साड़ियों का कुल मूल्य;

(ख) विदेशों को निर्यात की कुल मात्रा;

(ग) किन किन देशों में इन साड़ियों का बाजार अच्छा है;

(घ) क्या निर्यात की गई साड़ियों पर पाकिस्तान सरकार ने कोई शुल्क लगाया है और यदि लगाया है, तो कितना;

(ङ) उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार ने क्या पग उठाये हैं या उठाने का विचार किया है; तथा

(च) बनारसी साड़ियां तैयार करने वाले मुख्य सार्थ कौन-कौन से हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) अनुमान है कि बनारसी रेशम तथा जरी उद्योग द्वारा प्रति वर्ष कोई ४ से लेकर ४½ करोड़ रुपये तक का माल तैयार किया जाता है। १९५१ तथा १९५२ के वास्तविक आंकड़े प्राप्य नहीं हैं।

(ख) अनुमान है कि प्रति वर्ष कोई ५० लाख रुपये के माल का निर्यात किया जाता है।

(ग) लंका, पाकिस्तान, बर्मा, मलाया फीजी, मिस्र, संयुक्त राजतन्त्र तथा संयुक्त राज्य अमेरिका।

(घ) जी हां। पाकिस्तान की १९५० की शुल्क सूची के अनुसार बनारसी कपड़े पर ५० प्रतिशत यथामूल्य तथा २ रुपये प्रति पौंड तथा कुल शुल्क का ½ भाग राजस्व शुल्क के रूप में लिया जाता है। यह कुल मिला कर कोई ८० प्रतिशत बैठता है।

(ङ) उत्तर प्रदेश की सरकार साड़ियों में प्रयोग किये जाने वाले स्वर्ण तारों की मान स्थापना करने, जरी की किस्म की मान स्थापना करने तथा बुनकरों को कच्चा माल खरीदने के लिये वित्तीय सहायता देने के प्रश्न पर विचार कर रही है।

(च) इस उद्योग में संलग्न सार्थों की एक सूची सदन पटल पर रखी जाती है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४७]**

पश्चिमी जर्मनी के साथ व्यापार करार

४१७. **श्री एम० एल० द्विवेदी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत तथा जर्मनी के संघानीय गणराज्य के बीच ६ नवम्बर, १९५२ को हस्ताक्षरित व्यापार करार में भारतीय उद्योगों के लिये क्या टैक्नीकल सहायता दी जाने का उपबन्ध है ?

(ख) जिन वस्तुओं के भारत से पश्चिमी जर्मनी में आयात की अबाध रूप से अनुमति होगी, उन के बदले में किन किन वस्तुओं का पश्चिमी जर्मनी से भारत में आयात अनुमत होगा ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) माननीय सदस्य का ध्यान श्री एस० सी० सामन्त द्वारा दिनांक

३ मार्च, १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ४४८ के भाग (घ) तथा उस के सम्बन्ध में दिये गये मेरे उत्तर की ओर दिलाया जाता है ।

(ख) व्यापार करार में पश्चिमी जर्मनी से भारत में आयात की जाने वाली वस्तुओं का उल्लेख नहीं है ।

एशिया तथा सुदूर पूर्व के लिये आर्थिक आयोग की गृह-निर्माण सम्बन्धी वर्किंग पार्टी

४१८. **श्री एस० सी० सामन्त** : (क) क्या **निर्माण, गृह-निर्माण तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि एशिया तथा सुदूर पूर्व के लिये आर्थिक आयोग की वर्किंग पार्टी की, जिस की नवम्बर १९५२ में नई दिल्ली में बैठक हुई, गृह निर्माण तथा गृह निर्माण सम्बन्धी सामान के बारे में क्या सिपारिशें हैं ?

(ख) पार्टी में भारत से किन का प्रतिनिधित्व था ?

(ग) क्या सरकार ने इस विषय में कोई पग उठाया है या उठाने का इरादा रखती है ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) सदन पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबंध संख्या ४८**]

(ख) क्योंकि दिल्ली में जो बैठक हुई थी वह एशिया तथा सुदूर पूर्व के लिये आर्थिक आयोग की अन्तर्सचिवालय वर्किंग पार्टी की थी, अतः उस में किसी देश के प्रतिनिधि नहीं थे । हां, मेरे मंत्रालय के ज्येष्ठ पदाधिकारियों ने निमन्त्रण पर कुछ एक बैठकों में भाग लिया था ।

(ग) वर्किंग पार्टी ने अपनी सिपारिशें अनुसमर्थनार्थ एशिया तथा सुदूर पूर्व के लिये आर्थिक आयोग के ९ वें अधिवेशन में. जो कि गत मास बन्दुंग में हुआ था, प्रस्तुत कर दी थीं । सरकार को इस विषय में जो कुछ पग उठाने होंगे उन पर वह उक्त आयोग की सिपारिशें प्राप्त होने के बाद विचार करेगी ।

भेड़ का गोश्त, चमड़ी तथा खालें (निर्यात)

४१९. **श्री मूलन सिन्हा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) गत दो वर्षों में भारत से निर्यात किये गये भेड़ के गोश्त, चमड़े तथा खालों के निर्यात की स्थिति; तथा

(ख) क्या कोई ऐसे उपाय भी हैं जिन के द्वारा इन वस्तुओं का निर्यात सीमित कर के इन का देश में अधिक लाभप्रद ढंग से उपयोग किया जा सके ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) सदन पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिस में चमड़े तथा खालों के सम्बन्ध में अपेक्षित जानकारी दी गई है । जहां तक भेड़ के गोश्त का सम्बन्ध है, उसके निर्यात के बारे में अलग आंकड़े नहीं रखे जाते ।

(ख) जहां आवश्यक समझा गया है, वहां निर्यात को स्थानीय उद्योग के हितार्थ सीमित कर दिया गया है ।

औद्योगिक गृह-निर्माण योजना

४२०. **श्री विट्टल राव** : क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत सरकार की औद्योगिक गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत राज्यों में १९५२ में निर्मित मकानों की कुल संख्या, राज्यवार तथा उद्योगवार;

(ख) कर्मचारियों की सहकारी संस्थाओं द्वारा बनाये गये मकानों की संख्या;

(ग) विभिन्न राज्यों को स्वीकृत अर्थ-साहाय्य तथा ऋण की कुल राशि, तथा राज्यों और मालिकों द्वारा व्यय की गई धनराशि, राज्यवार तथा उद्योगवार;

(घ) औद्योगिक कर्मचारियों की प्रतिशतता जिन के लिये अब भी मकानों की समुचित व्यवस्था नहीं हुई है; तथा

(ङ) १९५३ में बनाये जाने वाले मकानों की संख्या तथा भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अर्थसाहाय्य तथा ऋणों की राशि, राज्यवार तथा उद्योगवार ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) सदन पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिए परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ५०]**

(ख) कोई नहीं।

(ग) तथा (ङ). सदन पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिस में १९५२ तथा १९५३ में (अब तक) राज्य सरकारों तथा मालिकों को अर्थसाहाय्य प्राप्त औद्योगिक गृह निर्माण योजना के सम्बन्ध में स्वीकृत ऋण तथा अर्थसाहाय्य की राशियां बतलाई गई हैं। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ५१]**। ३१ दिसम्बर, १९५२ तक राज्य सरकारों तथा मालिकों द्वारा कुछ भी व्यय नहीं किया गया।

वर्ष १९५३–५४ में २८,५०० मकान बनाये जाने का विचार है।

(घ) जानकारी उपलब्ध नहीं है, परन्तु यह सुविदित है कि औद्योगिक क्षेत्रों में मकानों की बहुत कमी है।

पंचवर्षीय योजना के लिये उपकरण तथा टैक्नीकल सेवाएं

४२१. डा० अमीन : क्या **योजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना में उपबन्धित २,०६९ करोड़ रुपये की कुल राशि में से सरकार ने कितनी राशि विदेशों से उपकरणों का आयात करने तथा टैक्नीकल सेवाएं प्राप्त करने पर व्यय की है या करने का विचार है; तथा

(ख) सरकार ने कितनी धनराशि स्थानीय उपकरणों के क्रय पर तथा देश में प्राप्य टैक्नीकल सेवाओं पर व्यय की है या करने का विचार है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) तथा (ख). अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सदन पटल पर रख दी जायगी।

विकास परिषद्

४२२. श्री के० सी० सोधिया : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अब तक स्थापित की गई दो विकास परिषदों में कौन कौन सदस्य हैं ?

(ख) उन के अधिकार में प्रति वर्ष लगभग कितनी धनराशि छोड़ी जाती है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) सदन पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ५२]**

(ख) ५०,००० रुपये।

फ़िल्मस डिवीज़न का सिनेमा हाल

४२३. श्री बादशाह गुप्त : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) फिल्म्स डिवीज़न के सिनेमा हॉल पर किया गया वार्षिक व्यय; तथा

(ख) अब तक तैयार किये गये हिन्दी के सच्ची घटना वाले फ़िल्म ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर):

(क) १९५०–५१ ११,७०८ रुपये
१९५१–५२ १२,१८० रुपये

(ख) फ़िल्म्स डिवीज़न जिन जिन भाषाओं में सच्ची घटनाओं वाली फ़िल्में बनाता है उन में हिन्दी भी एक है। सदन पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिस में उन फ़िल्मों की तफ़सील दी गई है जो फ़िल्म्स डिवीज़न ने अब तक बनाये हैं। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ५३]**

सरकारी कोयला खानों से उत्पादन

४२४. **श्री झुनझुनवाला** : क्या **उत्पादन मंत्री** सदन पटल पर निम्नलिखित के सम्बन्ध में आंकड़े रखने की कृपा करेंगे —

(१) गत तीन वर्षों में सरकारी कोयला खानों से निकाला गया कोयला, ग्रेडवार; तथा

(२) गत तीन वर्षों में इन खानों से भिन्न भिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं को भेजा गया प्रत्येक ग्रेड का कोयला ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (१) आंकड़े ये हैं :—

	१९४९-५०	१९५०-५१	१९५१-५२
सलैक्टेड ए	३७३,९६०	३२६,०९७	२२९,२२७
सलैक्टैड बी	—	—	२२३,०६४
*ग्रेड १	२,२९४,८०३	२,०६१,६६१	२,३७४,८१८
†ग्रेड २	२६३,९१३	२१९,५९५	३०६,८८७
ग्रेड ३ ए	—	—	१६,८३७
ग्रड ३ बी	—	—	४,८३८
कुल योग	२,९३२,६७६,	२,६०७,३५३	३,१५५,६७१

*इनके अन्तर्गत मध्य प्रदेश की कुरसिया कोयला खान से निकाला गया कोयला भी सम्मिलित है।

†इस के अन्तर्गत उड़ीसा की तलचर तथा दिउलबेरा कोयला खानों से निकाला गया कोयला भी सम्मिलित है।

नोट:—केवल बंगाल, बिहार कोयला क्षेत्रों में से निकाले गये कोयले की ग्रेड बनाई गई हैं। तलचर तथा दिउलबेरा कोयला खानों से निकाला गया कोयला करीब करीब ग्रेड २ के समान है और कुरसिया का ग्रेड १ के समान।

(२) भिन्न भिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं को भेजे गये प्रत्येक ग्रेड के कोयले के सम्बन्ध में आंकड़े इकट्ठे किये जा रहे हैं और सदन पटल पर रख दिये जायेंगे।

चाय के बाग

४२५. **श्री एम० स्लामुद्दीन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) १९४८ और १९५३ में भारत के भिन्न भिन्न राज्यों में पूर्ण रूप से भारतीयों तथा विदेशियों के स्वामित्व वाले चाय बागों की अलग अलग संख्या ;

(ख) उक्त वर्षों में भारतीय तथा विदेशियों के संयुक्त स्वामित्व वाले बागों की संख्या; तथा

(ग) उक्त वर्षों में चाय उद्योग में सेवायुक्त मज़दूरों की कुल संख्या ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख). भारतीय तथा विदेशियों के पूर्ण या संयुक्त स्वामित्व वाले चाय के बागों की संख्या के बारे में ठीकठीक जानकारी प्राप्त नहीं है। सदन पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिस में यह बतलाया गया है कि भारत के भिन्न भिन्न राज्यों में ३१ मार्च, १९४८ तथा ३१ मार्च, १९५२ को कितने कितने चाय के बाग थे। वर्ष १९५२–५३ के बारे में आंकड़े अभी संकलित नहीं किये गये हैं।

(ग) चाय के बागों में १९४८, १९४९ तथा १९५० में मज़दूरों की संख्या इस प्रकार थी :

१९४८	९६८,९९३
१९४९	८८५,६१६
१९५०	१,०३३,०५७

बाद के वर्षों के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

विवरण

राज्य	प्रत्येक राज्य में चाय के बागों की संख्या	
	३१ मार्च, १९४८को	३१ मार्च १९५२ को
आसाम	७८३	७८७
बंगाल	२९६	२९६
बिहार	९	९
उत्तर प्रदेश	४५	४५
पंजाब (कांगड़ा)	८९२	९२७
हिमाचल प्रदेश	१७४	१८९
त्रिपुरा	५५	५५
नैपाल	१	१
उत्तर भारत में कुल	२,२५५	२,३०९
मद्रास तथा कुर्ग	२,६७०	२,७९४
मैसूर	१२	१२
त्रावनकोर-कोचीन	१,१०५	१,१२६
दक्षिण भारत में कुल	३,७८७	३,९३२
अखिल भारत में कुल	६,०४२*	६,२४१

†इस के अन्तर्गत सिल्हट के ११० और चिटगांव के २४ चाय के बाग, जो अब पाकिस्तान में हैं, सम्मिलित नहीं हैं ।

पाकिस्तान के साथ व्यापार

४२६. **श्री एम० इस्लामुद्दीन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) १९५२ में कौन कौन सी वस्तुएं भारत से पाकिस्तान तथा पाकिस्तान से भारत भेजी गईं; तथा

(ख) उक्त प्रत्येक वस्तु का परिमाण तथा मूल्य ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) मैं माननीय सदस्य का ध्यान १७ जून, १९५२ को डा० राम सुभग सिंह द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या १९१ के सम्बन्ध में दिय गये उत्तर की ओर दिलाता हूं ।

(ख) सदन पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें मुख्य मुख्य वस्तुओं के सम्बन्ध में अपेक्षित जानकारी दी गई है ।**[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ५४]**

रेशमी कपड़ा (निर्यात)

४२७. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) १९५२ में भारत से निर्यात किये गये रेशमी कपड़े का मूल्य;

(ख) भारतीय रेशमी कपड़े के खरीदार और सम्भावी खरीदार देश; तथा

(ग) विदेशों में इस की बिक्री बढ़ाने के लिये सरकार द्वारा उठाये जाने वाले पग ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) १५,९०,००० रुपये ।

(ख) मलाया का फैडरेशन, लंका, सिंगापुर, सौदि अरब, संयुक्त राज्य अमेरिका, कुवैत, बहरीन टापू, बर्मा, पाकिस्तान आदि ।

(ग) जहां कहीं संभव होता है, विदेशों के साथ किये जाने वाले द्विपक्षीय व्यापार करारों के अन्तर्गत भारतीय रेशमी कपड़ा सम्मिलित कर लिया जाता है । भारतीय रेशम की वस्तुएं व्यापार प्रदर्शनियों तथा मेलों में प्रदर्शनार्थ विदेश भी भेजी जाती हैं । हमारे दूतालयों तथा मिशनस को भारतीय रेशम के

सामान की बिक्री बढ़ाने का अनुदेश दिया गया है ।

रेशमी-सूत

४२८. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) १९५२ में भारत में आयात किये गये विदेशी रेशमी सूत की मात्रा तथा मूल्य;

(ख) रक्षा विभाग द्वारा पैराशूट आदि बनाने में प्रयुक्त की गई मात्रा तथा जन-साधारण के उपयोग में आई हुई मात्रा;

(ग) भारत में रेशमी सूत की कुल वार्षिक खपत और भारत में पैदा की गई मात्रा; तथा

(घ) रेशमी सूत के विषय में भारत को आत्मनिर्भर होने में कितना समय लगेगा ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : ख्याल है कि प्रश्न का निर्देश कच्चे रेशम की ओर है । उत्तर भी यही समझ कर तैयार किया गया है ।

	मात्रा	मूल्य
(क)	(पौण्ड)	(रुपये)
	३,६९,२५४	८५,७९,०००

(ख) १९५२ में भारत में कच्चे रेशम की कुल खपत का अनुमान कोई २५ लाख पौंड लगाया जाता है । रक्षा सेवाओं के सम्बन्ध में जानकारी प्रकट करना लोक हित के लिये इष्टकर नहीं होगा ।

(ग) वर्तमान प्राक्कलनों के अनुसार भारत में कच्चे रेशम की सामान्य खपत प्रति वर्ष २५ लाख और ३० लाख पौंड के बीच है । १९५३ में देशी कच्चे रेशम के उत्पादन का अनुमान कोई २५ लाख पौंड लगाया जाता है ।

(घ) इस समय कुछ कहना कठिन है ।

कपड़े का आयात

४२९. **ज्ञानी जी० एस० मुसाफिर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में भारत में कितने तथा कितने मूल्य के सूती, रेशमी तथा अन्य किस्मों के कपड़े का आयात हुआ ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : सदन पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ५५**].

अनाजों का निर्गम मूल्य

*४३०. **श्री दाभी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) प्रत्येक राज्य में के संविहित तथा असंविहित क्षेत्रों में राशन की दूकानों पर प्रत्येक प्रकार के अनाज का १ जनवरी, १९५३ को निर्गम मूल्य;

(ख) प्रत्येक राज्य में उचित मूल्य पर अनाज बेचने वाली दूकानों पर प्रत्येक प्रकार के अनाज का १ जनवरी, १९५३ को निर्गम मूल्य; तथा

(ग) प्रत्येक राज्य में प्रत्येक प्रकार के अनाज का १ जनवरी, १९५३ को बाजार मूल्य ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री किदवई) : (क) से (ग). सदन पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ५६**]

राजस्थान में डाकघर

४३१. **श्री भीखा भाई** : क्या **संचरण** मन्त्री सदन पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें ये बातें बतलाई गई हों—

(१) वर्ष १९५३–५४ में राजस्थान में कितने डाक घर खोले जाने की प्रस्थापना है;

(२) राजस्थान में मिले जुले डाक तथा तारघरों की संख्या तथा नाम; तथा

(३) राजस्थान में बहिर्विभागीय डाक घरों की संख्या तथा नाम ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (१) से (३)। जहां तक राजस्थान का सम्बन्ध है, २००० या इससे अधिक जनसंख्या वाले स्थानों में डाक घर खोलने का कार्यक्रम पूरा हो चुका है। डाक तथा तार सम्बन्धी सुविधाओं का जनसंख्या तथा दूरी का ध्यान रखते हुए अग्रेतर विस्तार करने की नीति अभी लागू की जानी है। अतः सरकार इस समय १९५३–५४ के बारे में माननीय सदस्य द्वारा पूछी गयी जानकारी देने की स्थिति में नहीं है।

ग़ैर सरकारी रेलवे लाइनें

४३३. **श्री एच० एन० मुकर्जी :** क्या **रेल** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) प्रत्येक गैर-सरकारी रेलवे लाइन का नाम तथा उस के सरकार द्वारा खरीदे जाने का वर्ष;

(ख) ऐसी प्रत्येक लाइन के लिये दी गई धनराशि ;

(ग) उपरोक्त भाग (ख) में निर्दिष्ट राशि फैलाने का आधार;

(घ) क्या खरीदी गई सब रेलवे लाइनों के हिसाब बन्द किये जा चुके हैं; तथा

(ङ) यदि उपरोक्त भाग (घ) का उत्तर नकारात्मक है, तो कितनी राशि दी जानी शेष है, किस रेलवे की है और कब दी जायगी ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) से (ङ)। अन्तिम दो भागों में मांगी जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथा समय सदन पटल पर रख दी जायगी। खेद है कि बाकी जानकारी इकट्ठी करना व्यवहार्य नहीं है क्योंकि इसके लिये तो सन् १८८० तक के रेकार्ड की जांच करनी पड़ेगी।

उदयपुर का हवाई अड्डा

४३४. **श्री बलवन्त सिंह महता :** (क) क्या **संचरण** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि उदयपुर के हवाई अड्डे का निर्माण कार्य हाथ में ले लिया गया है ?

(ख) यदि हां, तो अब तक उस पर कितना धन व्यय हो चुका है ?

(ग) वर्ष १९५३–५४ में उस पर व्यय किये जाने के लिये कितने रुपये की व्यवस्था की गई है ?

(घ) सम्पूर्ण योजना पर कितने धन के व्यय किये जाने की प्रस्थापना है ?

(ङ) यह योजना कितने वर्षों में पूरी हो जायगी ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी नहीं। इस विषय पर विचार हो रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) काम शुरू करने के लिये २०,००० रुपये की व्यवस्था की गई है। और अधिक धन बाद में आवश्यकतानुसार दिया जाता रहेगा।

(घ) योजना की अनुमानित लागत ७ लाख ५३ हजार रुपये है।

(ङ) इस समय यह कहना सम्भव नहीं है। कि काम कब तक समाप्त होगा। उदयपुर में एक हवाई अड्डे के निर्माण को प्राथमिकता देने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

निःशुल्क सहायता के लिये राज्यों को खाद्यान्न की प्रदाय

४३५. श्री बी० के० दास : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) १९५२ में भिन्न-भिन्न राज्यों को अपने संकट ग्रस्त क्षेत्रों में निःशुल्क सहायता देने या रियायती मूल्य पर बेचने के लिये कुल कितना चावल तथा गेहूं दिया गया ;

(ख) सरकार द्वारा उस पर कुल कितना व्यय किया गया; तथा

(ग) केन्द्रीय सरकार की निधि में से कितना अंश पूरा किया गया ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) निःशुल्क सहायता अथवा रियायती दरों पर विक्रय के लिये किसी राज्य को खाद्यान्न की पृथक् मात्रा नहीं दी गई है । हां, छ राज्य सरकारों ने कुछ खाद्यान्न का इस प्रयोजनार्थ उपयोग किया था, परन्तु उसकी मात्रा के बारे में ठीक ठीक आंकड़े अभी प्राप्य नहीं हैं ।

(ख) इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्य नहीं है और इकट्ठी की जा रही है ।

(ग) केन्द्र मद्रास तथा सौराष्ट्र द्वारा निःशुल्क सहायता पर व्यय की गई राशि का ५० प्रतिशत भाग सहन करने को पहले ही तैयार हो चुका है, परन्तु शर्त यह है कि वह मद्रास और सौराष्ट्र को क्रमशः ४८ लाख तथा २५ लाख रुपये से अधिक नहीं देगा । केन्द्र यह बात भी स्वीकार कर चुका है कि वह (१) आसाम (केन्द्र का अनुमानित दायित्व २०.५७ लाख रुपये),

(२) पश्चिमी बंगाल (केन्द्र का अनुमानित अंश २८.५८ लाख) और (३) मनीपुर (केन्द्र का अनुमानित अंश ४०,००० रुपये) के अभाव ग्रस्त क्षेत्रों में संकटग्रस्त लोगों को सस्ते दामों पर राशन देने में हुए नुकसान को भी सहन करेगा । पश्चिमी बंगाल की सरकार द्वारा अधिक सहायता के लिये की गई इस प्रार्थना पर विचार किया जा रहा है कि रियायती मूल्य पर खाद्यान्न बेचने तथा निःशुल्क खाद्य सहायता देने पर हुए व्यय का कुछ भाग केन्द्र उठाये ।

पटसन उत्पादन

४३६. डा० राम सुभग सिंह : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) वर्ष १९५२ में कुल कितनी एकड़ भूमि पर पटसन उत्पादित किया जाता था (राज्यवार)

(ख) कुल कितना पटसन उत्पादित किया गया; तथा

(ग) वर्ष १९५३ में कितनी एकड़ भूमि पर पटसन की खेती करने का लक्ष्य है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) तथा (ख)। सदन पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है ।

(ग) वैसे तो राज्य सरकारों ने यह बतलाया है कि उन्हें आशा है कि १९५३ में पटसन की खेती के अन्तर्गत ९४,००० एकड़ भूमि बढ़ाई जा सकेगी, परन्तु इसको लक्ष्य नहीं समझा जा सकता क्योंकि मौसम तथा कीमतों पर बहुत कुछ बात निर्भर होगी । योजना के अनुसार वर्ष १९५५–५६ तक २० लाख एकड़ भूमि पर पटसन की खेती करने का लक्ष्य है ।

विवरण

भारत में वर्ष १९५२-५३† में पटसन की खेती के अन्तर्गत भूमि

राज्य	क्षेत्रफल [००० एकड़)	उत्पादन (४०० पौंड की ००० गांठें]
	(क)	(ख)
आसाम*	३१७	९२५

बिहार (विलीन क्षेत्रों के अतिरिक्त)	४६०	८७९
उड़ीसा	११७	२५६
उत्तर प्रदेश	८०	१६४
पश्चिमी बंगाल*	८३६	२,४१३
त्रिपुरा	२४	५८
पूर्ण योग.	१,८३४	४,६९५

*इसमें मेस्टा की भी बहुत थोड़ी मात्रा शामिल है ।

†ये अन्तिम अनुमानित आंकड़े हैं और इसलिये इनमें फ़ेरफ़ार भी हो सकती है ।

छोटे सिंचाई कार्य

४३७. डा० राम सुभग सिंह : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) वर्ष १९५२–५३ में छोटे सिंचाई कार्यों के लिये राज्य सरकारों को दी गई सहायता की राशि; तथा

(ख) क्या इस प्रकार दी गई राशियां पूर्ण रूप से व्यय हो गई हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) अब तक ९१०.३८ लाख रुपये के ऋण तथा २०३.१३ लाख रुपये के अनुदान की मंज़ूरी दी गई है ।

(ख) यह जानकारी ३० जून, १९५३ से पहले प्राप्त नहीं होगी ।

खाद्य तथा कृषि संस्था

४३८. श्री ए० सी० गुहा : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) खाद्य तथा कृषि संस्था द्वारा चालू की गई योजनाओं तथा अनुसंधानों की संख्या;

(ख) ये कहां कहां किये जा रहे हैं; तथा

(ग) यदि कोई वित्तीय सहायता दी गई है, तो उसकी राशि ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) २३, जिसमें से ९ पूरे हो चुके हैं ।

(ख) सदन पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ५७**]

(ग) खाद्य तथा कृषि संस्था ने २,३४,५६२ रुपये चावल के प्रसंकरण सम्बन्धी एक योजना के लिये दिये हैं। अन्य योजनाओं के लिये सहायता विशेषज्ञों, उपकरण तथा प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था करने के रूप में दी गई है । इन पर हुए व्यय के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्य नहीं है ।

नौचालन तथा इंजीनियरिंग कालेज, बम्बई

४३९. श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या **यातायात** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार का विचार बम्बई के नौचालन तथा इंजीनियरिंग कालेज के प्रारम्भ से अब तक की रिपोर्ट सदन पटल पर रखने का है, जिसमें निम्न बातों की ओर विशेष निर्देश हो—

(१) प्रति वर्ष दाखिल हुए विद्यार्थियों की संख्या तथा उनकी संख्या जो इस कालेज से हर साल पास हुए :

(२) भारत सरकार द्वारा इस कालेज पर प्रति वर्ष कितना धन व्यय किया गया,

(३) किन किन विषयों में शिक्षा दी जाती है,

(४) कालेज के प्रत्येक वर्ग के कर्मचारियों की संख्या, विदेशी राष्ट्रजनों का उल्लेख करते हुए;

(५) कालेज में शिक्षा पाने विदेशी राष्ट्रजनों की संख्या; तथा

(ख) क्या हाल ही में कालेज के करणों में कोई वृद्धि की गई है तथा यदि की गई है, तो क्या-क्या उपकरण मंगाये गये, उन पर कितनी लागत आई तथा वे कहां कहां से मंगाये गये ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) सदन पटल पर एक टिप्पण रखा जाता है जिसमें माननीय सदस्य द्वारा अपेक्षित जानकारी दी गई है। [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ५८**]।

(ख) वर्ष १९५२–५३ में इंजन मौडल्स गाइरोस्कोप, ईको साउण्डर तथा रडार युक्त राजतन्त्र से खरीदे गये हैं जिनका मूल्य कोई १,०१,३५० रुपये है। कोई १०,४०० रुपये के मूल्य का प्रयोगशाला का तथा अन्य प्रकार का उपकरण भारत में खरीदा गया है।

श्रम मंत्री का त्रावनकोर-कोचीन में आगमन

४४०. श्री वी० पी० नायर : क्या श्रम मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या वह १९५२ के उत्तरार्द्ध में त्रावनकोर-कोचीन राज्य गये थे; तथा

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो क्या वह उन श्रम तथा अन्य संगठनों की एक सूची सदन पटल पर रखेंगे जिनका कि उन्होंने अपने त्रावनकोर कोचीन के दौरे में निरीक्षण किया था ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) जी हां।

(ख) २२ अक्तूबर, १९५२ को मैंने भारतीय व्यापार मंडल, कोचीन का निरीक्षण किया था और केरल औद्योगिक सम्बन्ध संस्था के विद्यार्थियों की एक बैठक में भाग लिया था। २३ अक्तूबर, १९५२ को (१) त्रावनकोर सीमेन्ट वर्कर्स यूनियन, कोटयम, (२) कोचीन शुरामुधा तोज़ीलाली संघ, मैटनचरी कोचीन; तथा (३) कोचीन पोर्ट कार्गो लेबर यूनियन, पैलुरुची, एरनाकुलम को इन्टरव्यू स्वीकृत किये गये थे।

चितरंजन का इंजन बनाने वाला कारखाना

४४१. श्री नम्बियार : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) चितरंजन के इंजन बनाने वाले कारखाने में भिन्न भिन्न वर्ग के कर्मचारियों की संख्या;

(ख) उनकी वेतन श्रेणियां।

(ग) ऐसे कर्मचारियों की संख्या जिन्हें क्वार्टर दे दिये गये हैं तथा भिन्न भिन्न प्रकार के क्वार्टरों में सुविधायें उपलब्ध कर दी गई हैं;

(घ) कर्मचारियों में से विदेशी राष्ट्रजनों के नाम, उनकी राष्ट्रीयता, पद, वेतन, भत्ते तथा अन्य विशेषाधिकारों सहित;

(ङ) क्या वेतन श्रेणियों तथा अन्य विशेषाधिकारों के विषय में एक से पद धारण करने वाले भारतीय और अभारतीय कर्मचारियों में कोई अन्तर है;

(च) क्या यह सच है कि इस कारखाने में काम करने के लिये पांच और अंग्रेज टैक्निशियन संयुक्त राजतन्त्र से बुलाये जा रहे हैं; तथा

(छ) यदि हां, तो उनके पद, वेतन श्रेणियां तथा भत्ते आदि क्या होंगे ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क), (ख) तथा (घ)। सदन पटल पर एक विवरण रखा जाता है, जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है। [**देखिये परिशिष्ट ४, अनबन्ध संख्या ५९**]

(ग) सब वर्गों के ४,३२६ कर्मचारियों को क्वार्टर दिये जा चुके हैं; अन्य कर्मचारियों को अभी क्वार्टरों की ज़रूरत नहीं है क्योंकि

या तो वे अपने परिवारों को चितरंजन नहीं लाये हैं या मैसों में रह रहे हैं। श्रेणी १ तथा २ के अधिकारियों को क्रमशः ५ तथा ४ कमरे वाले सीनियर तथा जूनियर प्रकार के क्वार्टर दिये गये हैं। श्रेणी ३ तथा ४ के कर्मचारियों को जो क्वार्टर दिये गये हैं उनमें प्रत्येक में दो से लेकर चार तक कमरे हैं। सभी क्वार्टरों में बिजली, नल तथा पाखानों आदि की व्यवस्था है। श्रेणी ३ व ४ के कर्मचारियों को दिये जाने वाले क्वार्टर का टाइप उनके वेतन पर निर्भर है।

(ङ) जी नहीं।

(च) जी हां। इंजन निर्माण के कुछ विशेष क्षेत्रों में सहायता देने के लिये कोलम्बो योजना के अन्तर्गत कुछ टैक्निशियनों (४ से लेकर ७ तक) की सेवायें प्राप्त करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

(छ) जिन टैक्निशियनों के बुलाय जाने की प्रस्थापना है वे या तो रेट पिक्चर्स हैं या आपरेटर डिमान्स्ट्रेटर्स। उन्हें भारत सरकार से कोई वेतन नहीं मिलेगा। हां, उन्हें खाना मुफ्त में मिलेगा और सजा सजाया मकान मिलेगा और १० रुपये प्रति दिन के हिसाब से निर्वाह भत्ता मिलेगा।

डाक तथा तार घर

४४२. श्री ए० एन० विद्यालंकार : क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) ३१ दिसम्बर, १९५२ को पंजाब के प्रत्येक जिले में—

(१) डाकघरों,

(२) तारघरों, तथा

(३) टेलीफोन कनैक्शनों की संख्या ;

(ख) वर्ष १९५२ में खोले गये नये डाकघरों की संख्या (जिलावार); तथा

(ग) भारत में उपरोक्त डाक तथा तार घरों की संख्या (राज्यवार) ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग)। सदन पटल पर दो विवरण, क और ख, रखे जाते हैं जिनमें अपेक्षित जानकारी दी गई है। [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६०**]

दक्षिण रेलवे के कर्मचारियों के लिये साम्प्रदायिक छुट्टियां

४४३. श्री नम्बियार : (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि दक्षिण रेलवे द्वारा अपने उन कर्मचारियों को, जो फैक्टरी एक्ट के अन्तर्गत नहीं आते, पोंगल, दीपावली, बड़ा दिन, नया साल, रमज़ान तथा ओनम जैसे त्यौहारों की साम्प्रदायिक छुट्टियां नहीं दी जा रही हैं तथा यदि हां, तो कब से ?

(ख) इस विशेषाधिकार के दिये जाने के क्या कारण हैं ?

(ग) इस विशेषाधिकार के न दिये जाने के सम्बन्ध में कर्मचारियों द्वारा किये गये अभ्यावेदनों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) से (ग)। सरकार को बतलाया गया है कि लाइन-स्टाफ़, अर्थात् कारखाने तथा कार्यालय के कर्मचारियों के अतिरिक्त कर्मचारियों को साम्प्रदायिक छुट्टी देने की प्रथा केवल पूर्व साउथ इन्डियन रेलवे में ही थी और मार्च १९५२ में दक्षिण रेलवे के जनरल मैनेजर ने ये अनुदेश जारी किये थे कि सम्पूर्ण रेल व्यवस्था के लिये तो एक सी ही प्रक्रिया होनी चाहिये। इस प्रक्रिया के अन्तर्गत कारखाने तथा कार्यालय के कर्मचारियों को छोड़ कर अन्य कर्मचारियों को कोई भी साम्प्रदायिक छुट्टी नहीं दी जाती। सरकार को अब इस आदेश को बदल देने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता।

होली फ़ैमिली हास्पिटल, दिल्ली

४४४. श्री माधव रेड्डी : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगी कि क्या केन्द्रीय सरकार ने होली फैमिली हास्पिटल को कोई सहायता दी है जो दिल्ली में दिल्ली शिमला के आर्क डियोसीज़ तथा मैडीकल मिशन सिस्टर्स द्वारा बनाया जा रहा है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : हां, सरकार ने मसीगढ़ दिल्ली में एक जनरल अस्पताल की स्थापना के लिये दो लाख रुपये का सहायक अनुदान स्वीकृत किया है जिसमें से १,७५,००० रुपये तो दिये भी जा चुके हैं।

पोषण सुविधायें

४४५. **श्री एम० आर० कृष्ण** : (क) क्या **श्रम** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या भारत की सरकारी फ़ैक्टरियां अपने आहत कर्मचारियों को पुनर्संस्थापन के लिये पोषण सुविधायें उपलब्ध कर रही हैं ?

(ख) कितनी फ़ैक्टरियां उक्त सुविधाएं प्रदान कर रही हैं तथा किन किन राज्यों में कर्मचारियों को यह सुविधायें प्राप्त हैं ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) तथा (ख)। सरकारी या असरकारी फ़ैक्टरियों में काम करने वाले ऐसे मज़दूरों को, जो कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, १९२३ के अन्तर्गत आते हैं, अपनी नौकरी के फ़लस्वरूप तथ्य के दौरान में हुई किसी दुर्घटना के कारण घायल होन पर क्षतिपूर्ति पाने का हक़ है। क्षतिपूर्ति की राशि चोट के स्वरूप तथा सम्बन्धित कर्मचारी की औसत मासिक मजूरी पर निर्भर होती है। जिन क्षेत्रों में १९४८ का कार्मचारियों का राज्य बीमा सम्बन्धी अधिनियम लागू है, वहां बीमा किये हुये मजदूरों को अंगहानि सुविधा के रूप में नियत-कालिक भुगतान किया जायेगा। घायल मज़दूर की मृत्यु हो जाने की दशा में, उसके आश्रितों को आश्रित सुविधायें प्राप्त करने का हक्क है। ये दोनों सुविधायें कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, १९२३ में उपबन्धित क्षतिपूर्ति के बदले में दी जाती हैं।

कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम जम्मू तथा काश्मीर राज्य को छोड़ कर शेष समस्त भारत में लागू है कानून के अन्तर्गत और किन्हीं पुनर्संस्थापन सुविधाओं के दिये जाने का उपबन्ध नहीं है। इस बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है कि क्या कोई सरकारी फ़ैक्टरी कोई विशेष सुविधायें देती है।

ओलों से फसल को क्षति

४४६. **श्री एस० एन० दास** : (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या देश के भिन्न-भिन्न राज्यों में ओलों के फ़लस्वरूप रबी तथा अन्य फ़सलों को क्षति पहुंची है तथा यदि पहुंची है, तो कितनी ?

(ख) क्षतिग्रस्त स्थानों का अनुमानित क्षेत्रफ़ल, प्रत्येक राज्य के पृथक् आंकड़े देते हुए, क्या हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) तथा (ख)। सदन पटल पर एक विवरण रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६१]**

उड़ान क्लब

४४७. **श्री टी० एस० ए० चेट्टियार** : क्या **सचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या भारत में उड़ान क्लबों की संख्या बढ़ाने का विचार हैं ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : सरकार के पास दो नये उड़ान क्लबों को अर्थसाहाय देने की योजना है—एक आसाम में और दूसरा राजस्थान में।

रेलवे कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

४४८. **श्री कास्लीवाल :** (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५१ तथा १९५२ में रेलों द्वारा अपने कर्मचारियों के लिये कुल कितने क्वार्टर बनवाये गये ?

(ख) कितने श्रेणी ४ के कर्मचारियों के लिये थे तथा कितने अन्य कर्मचारियों के लिये ?

(ग) इन क्वार्टरों के निर्माण पर कुल कितनी लागत आई ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) यह हिसाब रेलवे सम्बन्धी वार्षिक रिपोर्ट में जिसकी प्रतियां प्रत्येक वर्ष सदन के पुस्तकालय में रखी जाती हैं, वित्तीय वर्ष के अनुसार रखा जाता है । रेलवे द्वारा वर्ष १९५१–५२ में बनाये गये क्वार्टरों की संख्या, जैसी कि १९५१-५२ की रिपोर्ट में दिखलाई गई है, ६,४५८ है और ख्याल है कि कोई ८,००० क्वार्टर वर्ष १९५२–५३ में बन कर तैयार हो जायेंगे ।

(ख) उपरोक्त संख्या में से कोई ८० प्रतिशत क्वार्टर तो श्रेणी ४ के कर्मचारियों के लिये हैं और शेष श्रेणी ४ के अतिरिक्त कर्मचारियों के लिये ।

(ग) लगभग ६९९ लाख रुपये ।

कृषि शिक्षा

४४९. **श्री चिनारिया :** (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या कृषि-शिक्षा के समन्वय के लिये आदर्श पाठ्यक्रम तैयार हो गया है ?

(ख) क्या उसको कार्यान्वित करने के लिये कोई पुस्तकें लिखी गई हैं तथा यदि लिखी गई हैं, तो किस भाषा या भाषाओं में ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) भारतीय कृषि शिक्षा परिषद् ने एक ढांचा सुझाया है जिसके अन्तर्गत समस्त कृषि-विद्यालयों के पाठ्यक्रमों का पुनरीक्षण किया जा सके । ये सिफ़ारिशें राज्य सरकारों तथा उपकुलपतियों को भेज दी गई हैं ताकि एक आदर्श पाठयक्रम निर्धारित करने से पूर्व उनके सुझाव भी प्राप्त हो सकें ।

(ख) किन्हीं पुस्तकों के लिखे जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

त्रिवेन्द्रम तथा शेङ्कोटा के बीच शटिल गाड़ियां

४५०. **कुमारी एनी मस्करीन :** क्या **रेल** रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) त्रिवन्द्रम, क्विलान और शेङ्कोटा के बीच अब कितनी शटिल गाड़ियां चल रही हैं;

(ख) पहले कितनी चल रही थीं; तथा

(ग) शटिल गाड़ियों की संख्या में कमी, यदि कोई हुई हो, के कारण ?

रेल तथा यतायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) तथा (ख) । शङ्कोटा-क्विलान त्रिवेन्द्रम सेक्शन पर तारीख १–१–४६ से चलने वाली शटिल गाड़ियों की संख्या निम्न प्रकार है :—

एक शेङ्कोटा और पुनलूर के बीच दोनों ओर ।

दो पुनलूर और क्विलन के बीच दोनों ओर ।

चार क्विलन और त्रिवेन्द्रम सैंट्रल के बीच दोनों ओर ।

(ग) तारीख १–१–४६ से इस सेक्शन पर गाड़ियों की संख्या में कोई कमी नहीं की गई है ।

मट्टी की जांच

४५१. **श्री हेडा :** (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या देश भर में मट्टी की जांच करने के लिये योजना बनाई जा रही है ?

(ख) यदि हां, तो उन योजनाओं की मोटी मोटी बातें क्या हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) जी हां, संयुक्त राज्य अमेरीका के साथ हुए टक्नीकल सहयोग करार के अन्तर्गत ।

(ख) मोटी-मोटी बातें ये हैं :—

(१) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था में एक मट्टी परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना जिसमें कोई २,००,००० डॉलर के मूल्य के उपकरण होंगे, जो अमेरिका द्वारा दिये जायेंगे, और एक प्रादेशिक मट्टी परीक्षण सेवा होगी। इस प्रयोजन के लिये देश छै बड़े मट्टी प्रदेशों में बांटा गया है जिनके केन्द्र पूना, दिल्ली, कानपुर, कोयम्बटूर तथा सैबूर में हैं ।

(२) उपरोक्त प्रत्येक केन्द्र में मास्टर प्रोफ़ाइल्स, मट्टी के सैम्पलस तथा ऐसोशियेटेड सैम्पल्स के परीक्षण के लिये एक मट्टी जांच यूनिट है जहां इनका विश्लेषण करके यह पता लगाया जायेगा कि इनमें कौन कौन से रासायनिक तत्व हैं ।

(३) विश्लेषण के परिणामों का मिलाया जाना तथा संकलित किया जाना जिसके अन्तर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था द्वारा सौइल मैप्स का तैयार किया जाना भी शामिल है ।

(४) प्रत्येक मास्टर प्रोफ़ाडल के लिये दो 'मोनोलिथ' का प्राप्त किया जाना—एक राज्यों में प्रयोग करने के लिये और एक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था में ।

(५) संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा इस प्रकार सहायता दिया जाना :—जहां तक अपेक्षित हो, मट्टी की जांच करने के लिये एक मट्टी वैज्ञानिक तथा विशेषज्ञ देना और उपयुक्त भारतीय पदाधिकारियों को ट्रेसिंग कला (नक़शा उतारने की कला), पौधों सम्बन्धी प्रयोगशाला (ग्रीन हाउस लैबोरेटरी) में अनुसंधान, तथा नक़शा बनाने की कला (फोटोग्राफी) में प्रशिक्षण प्राप्त करने की सुविधायें देना ।

शीतोष्ण नियन्त्रित डिब्बे

४५२. श्री तुषार चटर्जी : क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारतीय रेलों में कितने शीतोष्ण नियन्त्रित डिब्बे चलाये जाते हैं;

(ख) उन में से कितने मई १९५२ से चालू किये गये हैं; तथा

(ग) एक शीतोष्ण नियन्त्रित डिब्बे तथा एक पहले दर्जे के डिब्बे की तुलनात्मक लागत ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) २४ डिब्बे ।

(ख) १७—१—५३ से हावड़ा और मद्रास के बीच साप्ताहिक शीतोष्ण नियन्त्रित सर्विस को अर्द्ध साप्ताहिक सर्विस में परिणत करने के लिये दो डिब्बे ।

(ग) बड़ी लाइन के शीतोष्ण नियन्त्रित डिब्बे की लागत लगभग २,७२,००० रुपये आती है जबकि बड़ी लाइन का ही पहले दर्जे का डिब्बा कोई १,६२,००० रुपये में पड़ता है ।

नार्थ-वैस्टर्न-रेलवे के प्रति दावे

४५३. श्री तुषार चटर्जी : क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत सरकार को, २३ मई, १९४८ की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, पुरानी नार्थ वैस्टर्न रेलवे को दिये गये सामान के सम्बन्ध में कितने दावे मिले हैं, उनकी कुल राशि कितनी है, कितने दावे निपटा दिये गये हैं और कितनी राशि के;

(ख) क्या उत्तर रेलवे के पास अब भी कोई विभाजन पूर्व के दावे निपटारे के लिये पड़े हुए हैं तथा यदि पड़े हुए हैं तो कितने और वे कितनी धनराशि के सम्बन्ध में हैं ;

(ग) इन दावों के निपटाने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(घ) इन दावों के अन्तिम रूप से निपटाये जाने में अभी कितना समय और लगेगा; तथा

(ङ) क्या नार्थ वेस्टर्न रेलवे प्राधिकारियों ने प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार किन्हीं विभाजन पूर्व की देनगियों का भारत सरकार के नाम डाल कर भुगतान किया है तथा यदि क्या ह, तो कितनी देनगियों का और उनकी ल राशि क्या है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगशन) : (क) कुल दावे जो प्राप्त हुए :—४४२६—२,३९,२५,१८६, रुपये के ।

दावे जो निपटाये गये:—२८८९—१,५१,८३,९२३ रुपये के ।

(ख) जी हां, १५३७—८,४१,२६३ रुपये के ।

(ग) दावों को निपटाने के पहले उत्तर रेलवे (भारत) तथा नार्थ-वैस्टर्न रेलवे (पाकिस्तान) को सम्बन्धित अभिलेखों की सहायता से, जो कि पाकिस्तान रेलवे के पास है, संयुक्त रूप से यह जांच करनी है। कि उक्त दावे किये भी जा सकते हैं या नहीं। उत्तर रेलवे के जांच सम्बन्धी कर्मचारी जुलाई १९५१ से लाहौर नहीं जा सके हैं क्योंकि कुछ परमिट सम्बन्धी कठिनाइयां थीं।

(घ) पाकिस्तान सरकार ने लाहौर जाने के लिये दृष्टांक देना स्वीकार कर लिया है और आशा की जाती है कि जांच सम्बन्धी कर्मचारी अब शीघ्र ही वहां जा सकेंगे और जितने भी अधिक दावों की जांच हो सकेगी, करेंगे; परन्तु शर्त यह है कि आवश्यक अभिलेख प्राप्य हों।

(ङ) नार्थ-वैस्टर्न रेलवे द्वारा कुछ भुगतान किये गये हैं, परन्तु अभी तक उस रेलवे से इस सम्बन्ध में विस्तृत ब्यौरा नहीं प्राप्त हुआ है।

मुज़फ़्फ़र नगर में रेलवे लाइन के ऊपर पुल

४५४. **श्री रघुवय्या** : (क) क्या रेल मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि मुज़फ्फर नगर में रेलवे लाइन के ऊपर कोई पुल नहीं है ?

(ख) क्या यह सच है कि मुज़फ्फर नगर में बहुत सी दुर्घटनायें इसलिये हुई हैं क्योंकि लोगों को रेलवे लाइन पार करनी पड़ती हैं तथा यदि हां, तो सरकार का इस विषय में क्या पग उठाने का विचार है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) रेलवे लाइन के ऊपर कोई पुल नहीं है।

(ख) गत पांच वर्षों में नौ दुर्घटनाओं की खबर मिली है। रेलवे प्रशासन रेलवे लाइन के ऊपर पैदल चलने वालों के लिये एक पुल का निर्माण करने को तैयार है परन्तु शर्त यह है कि राज्य सरकार उसकी लागत सहन करने को तैयार हो। रेलवे प्रशासन को वर्तमान तीन लेबिल क्रौसिंग में से एक के स्थान में एक सड़क वाला पुल बनाने में भी कोई आपत्ति नहीं ह; परन्तु राज्य सरकार को, विद्यमान नियमों के अनुसार पुल के रास्तों आदि पर होने वाले व्यय का अपना अंश देना होगा। राज्य सरकार ने सन् १९५० में इन दोनों सुझावों पर विचार किया था परन्तु दोनों को ही छोड़ दिया।

राष्ट्रीय पत्तन बोर्ड (नेशनल हार्बर बोर्ड)

४५५. { श्री एम० एल० द्विवेदी ;
श्री एस० सी० सामन्त :

(क) क्या यातायात मंत्री यह बतलान

की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय पत्तन बोर्ड की सिफारिशें क्या हैं ?

(ख) बोर्ड कितने समय से कार्य कर रहा है ?

(ग) बोर्ड की कुल कितनी बैठकें हुई हैं ?

(घ) इस सम्बन्ध में कुल कितना व्यय हुआ है ?

(ङ) राष्ट्रीय पत्तन बोर्ड द्वारा की गई सिफारिशों के सम्बन्ध में सरकार ने क्या विनिश्चय किया है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ङ) राष्ट्रीय पत्तन बोर्ड एक परामर्शदाता निकाय है जिसकी बैठकें पत्तन विकास सम्बन्धी साधारण नीति के विषयों पर विचार करने के लिये समय समय पर होती रहती हैं। बोर्ड की पहली और दूसरी बैठकों की कार्यवाही में, जिसकी प्रतियां संसद् पुस्तकालय में रख दी गई हैं, बोर्ड द्वारा इन बैठकों में की गई सिफारिशों का तथा पहली बैठकों की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाहियों का संक्षेप वर्णन दिया हुआ है। दूसरी बैठक में की गई सिफारिशों पर की गई कार्यवाही पर रिपोर्ट तीसरी बैठक की कार्यवाही में शामिल कर दी जायेगी जिसकी प्रतियां भी छपी प्रतियां प्राप्य होने पर संसद् पुस्तकालय में रख दी जायेंगी।

(ख) बोर्ड १४ अगस्त, १९५० को बनाया गया था।

(ग) तीन।

(घ) बैठकों पर हुआ व्यय असरकारी सदस्यों को यात्रा भत्ते के भुगतान के सम्बन्ध में है। दूसरी बैठक में यह ५०४ रुपये था और तीसरी बैठक में १९०० रुपये होने की सम्भावना है। जब पहली बैठक हुई थी तब बोर्ड में कोई असरकारी सदस्य ही नहीं थे।

चीनी के लिये रेल के डिब्बों की मांग

४५६. पंडित मुनीश्वर दत उपाध्याय : (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि देश के कुछ भागों मे चीनी की कीमत में वृद्धि होने का कारण परिवहन सम्बन्धी कठिनाइयां थीं ?

(ख) अक्तूबर, नवम्बर, दिसम्बर १९५२ में तथा जनवरी १९५३ में भिन्न-भिन्न रेलों में चीनी के लिये कुल कितने डिब्बे दिये गये ?

(ग) गत चार मासों में कपास, कोयला, सीमेंट तथा खाद्यान्नों के लिये डिब्बों की मांग की स्थिति क्या रही ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) नहीं; बल्कि सच तो यह है कि अक्तूबर तथा नवम्बर १९५२ में जो डिब्बे उपलब्ध किये गये, उनका व्यापारियों ने लाभ ही नहीं उठाया। हां, बाद के महीनों में रेलवे इकट्ठी मांगों को पूरा नहीं कर सकी।

(ख) सदन पटल पर एक विवरण रखा जाता है। जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६२]**।

(ग) सदन पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें यह बतलाया गया है कि भिन्न भिन्न रेलवे में अक्तूबर १९५२ से जनवरी १९५३ तक के चार मासों में कपास, कोयला, सीमेंट तथा खाद्यान्नों के लिये डिब्बों की मांग तथा प्रदाय की स्थिति क्या रही। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६३]**।

दवाई निर्माता सार्थ

४५७. **श्री के० सी० सोधिया :** (क) क्या स्वास्थ मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगी कि भारत में दवाई बनाने वाले प्रमुख सार्थ कितने तथा कौन कौन से हैं और सरकार का उन पर क्या नियन्त्रण है तथा उक्त नियन्त्रण किसके द्वारा किया जाता है ?

(ख) क्या सरकार उन सार्थों से अपने अस्पतालों में प्रयोग करने के लिये दवाइयां खरीदती है तथा यदि खरीदती है, तो वर्ष १९५१-५२ तथा १९५२-५३ में कुल कितने मूल्य की दवाइयां खरीदी गईं ?

(ग) उसी कालावधि में सरकार द्वारा विदेशों से कितने मूल्य की दवाइयां खरीदी गईं ?

स्वास्थ्य मत्री राजकुमारी अमृत-कौर) : (क) भारत के प्रमुख दवाई निर्माता सार्थों की एक सूची सदन पटल पर रखी जाती है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनूबन्ध संख्या ६४]**। दवाइयां केवल ड्रग्स एक्ट, १९४० तथा उनके अधीन नियमों के अन्तर्गत दिये गये लाइसेंस लेकर बनाई जा सकती हैं तथा वे उक्त अधिनियम तथा नियमों में निर्धारित मानों के अनुसार होनी चाहिये। राज्य सरकारों पर इस बात का उत्तरदायित्व है कि बनाये जाने वाली तथा बेचे जाने वाली दवाइयां अपेक्षित मानके अनुसार हों। ड्रग्स एक्ट तथा नियमों के उपबन्धों को लागू करने के लिये व्यवस्था भाग क तथा भाग ग में के राज्यों में तो कर दी गई है और भाग ख में के राज्यों में यथा-समय कर दी जायेगी।

(ख) तथा (ग) सदन पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें यह बतलाया गया है कि रसद तथा उत्सर्जन विभाग के महानिदेशक तथा उसके अधीन प्रादेशिक कार्यालयों द्वारा वर्ष १९५१-५२ तथा १९५२-५३ में कितने मूल्य की देशी तथा विदेशी दवाइयों के मंगाने के आर्डर दिये गये। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६५]**

नौवहन समवाय

४५८. **श्री के० सी० सोधिया :** (क) क्या यातायात मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५३-५४ में नौवहन समवायों को कितनी अर्थ साहाय्य दी जाने का विचार है तथा वर्ष १९५२-५३ में कितनी दी गई ?

(ख) यह अर्थ साहाय्य किस रूप में तथा कितनी कितनी दी गई है या दी जायेगी ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : वर्ष १९५२-५३ में किसी नौवहन समवाय को कोई अर्थ साहाय्य नहीं दी गई और ना ही दी जाने का विचार है । वर्ष १९५३-५४ के आय-व्ययक प्राक्कलनों में भी इसके लिये कोई व्यवस्था नहीं की गई है । हां, सिन्धिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी लिमिटेड को एक 'आपरेशनल' अर्थ साहाय्य दी जाने का प्रश्न अवश्य विचाराधीन है ।

(ख) इस अवस्था पर प्रश्न नहीं उठता ।

राजस्थान का रेगिस्तान :

४५९. **श्री कृष्ण चन्द्र :** (क) क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या राजस्थान के रेगिस्तान के फैलाव पर वृक्षारोपण तथा अन्य साधनों द्वारा नियंत्रण करने में संयुक्त राज्य अमेरिका किसी प्रकार की सहायता दे रहा है ?

(ख) योजना की विस्तृत बातें क्या हैं ?

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक क्या किया गया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग) 'आपरेशनल' करार संख्या १०—बन अनुसंधान तथा रेगिस्तान

बनीकरण का विकास—के अन्तर्गत २५,००० डालर के मूल्य का उपकरण दिया जा रहा है। इस प्रसंग में माननीय सदस्य का ध्यान श्री एन० पी० सिन्हा के २७-११-५२ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ७६१ की ओर दिलाया जाता है।

सोनपुर में रेलवे कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

४६०. **पंडित डी० एन० तिवारी:** (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सोनपुर रेलवे स्टेशन पर कर्मचारियों के नये क्वार्टरों के निर्माण पर कितना धन व्यय हुआ है ?

(ख) क्या सरकार को सोनपुर में रेलवे क्वार्टरों के निर्माण के बारे में कोई रिपोर्ट या शिकायत प्राप्त हुई है ?

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : सोनपुर रेलवे स्टेशन पर नये क्वार्टरों के निर्माण पर जनवरी १९५३ तक ८ लाख ४० हज़ार रुपये व्यय हो चुके हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

खाद्य फ़स्ल सम्बन्धी प्रतियोगिता

४६१. **श्री बादशाह गुप्त:** क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** उन व्यक्तियों के राज्यवार नाम तथा पते बतलाने की कृपा करेंगे जिन्हें सब से अच्छी खाद्य फ़स्ल उत्पादित करने में प्रथम आने पर गत बार अखिल भारतीय आधार पर पारितोषिक मिला था ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : जिन व्यक्तियों को वर्ष १९५१-५२ में अखिल भारतीय आधार पर फ़स्ल प्रतियोगिता पारितोषिक मिला था उनके राज्य वार नाम तथा पते नीचे दिये जाते हैं :—

राज्य	पारितोषिक प्राप्त करने वाले का नाम तथा पता	फ़स्ल
उत्तर प्रदेश	१. श्री जय पाल चन्द सुपुत्र श्री बिरेश्वर चन्द्र, बुलन्द शहर, यू० पी०	आलू
पंजाब	२. सरदार गुरुदेव सिंह सुपुत्र सरदार बिजला सिंह, नेशनल मॉडल फ़ार्म, ग्रा० कलाल मजरा, खन्ना के निकट, तहसील समराला ज़िला लुधियाना, पंजाब।	गेहूं
पंजाब	३. श्री वलायती राम लम्बरदार सुपुत्र श्री सुलेख राम, ग्रा० अगवर खाजू बाजू, डाक खाना तथा तहसील जगरांव, जिला लुधियाना, पंजाब।	चना
बम्बई	४. श्री भीम गोंडा दादा पाटिल सुपुत्र श्री दादा अदगोंडा पाटिल, तमादलगे तालुका शिरौल जिला कोल्हापुर, बम्बई।	ज्वार
बम्बई	५. श्री बामन रामचन्द्र मराठे सुपुत्र श्री रामचन्द्र महादू मराठे, आर्थे बी० के०, तालुका शिरपुर, जिला पश्चिम खानदेश, बम्बई।	बाजरा
कुर्ग	६. श्री जंगामा सी. संगय्या सुपुत्र श्री जंगामागचिका-वसवय्या, ग्रा०अलूर, डाक खाना सोंवरपेट, कुर्ग।	धान

श्रम कल्याण निधि

४६२. **श्री राम चन्द्र रेड्डी:** क्या **श्रम** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) ३१ दिसम्बर, १९५२ को अभ्रक

खान श्रम कल्याण उपकर निधि में तथा कोयला खान श्रम कल्याण निधि में कितना शेष था;

(ख) क्या उक्त शेष विनियोजित कर दिया गया है तथा उस पर ब्याज मिल रहा है ;

(ग) यदि हां, तो ३१ दिसम्बर, १९५२ तक कितना ब्याज मिला; तथा

(घ) यदि विनियोजित नहीं किया गया है, तो क्यों नहीं ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) क्रमशः १,१३,४३,००० रुपये तथा २,७६,०८,००० रुपये ।

(ख) से (घ) अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, १९४६ में विनियोजन किये जाने की व्यवस्था नहीं है । इसी प्रकार कोयला खान श्रम कल्याण निधि के सामान्य कल्याण लेखे में भी धन विनियोजित किये जाने की व्यवस्था नहीं है । हां, कोयला खान श्रम कल्याक निधि के गृह निर्माण लेखे के सम्बन्ध में कोयला खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, १९४७ में यह व्यवस्था है कि गृह निर्माण बोर्ड अपना धन सरकारी प्रतिभूतियों में या, भारत सरकार की स्वीकृति से, अन्य प्रतिभूतियों में विनियोजित कर सकता है । विनियोजनों तथा उन पर ब्याज के सम्बन्ध में जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

साखीगोपाल में नारियल अनुसन्धान केन्द्र

४६३. **पंडित लिंगराज मिश्र :** (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उड़ीसा में साखीगोपाल में नारियल अनुसन्धान केन्द्र कब स्थापित किया गया था ?

(ख) केन्द्र पर वार्षिक आवर्तक व्यय कितना है तथा अब तक उस पर अनावर्तक व्यय कितना हुआ है ?

(ग) केन्द्र के काम की देखरेख कौन करता है ?

(घ) केन्द्र ने अब तक क्या क्या काम किये हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) यह ९ अक्तूबर, १९४८ को स्थापित किया गया था ।

(ख) केन्द्र के ऊपर हुए आवर्तक व्यय के आंकड़े निम्न प्रकार हैं :—

वर्ष	रुपये आने पाई
१९४८-४९	१,०९७-१०-०
१९४९-५०	९,८२४-०-०
१९५०-५१	१०,३०८-१-०
१९५१-५२	१२,४३१-०-०

अब तक हुआ अनावर्तक व्यय ७५,१८९ रुपये ८ आने है ।

(ग) योजना उड़ीसा के सहायक कृषि संचालक की देखरेख में चलाई जा रही है ।

(घ) केन्द्र में अब तक किये गये कार्य पर एक टिप्पण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६६]**

उड़ीसा के चावल का मूल्य

४६४. **पंडित लिंगराज मिश्र :** (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उड़ीसा की सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार को दिये गये चावल का प्रति मन मूल्य क्या है ?

(ख) अन्य राज्यों को दिये गये मूल्य या बाहर से मंगाये गये चावल के मूल्य की तुलना में यह कैसा उतरता है ?

(ग) इस वर्ष उड़ीसा ने कितनी मात्रा दी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) तथा (ख) सदन पटल पर एक विवरण रखा जाता ह। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६७]**

(ग) इस वर्ष उड़ीसा ने अब तक निर्यात करने के लिये ८०,००० टन चावल देने का प्रस्ताव किया है ।

चुनार-राबर्टस्गंज रेलवे लाइन

४६५. श्री रघुनाथ सिंह :(क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रस्थापित चुनार-राबर्टस्गंज रेलवे लाइन में अब तक कितने मीलों की लाइन बन गई है ?

(ख) यह लाइन कब तक यातायात के लिये खुल जायेगी ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) पूरी लाइन पर निर्माण कार्य चालू है, परन्तु अभी तक उसका कोई भाग पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाया है ।

(ख) आशा है कि यह लाइन माल यातायात के लिये १९५३-५४ के वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के पहले ही खुल जायेगी ।

हिन्दी में रेलवे स्टेशनों के नाम

४६६. श्री बलवन्त सिंह मेहता : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत में सभी रेलवे स्टेशनों पर स्टेशनों के नाम हिन्दी में लिखे हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो यह काम कब तक पूरा हो जायेगा; और

(ग) क्या अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में रेलों के टिकटों पर स्टेशनों के नाम हिन्दी में छपाने की कोई योजना बनाई गई है और यदि नहीं, तो यह कब तक बन जायेगी ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी नहीं ।

(ख) लगभग ३ मास में ।

(ग) इंडियन रेलवे एक्ट की धारा ६६, उपधारा (२) (क) तथा (ख) के अनुसार तीसरे दर्जे के टिकटों पर स्टेशनों के नाम ऐसी भाषा में छापे जाते हैं जिस का उस क्षेत्र में सामान्य रूप से प्रयोग किया जाता है । बाकी के दर्जों के टिकटों पर स्टेशन के नाम अंग्रेज़ी में ही छापे जाते हैं । अतः इस समय ऐसी किसी योजना पर विचार नहीं किया जा रहा है जिसमें अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में के स्टेशनों पर बेचे जाने वाले टिकटों पर भी स्टेशनों के नाम हिन्दी में छापे जाने का विचार हो ।

रेलवे रिसर्च विभाग

४६७. श्री रघुनाथ सिंह : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५२ में रेलवे रिसर्च विभाग के सिविल इंजीनियरिंग विंग पर कितना व्यय हुआ;

(ख) उसने सन् १९५२ में क्या गवेषणाएं कीं ;

(ग) सन् १९५२ में रेलवे रिसर्च विभाग के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विंग पर कितना व्यय हुआ; और

(घ) उसने उक्त कालावधि में क्या गवेषणा कार्य किया ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ग) रेलों के रिसर्च विभाग के भिन्न भिन्न विंग पर होने वाले व्यय के पृथक पृथक लेखे नहीं रखे जाते । वर्ष १९५२-५३ में सिविल, मैकेनिकल, इलैक्ट्रिकल, मैटालर्जीकल और कैमीकल विंग में, डौक्यूमैन्टेशन सर्विस और लाइब्रेरी सहित, गवेषणा पर कुल व्यय का अनुमान १० लाख २४ हजार रुपये लगाया जाता है।

(ख) तथा (घ) रिसर्च विभाग के सिविल इंजीनियरिंग विंग द्वारा किये गये कार्य पर एक व्यापक टिप्पण रेलवे बोर्ड की

भारतीय रेलवे सम्बन्धी वर्ष १९५१-५२ की रिपोर्ट अंक १, के पैरा १०५ से लेकर १०९ तक में दिया हुआ है। इस रिपोर्ट की एक प्रति सदन के पुस्तकालय में मौजूद है। मैकैनिकल इंजीनियरिंग विंग की तत्संवादी बातें पैरा ११० से लेकर ११३ तक में उल्लिखित हैं।

कूच-बिहार में डाक-घर

४६८. **श्री बर्मन :** क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) जिला कूच-बिहार (पश्चिमी बंगाल) में डाकघरों तथा उप-डाकघरों की कुल संख्या;

(ख) क्या यह सच है कि उस राज्य के देहाती क्षेत्रों में डाक संचरण की आवश्यकता है; तथा

(ग) यदि हां, तो सरकार का इस संबंध में क्या पग उठाने का विचार है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) :

(क) हैड आफ़िस १
सब आफ़िस ७
ब्रांच आफ़िस ६४

(ख) तथा (ग) २००० या इससे अधिक जनसंख्या वाले गांवों में डाकघर खोलने का कार्यक्रम तो पूरा हो चुका है। शीघ्र ही एक और योजना बनाई जाने वाली है जिसमें नये डाकघर के अन्तर्गत जनसंख्या तथा नये डाकघर की वर्तमान डाकघरों से दूरी पर ध्यान दिया जायेगा। आशा है कि इस योजना से जिला कूच-बिहार में डाक संचरण और अधिक विकसित किया जा सकेगा। उस जिले में गत ३ वर्षों में ३५ नये डाकघर खोले गये थे।

मरदह (उत्तर प्रदेश) का डाकखाना

४६९. **श्री आर० एन० सिंह :** क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में एक मुख्य बाजार तथा शिक्षा केन्द्र मरदह का ब्रांच पोस्ट आफ़िस (डाकखाना) मरदह से १॥ मील दूर है; तथा

(ख) क्या यह तथ्य है कि इसके लिये मंडल प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को लिखा है, और यदि ऐसा है, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) (क) मरदह में एक पूर्ण रूप से बहिर्विभागीय ब्राच आफ़िस है। सन् १९४९ में यह कनारसी नामक एक बहुत छोटी सी बस्ती में ले जाया गया था जो मरदह से ६ फ़र्लांग है। ऐसा इसलिये किया गया था क्योंकि मरदह में उपयुक्त स्थान प्राप्य नहीं था।

(ख) गांव सभा के प्रधान तथा मरदह के निवासियों से डाकखाने के वर्तमान स्थान में परिवर्तन करने के लिये अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। मामले की पोस्टमास्टर जनरल द्वारा जांच की जा रही है।

Par. S. 18. II. 1. 53.
285

सत्यमेव जयते

अंक २

संख्या १

सोमवार

९ मार्च, १९५३

1st Lok Sabha

संसदीय वाद विवाद

लोक सभा

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation Unit 13.3.92 Fumigated 08.10.83 Parliament Library

भाग २--प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

विषय-सूची

तीन सदस्यों की गिरफ्तारी [पृष्ठ भाग १५७१-१५७३]

स्थगन के लिये प्रस्ताव--

योल डेरे में शरणार्थियों पर गोली वर्षा [पृष्ठ भाग १५७३-१५७६]

तीन सदस्यों की गिरफ्तारी [पृष्ठ भाग १५७७-१५८१]

दिल्ली में जुलूसों पर प्रतिबन्ध [पृष्ठ भाग १५८१-१५८३]

तीन सदस्यों के अधिकारों पर हस्तक्षेप [पृष्ठ भाग १५८३-१५८४]

बारह टूटी में आम सभा पर लाठी चार्ज तथा अश्रुगैस [पृष्ठ भाग १५८४-१५९३]

श्री एन० सी० चन्दर की मृत्यु [पृष्ठ भाग १५९३]

राज्य परिषद् से संदेश [पृष्ठ भाग १५९४]

साधारण आयव्यय वाद विवाद अनिर्णीत [पृष्ठ भाग १५९४-१६८४]

(मूल्य ६ आने)

223 PSD

लोक सभा

सोमवार, ९ मार्च, १९५३

सदन की बैठक दो बजे समवेत हुई

[उपाध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

२-४२ अपराह्न

तीन सदस्यों की गिरफ्तारी

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि मुझे ज़िलाधीश, देहली, से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसका आशय है :

मैंने संसद् के तीन सदस्यों को धारा १८८ भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत जिसमें उन्होंने मेरी आज्ञाओं का उल्लंघन कर सार्वजनिक सभा तथा जुलूस आदि निकाले, जो पंजाब सुरक्षा राज्य अधिनियम, १९५१ के विरुद्ध था, गिरफ्तार किया है । ये महानुभाव लगभग ६.४५ अपरान्ह में गिरफ्तार किये गये और जिला जेल, देहली को भेज दिए गए हैं। उनके नाम निम्न हैं :

(१) श्री एस० पी० मुकर्जी

(२) श्री एन० सी० चटर्जी

(३) श्री नन्दलाल शर्मा

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : पत्र की तिथि क्या है ?

उपाध्यक्ष महोदय : ६ मार्च १९५३, गिरफ्तारी के ही दिन मुझे डा० एस० पी० मुकर्जी, श्री एन० सी० चटर्जी तथा नन्दलाल शर्मा का भी जेल से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें बताया गया है कि हम तीनों सदस्य ६ मार्च, १९५३ को ६-३० अपरान्ह में अवैध तथा अवैधानिक रूप से गिरफ्तार कर लिये गये हैं। हम लोगों को २४ घंटे हो चुके हैं किन्तु अभी तक हम लोग किसी मजिस्ट्रेट के सम्मुख उपस्थित नहीं किये गए । यद्यपि कई समाचार पत्रों में यह समाचार प्रकाशित किया गया है कि हम लोग शुक्रवार को एक मजिस्ट्रेट के सम्मुख उपस्थित किये जा चुके हैं जिसने हमको न्यायिक प्रग्रह में चार दिन के लिये पुनः भेज दिया है। यह समाचार सर्वथा निराधार है । हम लोग न तो किसी मजिस्ट्रेट के पास अब तक भेजे गए हैं और न पुलिस अधिकारियों की ही ओर से हम लोगों की उपस्थिति में वहां भेजने के सम्बन्ध में कुछ कार्यवाही की गई थी ।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे निम्न स्थगन प्रस्ताव की पूर्व सूचना मिली है.....(विघ्न)

श्री वी० जी० देशपांडे (गुना) : यह सदस्यों के अधिकारों से सम्बन्धित विषय है । उनको अवैध रूप से गिरफ्तार कर लिया गया है जिससे वे सदन में उपस्थित नहीं हो सकते । अतः मैं प्रार्थना करूंगा कि विशेषाधिकार समिति इस मामले को अपने हाथ में ले ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि कोई माननीय सदस्य यह समझता है कि यह विशेषाधिकार में हस्तक्षेप है और नियमानुसार इस मामले को उठाता है तो मैं इस पर विचार करूंगा।

स्थगन के लिये प्रस्ताव

योल डेरे में शरणार्थियों पर गोली चलाना

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे श्री हीरेन मुकर्जी का एक स्थगन प्रस्ताव पुलिस द्वारा योल डेरे में गोली चलाने के सम्बन्ध में मिला है जिसमें आठ आदमी मरे और बाइस व्यक्तियों के गहरी चोटें लगी थीं।

क्या मैं माननीय मंत्री द्वारा जान सकता हूं कि स्थिति क्या है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : इसी माह की ३ तारीख को, मेरे मन्त्रालय के सहसचिव, खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव सहित, वहां रहने वाले शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये योजना कार्यान्वित करने के लिये गए थे। उन्हें शरणार्थियों के सात प्रतिनिधि मंडल मिले जो विभिन्न स्थानों में बसाये जाने वाले थे। यह कहना गलत होगा कि इन अधिकारियों ने किसी भी प्रतिनिधि मंडल से मिलना अस्वीकार कर दिया था। जब पिछला प्रतिनिधि मंडल आया, इसमें कुछ कृषिजीवी भी थे जिन्होंने जोर दिया था कि वे जम्मू में जाकर बसने को तैयार नहीं थे, दूसरी ओर वे भारत के किसी भाग जैसे केवल पेप्सू या उत्तर प्रदेश में बसेंगे। इन दोनों राज्यों में से या किसी अन्य स्थान में इन कृषि जीवियों को बसाने के लिये भूमि उपलब्ध नहीं है। अतः उन्हें बताया गया कि जम्मू में भूमि उपलब्ध है और उनको वहां बस जाना चाहिये। उन्होंने ऐसा करने से इंकार कर दिया, जिस पर उनको सूचित कर दिया गया कि उन लोगों ने जिन्होंने वहां जाकर बसने से इंकार कर दिया है, अब भिक्षा दान पर अधिक समय तक नहीं रह सकते। जब ये अधिकारी वहां पहुंचे लगभग एक हजार व्यक्ति जमा हो गए और कुछ अधिकारियों को हानि पहुंचाई। उन अधिकारियों ने ज़िलाधीश तथा पुलिस को इस घटना की सूचना दी। पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। लगभग ४,००० शरणार्थियों ने आ कर पुलिस कोतवाली को घेर लिया और तभी अग्नास्त्रों का प्रयोग किया गया जिसमें उप-अधीक्षक पुलिस तथा एक हेड कान्सटेबल घायल हुए थे। बाद को ईंट पत्थर फेंके गए जिससे आठ और सिपाही घायल हुए। तब पुलिस द्वारा और अस्त्र प्रयोग किए गए जिसके फलस्वरूप तीन व्यक्ति घटनास्थल पर मर गए और दस आहत हुए। वे दसों व्यक्ति अस्पताल ले जाए गए जहां दो और मर गए। उप-अधीक्षक पुलिस की भी चोटें के कारण मृत्यु हो गई। इस प्रकार वहां कुल मिला कर छः व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। इस सब मामले पर राज्याधिकारियों के आदेशानुसार मजिस्ट्रेट द्वारा जांच की जा रही है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जहां तक संसद् में स्थगन के प्रस्ताव का सम्बन्ध है, यह स्थगन प्रस्ताव आज्ञा के बाहर है, क्योंकि न्याय और शान्ति रखना राज्य सरकार के अन्तर्गत आते हैं।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर पूर्व) खड़े हो गए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने स्पष्टीकारक स्मरण-पत्र भली भांति देख लिया है।

श्री एच० एन० मुकर्जी : माननीय मंत्री ने यह स्वीकार किया है कि केन्द्रीय सरकारी पदाधिकारियों से सम्बन्धित शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये प्रस्ताव रखे थे। शरणार्थियों ने उनको अस्वीकार नहीं किया वरन् उनका कहना केवल यह था कि जम्मू के खतरनाक क्षेत्र में नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि वह सीमान्त पाकिस्तान के बहुत निकट था,

किन्तु वे जम्मू में के अन्य सुरक्षित भाग में बसने के इच्छुक थे। चूंकि यह घटना केन्द्रीय सरकार के पदाधिकारियों से सम्बन्धित है जिसमें कई व्यक्तियों की मृत्यु हुई, और जो आहत हैं उनकी दशा भी चिन्ताजनक है। अतः इस पर गम्भीरतापूर्वक कार्य किया जाना चाहिये। यह कार्य पंजाब राज्य सरकार को घटना के तीन दिन पश्चात् जांच के लिये सौंपा गया। यह केवल विभागीय जांच है। इसकी तो एक गर सरकारी न्यायिक जांच होनी चाहिये। यह कार्य केन्द्रीय सरकार से अधिक सम्बन्धित है, पंजाब राज्य की सरकार से नहीं, इसीलिये इन पर अधिक उत्तेजना फैल रही है।

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने दोनों पक्षों के लोगों का वक्तव्य सुना है और केन्द्रीय सरकार शरणार्थियों के पुनर्वास में अत्यधिक चाव ले रही है। शरणार्थियों को बसाने के तरीके तथा स्थान जहां वे बसाये जाने को हैं राज्य सरकार से सम्बन्ध रखते हैं और केन्द्रीय सरकार तो केवल एक परामर्श देने की ही क्षमता रखती है।

श्री एस० एस० मोरे : क्या हम नियन्त्रण शक्ति नहीं रखते।

उपाध्यक्ष महोदय : इसके अतिरिक्त 'शान्ति और सुव्यवस्था' राज्य सरकार का विषय है।

श्री एस० एस० मोरे : क्या हम केन्द्रीय सरकार के क्षेत्राधिकार को विविध दृष्टिकोण से नहीं देख सकते।

उपाध्यक्ष महोदय : किन्तु इसको व्यक्त करने का एक तरीका होता है--उस को हंस कर टाल देने का नहीं।

जहां तक गोली चलने का सम्बन्ध है, वास्तव में वह बड़ी अप्रिय घटना है और मैं सरकार द्वारा भी कभी किसी पर हिंसा का प्रयोग करने के विरोध में हूं। इसमें छः व्यक्तियों की जानें गईं। सरकार को फिर भी शान्ति और सुव्यवस्था को स्थापित रखने के लिये फिर भी कभी कभी हिंसा का प्रयोग करना पड़ता है। राज्य सरकार द्वारा मजिस्ट्रेट जांच करेगा ही। यह जांच जिलाधीश के अधीन होगी। अतः न्यायिक जांच के लिये अलग से कहना उपयुक्त नहीं जान पड़ता क्योंकि यह जांच भी न्यायिक ही होगी, केवल विभागीय ही नहीं।

श्री एस० एस० मोरे : क्या न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग कर दी गई है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उस मामले में जाने को तैयार नहीं हूं। जिलाधीश सदा जिलाधीश ही रहता है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : यह जांच मजिस्ट्रेट द्वारा की जायगी, यह विभागीय जांच नहीं है।

श्री ए० पी० जैन एक प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट जांच कर रहा है।

एक माननीय सदस्य : यह एक सर्वविदित मामला क्यों नहीं रखा जाता ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य भूल जाते हैं कि पंजाब राज्य में एक विधान मंडल कार्य कर रहा है। न तो सरकार और न माननीय मंत्री ही इस जांच में चाव रखते हैं। फिर भी मुझे विश्वास है कि इस बात का पूर्ण प्रयत्न किया जायगा कि इसकी जांच उचित रूप से हो और सरकार सदन तथा जनता के सम्मुख सारे तथ्य आ सकें। इसके लिये भी सभी उचित तथा वैध कार्यवाहियां की जा रही हैं। मैं नहीं समझता कि सदन की कार्यवाही में स्थगन प्रस्ताव द्वारा विघ्न उपस्थित हो। कम्यूनिस्ट दल के उपनेता द्वारा निर्देशित मामलों पर अधिकारियों द्वारा की गई जांच के बाद विचार किया जायगा।

तीन सदस्यों की गिरफ्तारी

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे एक अन्य प्रस्ताव श्रीमती सुचेता कृपलानी, श्री एस० एस० मोरे तथा श्री रामचन्द्र रेड्डी द्वारा प्राप्त हुआ है। जिसमें कहा गया है कि विरोधी दल के तीन सदस्य चौबीस घंटे से गिरफ्तार हैं किन्तु उनको अभी तक किसी मजिस्ट्रेट के सम्मुख नहीं उपस्थित किया गया जिससे देहली तथा देश के अन्य भागों में काफी राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है।

एक अन्य प्रस्ताव डा० कृष्णास्वामी तथा अन्य इस मामले में सम्बन्धित लोगों द्वारा प्राप्त हुआ है। पहले इस प्रस्ताव का निबटारा हो जाना चाहिये तत्पश्चात् और प्रस्ताव लिये जायेंगे।

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : इस प्रस्ताव पर अनेक आपत्तियां हैं। जहां तक इन तीन संसद् सदस्यों के निरोधन का और यह प्रश्न कि वह अभी तक मजिस्ट्रेट के सम्मुख उपस्थित नहीं किये गए, का सम्बन्ध है, मुझे अभी सूचना नहीं मिली है कि उच्चतम न्यायालय में बन्दी प्रत्यक्षीकरण के लेख के लिये एक आवेदन पत्र प्रेषित किया गया है। उच्चतम न्यायालय ने उस आवेदन पत्र को स्वीकार कर लिया है और उसका निबटारा करने की कल की तिथि निश्चित की है। अतः यह मामला कि ये निरोधन मान्य हैं या अमान्य, अब न्यायिक रूप से निश्चित किया जायगा और इस सदन में उस पर वाद विवाद करने की आवश्यकता नहीं रह जाती।

दूसरे मामले के सम्बन्ध में आपने अभी देहली के जिलाधीश का पत्र पढ़ा होगा कि इन माननीय सदस्यों का निरोधन भारतीय दण्ड विधान की धारा १८८ के अधीन किया गया है। अब मुझे पता लगा है कि एक नियमित शिकायत की गई है और उस पर न्यायिक रूप से पुनः विचार हो रहा था। अतः जब तक कि यह फौजदारी का मामला विचाराधीन है, तब तक सदन में इस पर विचार करना न तो उचित होगा और न नियम के अनुसार अनुमति योग्य ही होगा।

जहां तक देहली में सामान्य स्थिति का सम्बन्ध है, वह इस प्रकार है। न्यायपालिका अधिकारियों द्वारा एक आदेश के अनुसार जुलूसों तथा बैठकों पर प्रतिबन्ध लगाया गया था। उन अधिकारियों के मतानुसार इसका खुल्लमखुल्ला उल्लंघन किया गया था और न्यायिक कार्यवाहियों पर अभी विचार हो रहा है। साम्प्रदायिक असन्तोष बढ़ रहा है और इसका इस मामले से कोई सम्बन्ध नहीं। कानून अवश्य लागू किया जाना चाहिये। अतः मैं निवेदन करता हूं कि स्थगन प्रस्ताव उचित रूप में नहीं है।

श्री रघुनाथ सिंह (जिला बनारस मध्य) : क्या अभियुक्त की ओर से कोई प्रतिभू आवेदन पत्र भेजा गया है ?

डा० काटजू : मेरे ज्ञान में नहीं। व्यक्ति रूप से मैं प्रसन्न होता यदि आवेदन पत्र भेजा गया होता और बहुत सम्भव है कि अधिकारियों ने जिलाधीश को प्रति भू आदेश जारी करने की सम्मति दी हो।

श्री आर० के० चौधरी (गौहाटी) : मैं स्थगन प्रस्ताव, न्यायिक तथा अन्य किसी जांच के अतिरिक्त वास्तविक रूप में जानना चाहता था कि क्या ये सदस्य मजिस्ट्रेट के सम्मुख उपस्थित किये गये अथवा नहीं ? हमारे सामने इन लोगों का लिखित विवरण है।

डा० काटजू : इसका उत्तर कल उच्चतम न्यायालय में दिया जायगा, किन्तु मैं निश्चय ही जांच करूंगा।

श्री आर० के० चौधरी : इस मामले में अध्यक्ष सार्वभौम है । उसे पूर्ण अधिकार है यह जानने का कि माननीय सदस्य जो गिरफ्तार किया गया है, मजिस्ट्रेट के सम्मुख उपस्थित किया गया है अथवा नहीं ?

श्री एस० एस० मोरे मैं जानना चाहूंगा संविधान के अनुबन्ध के अनुच्छेद २२ के अनुसार ये सदस्य मजिस्ट्रेट के सम्मुख उपस्थित किये गए थे अथवा नहीं। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि उच्चतम न्यायालय को सभी बातें विस्तृत रूप से भेजी गई हैं अथवा नहीं ? केवल इस विचार से कि मामले को उच्चतम न्यायालय भेज दिया गया है, सदन में इस पर विचार स्थगित नहीं किया जा सकता ।

इस मामले के सारे कागजात सदन में मंगाये जायं और देखा जाय कि क्या यह मामला उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है या नहीं। इससे पूर्व कि मामले पर उच्चतम न्यायालय में असन्तोष प्रकट किया जाय पहले सारी बातें यहीं निर्णय कर लेना अधिक उचित है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं नहीं चाहता कि इन सब बातों का निर्णय यहीं हो । यदि यह विशेषाधिकार को भंग करने का प्रश्न है, तो यह दूसरी चीज़ है और यदि मजिस्ट्रेट के सम्मुख उपस्थित करने का प्रश्न है, तो सदन को इस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि गिरफ्तारी उचित हुई है । यदि कोई माननीय सदस्य किसी शान्ति और सुव्यवस्था के नियम का उल्लंघन करता है और उस पर कानूनी कार्यवाही की जाती है जो भारतीय दण्ड विधान की धारा १८८ के अन्तर्गत आती है । अब मामला न्यायालय के विचाराधीन है । यदि कोई सदस्य अधिवेशन काल में गिरफ्तार किया जाता है ; तो इसकी सूचना गिरफ्तारी के समय ही अध्यक्ष के पास पहुंचाई जानी चाहिये । तो विशेषाधिकार केवल सदस्य को सुनने का होता है । हम लोग अधिक विस्तार में नहीं जा सकते । इसकी सूचना हमको कार्यवाही प्रारम्भ करने तथा स्थगन प्रस्ताव के पूर्व ही दी जा चुकी है । यदि उसमें कोई विधिक त्रुटि है तो इसके लिये न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय है जो नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है । जहां तक न्यायाधीश के सम्मुख उपस्थित किये जाने का प्रश्न है, इस सदन को इस पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं ।

इसके अतिरिक्त यह भी कहा जाता है उच्चतम न्यायालय में बन्दी प्रत्यक्षीकरण लेख के लिये आवेदन पत्र दिया जा चुका है । और यदि निरोधन अवैध है तो प्रत्येक सदस्य को यह अधिकार है जो भी न्यायालय में लाया जाता है, कि वह अपने छोड़ने के लिये कह सकता है । अतः मुझे केवल उन माननीय सदस्यों से जिन्होंने प्रस्ताव रखा है उनसे कहना है कि नियम ६२ के उपनियम (७) के अनुसार यदि कोई मामला किसी भी न्यायालय के विचाराधीन हो जो भारत के किसी भाग का है तो ऐसे प्रस्ताव पर कोई कार्यवाही नहीं की जायगी ।

श्री रोहिनी कुमार चौधरी ने जो कहा कि मुझे सम्बन्धित कागजात मंगवा लेना चाहिये, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि यह अध्यक्ष के प्रान्त की या सदन के अन्दर की बात नहीं है । गिरफ्तारी के पश्चात् यदि गिरफ्तारी उचित है और सदन को उसकी सूचना मिल चुकी है तो कानून स्वयं अपनी रक्षा करेगा । यदि माननीय सदस्यों की कोई हानि उससे हुई है और यदि यह अवैध है तो उसके लिये न्यायालय की शरण लेनी चाहिये ।

श्रीमती सुचेता कृपलानी : यह साधारण नागरिकों का मामला नहीं है । इससे तो उनका सदन की कार्यवाहियों में भाग लेना रुक सकता है न्यायपालिका के हस्तक्षेप करने

[श्रीमती सुचेता कृपलानी]

के कारण । अतः मैं चाहूंगी इसकी प्रत्येक अवस्था पर विचार करने का सदन को पूरा अधिकार है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सभी माननीय सदस्यों की तथा दल के नेता जिन्होंने प्रस्ताव रखने में सहायता की है, सभी बातों पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर लिया है । यद्यपि मैं यह मानता हूं कि वे सदन के प्रमुख सदस्य हैं तो भी सदन के प्रान्त के अन्तर्गत न आने के कारण इसकी प्रत्येक अवस्था पर विचार करना सम्भव नहीं । मैं नहीं चाहता कि संविधान के द्वारा उच्चतम न्यायालय को दिये अधिकारों को यह सदन या मैं प्रयोग में लाऊं और उसके अधिकारों पर कुठाराघात करूं ।

श्री वल्लाथरास (पुदुकोटै) : क्या मैं एक विशेष आवश्यक बात के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त कर सकता हूं ?

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति ! शान्ति ! जब तक मैं बैठा हूं कोई भी माननीय सदस्य खड़े न हों । इस प्रस्ताव पर मैं समझता हूं कि अपना अभिमत मैं नहीं दे सकता । अब दूसरा मामला लिया जाना चाहिये ।

श्री वल्लाथरास सदन को इसका आधार अवश्य जान लेना चाहिये कि यह गिरफ्तारी है या निरोधन ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य वकील हैं । इस पर प्रश्न उठाना व्यर्थ है । यह निरोधन नहीं है । माननीय मन्त्री बता चुके हैं कि भारतीय दण्ड विधान की धारा १८८ का उल्लंघन किया गया है । किसी भी ऐसे कानूनी आदेश का पालन न करना धारा १८८ के अन्तर्गत आता है । अभियोग चलाया जा चुका है । यह कई बार काफी देर से कहा जा चुका है कि यह निरोधन नहीं है ।

देहली में जुलूसों पर प्रतिबन्ध

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे एक अन्य स्थगन प्रस्ताव बाबू रामनारायण सिंह, डा० कृष्णास्वामी तथा कुमारी द्वारा प्राप्त हुआ है । मैं समझता हूं माननीय मन्त्री को भी इसकी एक प्रतिलिपि मिल चुकी होगी । जिसका आशय है कि देहली में किसी भी प्रकार के जुलूस निकालने पर प्रतिबन्ध आदेश जो ६ मार्च को भारत सरकार की आज्ञा से जारी किया गया था और जिससे देश के विभिन्न भागों में भी स्थिति गम्भीर हो गई । जबकि जनता को यह विश्वास दिलाया गया था कि अब ऐसे प्रतिबन्ध नहीं लगेंगे । चौबीस घंटे पूर्व बिना संसद् के सदस्यों को सूचित किये हुए प्रतिबन्ध लगा दिए गए जबकि उन्होंने घोषित कर दिया था कि वे ऐसे जुलूसों का नेतृत्व करेंगे ।

यह आदेश के बाहर है । मैं जानना चाहूंगा कि यह आदेश किस प्रकार जारी किया गया ।

डा० कृष्णास्वामी (कांचीपुरम्) : माननीय गृह मंत्री ने पंडित हृदयनाथ कुंजरू के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए एक अन्य स्थान पर कहा था कि इस आदेश को पुनः जारी करने के लिये उनकी राय पहले से ले ली गई थी ।

उपाध्यक्ष महोदय : वह तो केवल परामर्श देने के रूप में थी ।

श्री एस० एस० मोरे : माननीय मंत्री को इसका उत्तर देना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो शासन का साधारण तरीका है । आदेश को वापस लेकर पुनः लागू कर देना केवल अधिकारियों की सजगता प्रदर्शित करता है जिस पर उन्होंने

कार्य किया। राजधानी में दो माह तक प्रतिबन्ध लगातार लगाये रहने के बजाय कुछ समय के लिये हटा कर पुनः लागू कर देना शासन की दृष्टि से ठीक है। ऐसी परिस्थितियों में साधारणतः जो भी मजिस्ट्रेट होता वह यही करता।

डा० बी० एन० खरे (ग्वालियर) : क्या यह सत्य नहीं है कि सभी भाग ग राज्यों की पुलिस जिसमें देहली भी सम्मिलित है, भारत सरकार के गृह मंत्री के सम्पूर्ण निरीक्षण तथा आदेशानुसार कार्य करती है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं कि भाग ग राज्यों में शान्ति और सुव्यवस्था के कार्य का निरीक्षण माननीय गृह मंत्री करते हैं किन्तु प्रशासन को धारा १४४ के अनुसार पारित किये गये किसी ी आदेश में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में कोई सरकार ऐसा कर भी नहीं सकती है।

कुमारी एनी मस्करीन (त्रिवेन्द्रम) : धारा १४४ अधिकार की नहीं वरन् निर्णय करने की चीज़ है। और यह केवल धारा १४४ का बुद्धि रहित प्रयोग है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं प्रसन्न हूं।

श्री एस० एस० मोरे : मेरा निवेदन है कि भारत सरकार का गृह मंत्री भाग ग राज्यों का अधिष्ठाता समझा जाता है और सारी चीज़ों का उत्तरदायी है चाहे वह है स्वयं प्रत्येक आदेश का विधिक तथा वैधानिक रूप से निरीक्षण न कर सके।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सहमत हूं। मैंने सभी सदस्यों द्वारा इस संबंध में दिखाये गए चाव को बड़े ध्यानपूर्वक सुना किन्तु जहां तक शान्ति और सुव्यवस्था का सम्बन्ध है, मैं अनुभव करता हूं कि भाग ग राज्यों में वह अन्ततोगत्वा उत्तरदायित्व का प्रश्न है, प्रत्येक आदेश.....

बाबू रामनारायणसिंह (हजारीबाग पश्चिम) खड़े हो गए

उपाध्यक्ष महोदय : यह मामला पहले जैसा नहीं है अतः निर्देश की आवश्यकता नहीं। रहा देहली तथा अन्य स्थानों में गम्भीर स्थिति का प्रश्न वह तो मद्रास जैसे राज्य में भी है जहां श्री राजगोपालाचारी तथा अन्य प्रथम श्रेणी के व्यक्ति विभिन्न प्रशासनों के अध्यक्ष हैं। संविधान में दिए हुए क्षेत्राधिकार के विपरीत भी हम अपना अधिकार प्रयोग में ला सकते हैं। यह आदेश के बाहर है।

जहां तक देहली का सम्बन्ध है यह केवल साधारण शान्ति और सुव्यवस्था का प्रश्न है। अतः मैं यह आवश्यक नहीं समझता कि गृह मंत्री शान्ति और सुरक्षा की प्रत्येक अवस्था में हस्तक्षेप करे। यह पूर्णतया स्थानीय मामला है। मैं इस प्रस्ताव को रखने की अनुमति नहीं देता।

तीन सदस्यों के अधिकारों में हस्तक्षेप

उपाध्यक्ष महोदय : श्री उमाशंकर मूल जी भाई त्रिवेदी का प्रस्ताव निश्चय ही आदेश के बाहर है जो इस प्रकार है कि भारत सरकार द्वारा विशेष कर तीन साम्प्रदायिक विचारों वाले संसद् सदस्यों की गिरफ्तारी से देश के अनेक भागों में स्थिति गम्भीर हो गई है और इससे भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों में हस्तक्षेप हुआ है।

यदि इन लोगों की गिरफ्तारी से यह असन्तोष फैल रहा है, तो मैं अपनी अनुमति देना नहीं चाहता हूं। मुझे केवल उनको यही सम्मति देनी है कि भविष्य में वे सावधान रहें।

बारह टूंटी की आम सभा में लाठी चार्ज तथा अश्रु गैस का प्रयोग

उपाध्यक्ष महोदय : श्री वी० जी० देशपांडे का प्रस्ताव है कि बारह टूंटी, देहली में रविवार ८ मार्च १९५३ को शान्तिपूर्वक तथा विधिनुसार होने वाली आम सभा में अचानक लाठी चार्ज तथा अश्रु गैस का प्रयोग किये जाने के परिणामस्वरूप सौ व्यक्तियों से अधिक के चोटें लगीं।

क्या इसके अतिरिक्त किसी माननीय सदय को इस सम्बन्ध में कुछ और कहना है।

श्री वी० जी० देशपांडे : कल हम ने पूछताछ की थी और जिलाधीश देहली ने हमको सूचना दी थी कि देहली में आम सभा हो सकती है। अतः वैधानिक सभा हो रही थी कि तभी लाठी चार्ज तथा अश्रु गैस के प्रयोग से सभा भंग कर दी गई। फिर कहा गया कि वह एकत्रित हो सकते हैं। और जब एकत्रित हुए तो फिर लाठी चार्ज किया गया। देहली विधान परिषद् के दो माननीय सदस्य भी भाषण दे रहे थे। श्री जे० डी० शर्मा, देहली के एक मजिस्ट्रेट भी वहां उपस्थित थे। यह देखने का विषय नहीं किन्तु सरकार इस प्रकार के अनुचित कार्य करती है इस पर हमें शर्म आनी चाहिये ..... (विघ्न)

[सदन के कुछ सदस्य खड़े हो गये और काफी समय तक शान्ति भंग रही। उपाध्यक्ष महोदय को कई बार रोकना पड़ा तब जाकर वातावरण शान्त हुआ। श्री वी० जी० देशपांडे तब भी बोलते गए और उन पर मार्शल लगाया गया]।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि मुझे अब माननीय सदस्यों के व्यवहारों पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। इस समय गम्भीर स्थिति है, किसी को भी मुझे उत्साहित करने की आवश्यकता नहीं। मैं दो बार बड़ी सिधाई दिखा चुका हूं। मैं किसी भी दल के माननीय सदस्यों के इस प्रकार के व्यवहार को सदन में सहन नहीं कर सकता। मैं माननीय सदस्य से सदन के बाहर चले जाने के लिये कहता हूं और पूरे दिन तक वे सदन के बाहर ही रहें।

श्री वी० जी० देशपांडे : मैं बाहर चला जाता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं किसी भी माननीय सदस्य द्वारा आदेश का उल्लंघन नहीं चाहता। मैं अभी तक सिधाई दिखलाता रहा और मुझे जान पड़ता है उसी को गलती से यह समझा गया कि मुझ में क्षमता नहीं है। जब तक मैं सदन में इस पद पर हूं, शान्ति स्थापित रखूंगा। मैं प्रत्येक माननीय सदस्य को जितना आवश्यक और उचित है बोलने का पूरा अवसर दूंगा, और निर्णय करने के पूर्व भली प्रकार सुनूंगा भी, किन्तु यह तरीका नहीं है जैसे कि माननीय सदस्य पेश आते हैं। बोलने को मना कर दिया तब भी बोलते चले जाते हैं और बाद को कहते हैं क्षमा कीजिये। मैं इसको क्षमा नहीं कर सकता।

श्री नम्बियार (मयूरम) : एक औचित्य प्रश्न है, श्रीमान्। मैं यह जानना चाहता हूं कि यदि कोई सदस्य अपनी बात पर आप से विमर्श कर रहा है। और तभी वार्ता के बीच में आप उससे रुक जाने के लिये कहते हैं, किन्तु वह बराबर बोलता रहता है, तो क्या आपके लिये मार्शल की सहायता लेना सही है ? मार्शल को बुलाने का तात्पर्य क्या उसे शक्ति लगा कर बाहर निकालना है ? क्या यह उचित है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह बिल्कुल उचित है। यदि किसी अवस्था पर मैं समझता हूं कि वह ठीक नहीं बोल रहा है और उसको

अधिक बोलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये। यह अधिकार मुझे है तथा अध्यक्ष को सदैव अधिकार और विशेषाधिकार रहता है कि वह किसी को बोलने की आज्ञा दे। जब तक उसे बोलने की आज्ञा न दी जाय तब तक किसी भी सदस्य को बोलना नहीं चाहिये। और यदि माननीय सदस्य उसके आदेश का उल्लंघन करता जा रहा है, तो मार्शल उपस्थित है उसके आदेश को लागू करने के लिये। मेरे लिये आवश्यक नहीं कि मैं बोलने के लिये मना करने पर उसको बाहर निकालने के लिये जाऊं। यही मेरा विशेषाधिकार है शान्ति के नाम पर। मैं जो भी करता हूं शान्ति के लिये करता हूं उसके लिये मुझे कोई दण्ड देने वाला नहीं है। मैं जब भी आवश्यक समझूंगा बिना व्यक्ति की चिन्ता किये कि वह कौन है इस सदन में शान्ति स्थापन के लिये बोलने से मना कर दूंगा। यदि कोई माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़ा है तो भी मैं उसको रोकने का पूर्ण अधिकार रखता हूं।

श्री एच० एन० मुकर्जी : एक औचित्य प्रश्न है श्रीमान् कि मार्शल की सहायता लेने से पूर्व कुछ अन्य वैधानिक कार्यवाहियां भी की जा सकती हैं। ज्यों ही आप किसी सदस्य की कोई बात सुनना नहीं चाहेंगे तभी उस सदस्य को बाहर निकालने के लिये मार्शल का उपयोग करेंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : इसमें कोई भी आदेश विन्दु नहीं है। मुझ से केवल एक कल्पनात्मक प्रश्न पूछा गया है। (विघ्न) शान्ति, शान्ति। मुझे सन्देह है कि मुझे कुछ और कठिन दण्ड देना पड़ेगा। (विघ्न)

पंडित एस० सी० मिश्र (मुंगेर-उत्तर-पूर्व) : आप प्रत्येक पर बल नहीं लागू कर सकते (विघ्न)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सदन में पूर्ण शान्ति चाहता हूं और उसके लिये मुझे किसी भी माननीय सदस्य की चिन्ता किये बिना कि वह किस दल का है, यदि विघ्न उपस्थित करेगा, तो मैं बल का प्रयोग भी अवश्य करूंगा। और यदि मैं ऐसा नहीं कर सका तो इस पद पर एक मिनट, रहना भी नहीं चाहूंगा। यदि कोई माननीय सदस्य मेरे आदेश का उल्लंघन करता है, तो मैं इसको सहन नहीं कर सकता। वह स्वयं अपने को अध्यक्ष समझने लगता है, तो ऐसी दशा में मेरा यह समादेश है कि ऐसे सदस्य के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जायगी। कल्पनात्मक प्रश्नों पर अधिक समय नष्ट करना व्यर्थ है (विघ्न)

श्री एच० एन० मुकर्जी : यदि आपका यह समादेश है, और आप इसी प्रकार व्यवहार करना चाहते हैं, तो इस समादेश के विरोध में हम सदन छोड़ देते हैं।

कुमारी एनी मस्करीन : मेरा औचित्य प्रश्न रह जाता है श्रीमान्।

उपाध्यक्ष महोदय : वह पहले ही तय किया जा चुका है।

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : क्या मैं प्रस्तावित कर सकता हूं श्रीमान्, कि जो सदस्य सभा-परित्याग करके चले गए हैं, उनके नाम दर्ज कर लिये जायें।

श्री वल्लाथरास : उनके नाम दर्ज करने से क्या लाभ क्योंकि सदस्यों को सभा-परित्याग करने का विशेषाधिकार प्राप्त है ?

श्री वी० दास (जाजपुर क्योंझर) : मैं निवेदन करूंगा कि अध्यक्ष महोदय श्री देशपांडे के भाषण की परीक्षा करें, जिसमें सदन के सदस्यों पर आक्षेप किये गए हैं।

श्री एस० एस० मोरे : मैं श्रीमान् द्वारा किये गए समादेश से सदैव सहमत नहीं हो सकता। सदन के माननीय नेता का प्रस्ताव कि जो सदस्य सभा-परित्याग करके चले गए हैं उनके नाम दर्ज कर लिये जायं इस सम्बन्ध में क्या मैं पूछ सकता हूं कि ऐसा किन नियमों के अन्तर्गत किया गया है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : क्या मैं कुछ शब्द कह सकता हूं। प्रत्येक माननीय सदस्य सभा-परित्याग कर तो सकता है किन्तु इसके साथ उसका प्रसंग तथा परिस्थिति भी तो देखी जाती है।

मैं निवेदन करता हूं कि ये नाम भविष्य में मार्ग प्रदर्शन के लिये दर्ज कर लिये जायं, क्योंकि ऐसी चीज़ें दुबारा हो सकती हैं। यह वांछनीय है क्योंकि मैं निवेदन करता हूं कि हम इस सदन में पिछले डेढ़ घंटे या कुछ ऐसे ही समय से जो कुछ देख रहे हैं वह एक दम असाधारण है और मैं आशा करता हूं कि इस प्रकार के व्यवहार का पुनरावर्तन इस सदन में न हो, क्योंकि जब यह सदन संसद् सदन नहीं रह जाता, जिसमें इसके सारे मामले एक सुन्दर ढंग से चल रहे हों, तो यह बिल्कुल भिन्न चीज हो जाती है जिसका हमारे संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय: कम्युनिस्ट दल के उपनेता ने भी सभा-परित्याग किया है। मैं जानना चाहूंगा कि कितने माननीय सदस्य इसके पक्ष में हैं और मेरे समादेश का विरोध कर रहे हैं। यह विरोध किसी अन्य चीज़ के सम्बन्ध में नहीं है वरन् मेरे समादेश के ही विरोध में है।

श्री एस० एस० मोरे : प्रजातन्त्र के अन्तर्गत यह पहली संसद् है, विरोधी दल के नेता भी अपने अधिकार तथा सीमायें जानने के इच्छुक हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग आपके समादेश से सहमत न हों और उसके विरोध में सभा-परित्याग कर दें और अंगरेज़ी शासन में कांग्रेस द्वारा भी यही नीति अपनाई गई थी। मान लीजिये कि मैं आपके समादेश से असहमत होकर सभा-परित्याग कर देता हूं, तो उसकी सीमा यें क्या होंगी ? तो मुझ को क्या-क्या दण्ड किन नियमों के अनुसार दिये जा सकते हैं ? इस सम्बन्ध में मैं अपने अधिकार जानना चाहूंगा।

श्री बी० दास : प्रति दिन सभा परित्याग।

उपाध्यक्ष महोदय: आज सभी सदस्यों का भाषण जो भी वह बोलते हैं, लिखित रूप में रहता है। माननीय सदस्यों को मेरा समादेश मान्य होना ही चाहिये। यदि कोई व्यक्ति मेरा समादेश अस्वीकार करता है तो इसका अर्थ यह है कि वह मेरे आदेश का विरोध करता है या मेरे समादेश में परिवर्तन चाहता है। यदि बहुमत कोई नियम बनाता है, तो दूसरों को उसे मानना चाहिये। इसके अतिरिक्त मैं अध्यक्ष हूं और जैसा भी सही या गलत मेरी समझ में आता है, निर्णय देता हूं। किन्तु यदि कोई सदस्य यह कह कर कि 'मैं आपके समादेश का विरोध करता हूं', और सदन से बाहर निकल जाता है। मैं समझता हूं कि मैं उसके विरुद्ध कार्यवाही कर सकता हूं। मैं समझता हूं कि किसी भी सदस्य को मेरा समादेश अस्वीकार करने का अधिकार नहीं होना चाहिये। किन्तु उसे यह अधिकार अवश्य है कि वह कह सकता है कि 'क्या आप अपने समादेश पर पुनर्विचार कर सकते हैं ?' यदि किसी समय मेरे समादेश से माननीय सदस्य सहमत नहीं होते हैं तो वे चुपचाप सभा परित्याग कर सकते हैं किन्तु साधारणतः व्यवहार में ऐसा होता नहीं है। अध्यक्ष तक पर लोग कभी कभी आक्षेप कर देते हैं और उससे सहमत नहीं होते।

डा० काटजू: अब हम स्थगन प्रस्ताव को लेते हैं जो श्री देशपांडे का है। यद्यपि

वह इस समय सदन में उपस्थित नहीं हैं फिर भी माननीय मंत्री इसको सुनने की कृपा करेंगे। मैंने माननीय सदस्य से कहा था कि यदि मुझे इसकी पूर्वसूचना मिल गई होती तो मैं इस घटना के सम्बन्ध में जांच पड़ताल करता। साधारणतः पुलिस के कथनानुसार घटनायें हैं कि जन-समूह दुर्व्यवहार कर रहा था तो पुलिस ने उसे रोकना चाहा। इस पर पुलिस पर आक्रमण कर दिया गया और फिर पुलिस को भी अपनी रक्षा के लिये कुछ थोड़ा बहुत प्रयत्न करना पड़ा।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय गृह मंत्री के दृष्टिकोण को तथा तथ्य को ध्यान में रखते हुए कहना पड़ता है कि एक सभा जो विधि-पूर्वक हो रही हो और जिसको इसकी पूर्व सूचना नहीं है कि धारा १४४ लगी हुई है, किसी भी समय ग़ैर क़ानूनी सभा हो सकती है और ऐसे समय में पुलिस का कर्तव्य है होता है कि वह जन-साधारण की रक्षा का उपाय करे। ऐसी अवस्था में सदन में स्थगन प्रस्तयव रखना उचित नहीं है। मैं नहीं समझता कि इस प्रस्ताव में मेरी सम्मति की भी आवश्यकता है।

श्रीमती सुचेता कृपलानी : यदि श्री देशपाण्डे का कथन सत्य है और जब सभा बुलाने तथा जुलूस निकालने पर प्रतिबन्ध नहीं लगा था तो शान्तिपूर्ण ढंग से सभा करते समय उन पर लाठी चार्ज किया गया तो मैं जानना चाहूंगी कि ऐसा किस कानून के अन्तर्गत मान्य है।

श्री जवाहर लाल नेहरू : माननीय सदस्या यह क्यों समझती हैं कि जो तथ्य दिये गए हैं, वही सही हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपलानी : मैं इसमें संशोधन चाहूंगी और हमें अधिकार है कि माननीय गृह मंत्री से तथ्यों का पूरा विवरण ज्ञात करें।

उपाध्यक्ष महोदय : इसके लिये वह सदैव तत्पर हैं किन्तु कुछ तथ्य एकत्रित करने के पश्चात् ही। इस स्थगन प्रस्ताव को यों ही कार्यान्वित रखने से कोई लाभ नहीं। मैं कुछ समय पूर्व यह सूचना उनके पास भेज दूंगा और वह सारे तथ्य यथाशीघ्र सदन में भेज देंगे।

श्री काटजू : हां।

श्री फ्रैंक एन्थोनी (नामांकित आंग्ल-भारतीय) : मुझे केवल स्थगन प्रस्ताव के सिद्धान्तों के स्वीकृत करने के प्रश्न से सम्बन्ध है। इस सदन के किसी स्थगन प्रस्ताव पर निर्णय करने के कुछ मापदण्ड होते हैं जिनमें प्रथम है केन्द्रीय सरकार का उत्तरदायित्व। केवल निरीक्षण ही स्वीकार करने योग्य नहीं है, और जहां तक देहली का सम्बन्ध है, गृह मंत्री का उत्तरदायित्व दूरस्थ उत्तरदायित्व है। दूसरी स्थिति के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि यह जनता के लिये आवश्यक एवं महत्वपूर्ण मामला है, क्योंकि सभा शान्तिपूर्ण थी और उस पर लाठी चार्ज किया गया। जब तक सरकार यह न कहे कि आरोप मिथ्या है, तो इन अधिकामनाओं के आधार पर हमें यह देखना है कि क्या ये मामले जनता के आवश्यक महत्वपूर्ण मामले न थे। क्या यह केन्द्रीय सरकार का उत्तरदायित्व था, मैं निवेदन करता हूं कि सिद्धान्ततः स्थगन प्रस्ताव पर विवाद के बाहर की चीज़ है।

श्री एस० एस० मोरे : मैं केवल एक उद्धरण पढ़ने की अनुमति चाहूंगा जो टाइम्स ऑफ इण्डिया का है और इस प्रकार है :

"चूंकि सभा पर प्रतिबन्ध नहीं था, यह लगभग ६५ मिनट तक चलती रही जबकि ७ बजे अपरान्ह कुछ सिपाहियों ने एकाएक मंच के समीप....."

श्री जवाहरलाल नेहरू : क्या सदन में समाचार-पत्र पढ़ने की अनुमति है ?

उपाध्यक्ष महोदय : वह केवल सूचना देने के लिये पढ़ रहे हैं।

श्री एस० एस० मोरे : .....लाठी चार्ज किया जिससे दर्शकों में भगदड़ मच गई।"

डा० काटजू : यह सब गलत है।

श्री एस० एस० मोरे : ".....मजिस्ट्रेट श्री जे० डी० शर्मा जो ड्यूटी पर थे अचानक आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने बहुसंख्या में उपस्थित प्रेस सम्वाददाताओं के सम्मुख लाठी चार्ज के आदेश को अस्वीकार किया।"

इस प्रकार एक उत्तरदायी समाचार पत्र में प्रकाशित एक उत्तरदायी अधिकारी के विवरण को दृष्टि में रखते हुए मैं स्थगन प्रस्ताव आवश्यक समझता हूं और यदि दूसरी ओर से उचित स्पष्टीकरण आता है तो जनता का डर दूर हो जायगा।

श्री जवाहरलाल नेहरू : श्रीमान्, क्या मैं कुछ शब्द बोल सकता हूं ? जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, यदि विरोधी दल चाहता है तो हम केवल इस घटना विशेष का या किसी अन्य का नहीं वरन् वाद-विवाद का स्वागत करते हैं, किन्तु आज देहली में ये सभी आश्चर्यजनक चीज़ें घटित हो रही हैं, इस सरकार को चुनौती, शान्ति और सुव्यवस्था को चुनौती, औचित्य को चुनौती और उन सभी चीज़ों को चुनौती दी जा रही है जिनके लिये यह सरकार और यह देश लड़ रहा है। मैं इन सभी चीज़ों पर पूरा वाद-विवाद करना चाहूंगा जब माननीय सदस्य जाते हैं और जान बूझ कर कानून भंग करते हैं, जब माननीय सदस्य देश के शत्रुओं का पक्ष लेते हैं, जब सदस्य ऐसी चीज़ें करते हैं जिनसे देश के शत्रुओं को प्रोत्साहन मिलता है, मुझे कुछ माननीया सदस्यों का ऐसी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना जब ऐसी बड़ी चीज़ें तय की जा रही हैं, आश्चर्य होता है। सभी मामलों पर पूर्णरूपेण विचार विमर्श करना है। हमें देखना चाहिये कि कौन सही है और कौन गलत।

उपाध्यक्ष महोदय : कोई भी समाचार पहले समाचार पत्रों में ही आता है जो सही भी हो सकता है और गलत भी। इस मामले के सम्बन्ध में माननीय मन्त्री से मेरा कहना है कि वह शीघ्रातिशीघ्र विवरण दें।

डा० काटजू : मैं कल प्रातः इसका विवरण दे सकता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मन्त्री कल इसका विवरण देंगे।

श्री एस० एस० मोरे : यदि वह इसका विवरण दे देंगे, तो हम प्रश्न नहीं पूछ सकेंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : हम देखेंगे।

श्री वल्लाथरास : जहां तक अध्यक्ष के समादेश का सम्बन्ध है हम उसका पालन करने को सदैव तत्पर हैं। मैं माननीय प्रधान मंत्री के प्रस्ताव से सहमत हूं कि इस मामले पर पूर्णरूपेण विचार किया जाय। अध्यक्ष महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वह इस प्रस्ताव को स्वीकार करें और सदन में इस पर विचार किया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय : यह केवल एक प्रस्ताव है। इससे पहले कि सदन में उस पर विचार किया जाय। पहले हमें यह जानना चाहिये कि मामले के तथ्य क्या हैं।

श्री एन० सी० चन्द्र की मृत्यु

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे श्री एन० सी० चन्दर की मृत्यु का समाचार सदन को देते हुए दुःख होता है, जो प्राचीन केन्द्रीय सभा के सदस्य थे। सदन की ओर से उनके परिवार वालों के पास शोक प्रस्ताव भेजा जाय। सदन एक मिनट के लिये शोक प्रदर्शित करने के लिये शान्त खड़ा हो जाय।

राज्य परिषद से सदेन्श

सचिव : श्रीमान्, मुझे राज्य परिषद् के सचिव द्वारा प्राप्त निम्नलिखित संदेश सुनाना है :

"नियम १६२ के उपनियम (६) के उपबन्धों के अनुसार राज्य परिषद् में प्रक्रिया के नियम तथा व्यवहार संचालन के सम्बन्ध में मुझे निम्नलिखित विधेयकों को वापस लौटा देने का आदेश दिया गया है जो लोक सभा द्वारा ३ मार्च, १९५३ को होने वाली बैठक में पारित किये गये थे और राज्य परिषद् को पारेषित कर दिये गए थे उसकी सिफारिशों के लिये, और परिषद् को यह बताने के लिये कि उक्त विधेयक के सम्बन्ध में लोक सभों को कुछ भी सिफारिशें नहीं देनी हैं :

१—विनियोग (रेलवे) विधेयक, १९५३

२—विनियोग (रेलवे) संख्या २, विधेयक, १९५३ ।

३—विनियोग (लेखा पर मत) विधेयक, १९५३" ।

साधारण आय-व्ययक—साधारण वाद-विवाद

श्री तुलसी दास (मेहसाना पश्चिम) : आयव्ययक के पक्ष तथा विपक्ष के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा जा चुका है । श्री देशमुख ने जब से देश का आर्थिक भार सम्भाला है तब देश की आर्थिक नीति सभी दृष्टियों से बड़ी सुव्यवस्थित हो गई है । सबसे बड़ी योग्यता उनकी इसमें है कि उन्होंने कुछ ही परिवर्तन करके आर्थिक नीति को सुधार लिया है । गत वर्ष उन्होंने बताया कि देश में करों का स्तर बड़ा निम्न था । अन्य देशों को देखते हुए । इसके लिये उन्होंने विभिन्न देशों के उदाहरण भी दिये । मुझे ज्ञात है कि आयव्ययक प्रस्तावों ने करों में कोई अभिवृद्धि नहीं की है । इंग्लैण्ड का स्तर बड़ा ऊंचा है किन्तु प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय भी काफी अधिक है । अपने देश में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय २५४ रु० है और सामान्य कर स्तर ७ प्रतिशत है । उन्होंने अन्य देशों के तुलनात्मक आंकड़े भी उपस्थित किये । मैं माननीय मंत्री को बतलाना चाहता हूं कि दक्षिण पूर्व एशिया में कुछ देश ऐसे भी हैं जहां प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय काफी है फिर भी कर भारत के बराबर या उससे कुछ कम है ।

भारत के प्रति व्यक्ति आय को देखते हुए कर भार अधिक है । अतः मेरी सम्मति में माननीय वित्त मंत्री ने अपने आयव्ययक में इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए इस बात को स्वीकार किया है कि करों में वृद्धि नहीं की जा सकती है । योजना आयोग ने इसका ध्यान रखा और ऐसा ही वित्त मंत्री ने भी किया है ।

भारत में कर देय क्षमता अधिक न होने के कारण उससे वे होने वाली आय इतनी न होगी कि उससे पंचवर्षीय योजना कार्यान्वित हो सके । योजना में कुछ करों का वर्णन किया गया है । मेरी समझ से ये कर तभी बढ़ाए या लगाए जाने चाहियें जबकि पंचवर्षीय योजना कार्य रूप धारण कर ले । दूसरा उपाय है ऋण लेना किन्तु यह सफल नहीं हो सका जैसा कि योजना में बताया गया है ।

भारत में प्रत्यक्ष तथा परोक्ष दोनों ही करों का भार असामाय है । वर्ष १९४७-४८ में अधिकतम आय वाला वर्ग ९२ प्रतिशत कर देता था, सभी करों को सम्मिलित कर, किन्तु अब वह केवल ७८ प्रतिशत ही रह गया है । अप्रत्यक्ष कर समाज के सभी लोगों से नहीं पड़ता है । यद्यपि कर भार कम हो गया है फिर भी यह कहना सही नहीं कि सारे लोगों पर कर अप्रत्यक्ष रूप से लगता है ।

[श्री तुलसीदास]

योजना ने कुछ नवीन कर प्रस्तावित किये हैं जैसे कृषि आय-कर, सम्पत्ति शुल्क, भू-राजस्व, सुधार-आरोपण, बिक्री कर और यह अनुमान लगाया गया है कि इससे लगभग १६५ करोड़ रुपयों की आय राज्यों से हो सकेगी। यदि मैं राज्यों के सम्बन्ध में कुछ कह रहा हूं तो सदन की सीमा के बाहर भी बात नहीं कह रहा हूं किन्तु सभी को मिल कर कार्य करना चाहिये जितने भी साधान उपलब्ध हों उनका उपयोग किया जाय तभी योजना सफल हो सकेगी।

योजना में यह भी कहा गया कि राज्यों से ४०८ करोड़ रुपये आधिक्य राजस्व मिलना चाहिये जो मेरी समझ में नहीं आता किस प्रकार हो सकेगा।

मैं करारोपण जांच आयोग की नियुक्ति का स्वागत करता हूं और इस आयोग से मैं प्रस्तावित करूंगा कि वह इसका पता लगाये कि आयव्ययक का वर्तमान रूप बदला जाना चाहिये या नहीं? मेरी समझ से यह स्पष्ट नहीं है और आयोग को चाहिये कि उसे स्पष्ट करने का प्रयत्न करे जिससे वह लोगों की समझ में आ सके।

इसके अतिरिक्त मैं चाहूंगा कि निधि का आय व्यय न हो। मैं देखता हूं कि प्रशासन सम्बन्धी कार्यों में धन अधिक व्यय किया जाता है। इसमें बचत करने की आवश्यकता है। लेखा समितियों, जन लेखा समिति तथा प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदनों से भी कुछ स्पष्ट नहीं होता कि सरकार का यह दावा कि व्यय पर सम्भव नियन्त्रण किया जा रहा है, कहां तक उचित है?

मैं यह भी कहूंगा कि सरकार को चाहिये कि राज्यों द्वारा चलाये गये उद्यमों पर किये गये व्यय की जांच भी करे कि वे ठीक प्रकार किये गए हैं या नहीं। कुछ राज्यों को पूर्ववर्तिता अवश्य दी जानी चाहिये किन्तु उसको उसी रूप में समझना चाहिये जिसमें वे पंचवर्षीय योजना में दिये गए हैं। उनका उल्टा अर्थ लगाना उचित नहीं।

मैं वित्त मंत्री से सरकारी वियोयकों के द्वारा निधि प्राप्त करने के प्रस्ताव के विषय में जानना चाहूंगा। इनसे किस प्रकार धन प्राप्त हो सकेगा। मैं पूर्ण रूप से जानना चाहूंगा?

पिछले दो वर्षों से चालू राजस्व आय-व्यय बड़ी अच्छी प्रकार से रखा जाता है किन्तु मूल आयव्ययक के सम्बन्ध में ऐसा नहीं कहा जा सकता। उनके आंकड़े परिवर्तनशील हैं और वह चालू आय व्ययक की भांति विश्वासपूर्ण नहीं है।

मैं अब हीनार्थ प्रबन्धन के प्रश्न पर आता हूं। वर्ष १९५१–५२ और १९५२–५३ तक केन्द्र तथा राज्यों की कुल हीनार्थता लगभग २०० करोड़ रुपये है। इसमें यदि १४० करोड़ रुपया अगले वर्ष के आय व्यय के लिये तथा १८ करोड़ रुपये की राशि जो पाकिस्तान से मिलनी है जोड़ दी जाय तो भी योजना के अनुसार दिये हुए आंकड़े हमें इस वर्ष के अंत तक प्राप्त न हो सकेंगे।

योजना के पूर्ण हो जाने के दो वर्ष पश्चात् अत्यधिक व्यय होगा जो पिछले दो वर्षों तथा आगामी वर्ष से भी अधिक होगा। अतः हमेशा हीनार्थ प्रबन्धन को और अधिक बढ़ाना होगा। वित्त मंत्री को हमें इसका स्पष्ट चित्र दिखलाना चाहिये जिससे हम उससे घबड़ा न जायं।

हीनार्थ प्रबन्धन के सम्बन्ध में मैं वित्त मंत्री को सावधान कर देना चाहता हूं कि यह मुद्रास्फीति का महत्वपूर्ण अंग है। हम लोग इसे इसलिये लाना चाहते हैं कि इससे

कुछ विदेशी सहायता मिल सकती है या उत्पादन में अभिवृद्धि हो सकती है। यदि कुछ अपूर्वदृष्ट चीजें हो जायं और बाहर से हमें वांछित वस्तुएं न मिल सके और उत्पादन अभिवृद्धि नहीं होती है तो मुद्रास्फीति का भय हो सकता है।

मैं देखता हूं कि सुरक्षा उद्योगों की उन्नति भी प्रोत्साहन देने वाली नहीं है। सुरक्षा की वस्तुओं के लिये हमें विदेशों की सहायता लेनी पड़ती है। होना यह चाहिये कि इन वस्तुओं का निर्माण देश में ही किया जाय। "सुरक्षा उद्योगों" से मेरा अभिप्राय व्यक्तिगत क्षेत्र तथा जन क्षेत्र दोनों से है।

अन्य उद्योगों के सम्बन्ध में मुझे प्रसन्नता होती है कि हमने स्वदेशी आन्दोलन को पुनः प्रारम्भ कर दिया है। हमारे देश में इसके लिये आवश्यक शिल्पज्ञ तथा कर्मचारीगण हैं और जहां तक सम्भव हो उनकी संख्या और बढ़ाई जा सकती है। अतः हमारे लिये यह अधिक से अधिक उत्तम तथा उचित होगा कि हम उस को प्रोत्साहन दें।

मैंने अन्य माननीय सदस्यों की बातों से ही सन्तुष्ट हो जाना उचित नहीं समझा। मैं इनको एक प्रकार से आवश्यक समझा और इसीलिये सम्मुख रख दी। मैं आशा करता हूं कि वित्त मंत्री अपने उत्तर में इन स्थतियों को स्पष्ट करेंगे।

श्री बी० पी० सिन्हा :(मुंगेर सदर व जमुई) : मैं अर्थ मंत्री द्वारा प्रस्तुत इस बजट का समर्थन करता हूं। समर्थन इन कारणों से करता हूं कि इस बजट में कोई ऐसा नया कर नहीं है जो गरीबों पर भार स्वरूप हो। साथ ही साथ इस में पंचवर्षीय योजना का भी समावेश है, यह भी हमारे लिये हर्ष की बात है, लेकिन इस में भय की एक बात है अर्थात् पाकिस्तान से प्राप्त होने वाली १८ करोड़ की राशि भी है। इसके लिये मैं अर्थ मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वह इस बात को ध्यान में रक्खे कि यह धन निश्चित रूप से हमें को मिल जाय।

राजस्व प्राप्ति के पांच वर्ष बाद भी हमारे बहुत से प्रश्न, वस्त्र की समस्या, अन्न तथा शान्ति की समस्या, अभी हल नहीं हो पायी हैं। इसके लिये गवर्नमेंट प्रयत्नशील है यह भी आनन्द की बात है। लेकिन साथ ही साथ रोटी तथा शान्ति की समस्यायें लोगों को बहुत विकल कर रही हैं यह भी हम जानते हैं। स्वराज्य के बाद विदेशों में हमारा सम्मान बढ़ा है, और हम में स्वाभिमान की भावना भी आई है। लेकिन साथ ही साथ रोटी की समस्या अगर हल भी हो जाय और शान्ति की समस्या हल न हो पाये तो भी हमारी बेचैनी बनी रहेगी। इसके लिये भी हमें प्रयत्नशील होना चाहिये। आज देश में अशान्ति तीन कारणों से है, हमारी अशान्ति के तीन कारण हैं, एक तो पेशेवर लोग हैं जिन का काम ही चोरी डकैती करना है और इन अपराधों के जरिये से वह अपनी जीविकोपार्जन करते हैं। दूसरे वर्ग में वह लोग हैं जो किसी कारण से गवर्नमेंट से असन्तुष्ट हैं और उन्होंने एक गिरोह बना लिया है। तीसरे वह लोग हैं जो अपार्चुनिस्ट (opportunist) हैं अर्थात् जो शासन की जगह में आ कर बैठ गये हैं और जिन के अन्दर सेवा की भावना नहीं है, वह देश के अन्दर बैठे हुए अशान्ति फैलाते हैं। इन सब का निराकरण इस प्रकार से हो सकता है कि जो पेशेवर लोग हैं उनको दमन के साथ शान्त किया जा सकता है। जो लोग असन्तुष्ट हैं उनको प्रेम और सद्भावना से सन्तुष्ट किया जा सकता है। लेकिन जो लोग शासन की जगह बैठे हैं और देश में अशान्ति मचाये हुए हैं उनका निराकरण दूसरे तरीके से हो सकता है। मेरा सुझाव इसके लिये यह है

[श्री बी० पी० सिन्हा]

कि शासन के जो तीन अंग हैं अर्थात् लेजिस्लेचर (Legislature) एग्जिक्युटिव (Executive) और जुडीशिअरी (judiciary) उन को एक दूसरे से बिल्कुल पृथक् कर दिया जाय । जब तक वह तीनों एक दूसरे से पृथक् नहीं होंगे, देश के अन्दर शान्ति नहीं हो सकती और डिमोक्रेसी (democracy) की भावना नहीं फैल सकती । आज जो लोग एग्जिक्युटिव पद पर हैं प्रकारान्तर से जुडीशिअरी और लेजिस्लेचर भी उन्हीं के हाथ में है इसलिये मेरा ऐसा विश्वास है कि देश के अन्दर शान्ति की स्थापना नहीं हो सकती है । यह तीनों एक दूसरे से स्वतन्त्र होना चाहिये और जब तक ऐसा नहीं हो सकेगा हम देश के अन्दर शान्ति की स्थापना नहीं कर सकेंगे ।

इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि जो बहुत से कानून हमारी राज्य सरकारें बनाती हैं जो कान्स्टिट्यूशन के फंडामेन्टल राइट्स (Fundamental rights of the Constitution) के विरुद्ध हैं और राज्य सरकारें उनकी अवहेलना कर के कानून बनाती हैं । मेरी प्रार्थना है कि प्रधान मंत्री एक ऐसी कमेटी बनायें जिसमें लीगल विशेषज्ञ हों अर्थात् कानून के जानकार हों वह इस बात की जांच करें कि राज्यों में कोई ऐसा कानून न बनने पावे जो हमारे विधान की अवहेलना करता हो । हमारे किसी भी राज्य को विधान की अवहेलना कर के कोई कानून बनाने का नैतिक अधिकार नहीं है, ऐसा मेरा विश्वास है । इस सम्बन्ध में मैं दो एक कानूनों का हवाला देना चाहता हूं । मेरे बिहारी दोस्त मुझे माफ करेंगे क्योंकि मैं बिहार की समालोचना जान बूझ कर नहीं कर रहा हूं । मैं उसकी चर्चा केवल इसलिये करना चाहता हूं कि उस से हमारी गरीब जनता पिसी हुई है और इस संसद् में उसका बतलाना मैं जरूरी समझता हूं । हाल ही में सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) में साठी के कानून की जो अवस्था हुई है वह आप को मालूम ही है । दूसरे कानून का नाम जो मैं लेना चाहता हूं वह है जनरल जंगल कानून । बिहार सरकार ने सन् १९४६ ई० में जंगल का कानून बनाया और फिर साथ ही साथ सन् १९४७ ई० में उसमें संशोधन किया । लेकिन उसके ऊपर भी सन्तोष न होने पर सन् १९४९ ई० में एक और एक्ट बनाया है जिस को वैलिडटिंग एक्ट (Validating Act) कहते हैं । उस के अनुसार सरकार को अधिकार है कि बिना कोई सूचना दिये हुये किसी की भी सम्पत्ति ले सकती है । मैं कहता हूं कि यह कानून सत्य और न्याय की कसौटी पर खरा नहीं उतर सकता है । वह कोई भी ठीक कानून नहीं हो सकता लेकिन फिर भी बिहार का जो वैलिडेंटिग एक्ट है उस के अनुसार बिहार सरकार को यह अधिकार है कि जिसकी सम्पत्ति हो बिना उसको सूचना दिये हुए उसकी सम्पत्ति को ले सकती है । उस कानून का हिन्दी रूपान्तर इस प्रकार है :

"बिहार व्यक्तिगत वन अधिनियम, १९४७ की १५, २१ और ३० धाराओं के अन्तर्गत अथवा इससे पूर्व उपर्युक्त अधिनियमों की किसी अन्य धारा के अन्तर्गत उन अधिनियमों के प्रारम्भ की तिथि से लेकर की गई कोई कार्यवाही केवल इस आधार पर अवैध नहीं मानी जायगी अथवा उसकी मान्यता पर सन्देह नहीं किया जा सकता कि भूमि पर उन अधिनियमों की धारा १४ के अनुसार कोई सूचना जारी नहीं की गई थी अथवा इसके जारी करने में कोई कमी या अनियमितता थी ।"

आप देख सकते हैं कि इसमें विधान की अवहेलना की गई है। इस जंगल के कानून को यदि हम जंगली कानून कहें तो अत्युक्ति नहीं होगी। इसी तरह के और भी कई कानून बिहार में हैं। क्रिमिनल प्रोसीजर (Criminal Procedure) के रहते हुए उसके पैरेलल एक कानून बनाया गया है जिसके अनुसार एक साधारण कर्मचारी जिसका कि मासिक वेतन ६० रुपये से कम है वह भारत के किसी भी नागरिक को पकड़ कर जेल भेज सकता है। हमारे पास ऐसे बहुत से उदाहरण हैं कि इस तरह से बहुत से लोगों को भेजा गया और इसकी वजह से जनता में त्राहि त्राहि हो रही है। आज मैं अपने प्रधान मंत्री से यह निवेदन करूंगा कि वह एक कमेटी बनायें जो यह देखे कि राज्य सरकारें जो कानून बनाती हैं वह फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध तो नहीं हैं, वह उन का अतिक्रमण तो नहीं करते हैं। हो सकता है कि जिन के पास पैसा है वह सुप्रीम कोर्ट में जाकर उसका रिड्रेस (redress) करा लें लेकिन हर किसान और जनता के पास इतना पैसा नहीं है कि वह सुप्रीम कोर्ट में जाकर रिड्रेस करा सके। इसलिये हम समझते हैं कि भारत सरकार का यह फर्ज़ है कि वह उस कमेटी द्वारा यह जांच कराती रहे कि जिन मौलिक अधिकारों की घोषणा की गयी है उनका किसी राज्य सरकार को अतिक्रमण करने का अधिकार न हो।

दूसरी समस्या हमारे सामने अन्न और वस्त्र की है। मैं आप के सामने भूमि समस्या के हल के सम्बन्ध में अपने कुछ सुझाव रखना चाहता हूं। आज हमारे सभी लोग समझते हैं कि हमारी भूमि समस्या ज़मीन के बंटवारे से हल हो जायगी। हम कहते हैं कि आज ज़मीन के बटवारे से भूमि समस्या हल हो सकती है। आज सरकार की भूमि की अनिश्चित नीति के कारण ही उत्पादन में कमी हो रही है। आज भूमि समस्या को हल करने का सबसे बड़ा उदाहरण विनोबा जी हमारे सामने रख रहे हैं उसको सरकार को बहुत ध्यानपूर्वक देखना चाहिये। सत्य और अहिंसा के जरिये हम ने स्वराज्य हासिल किया। अब दूसरा चमत्कार तब होगा जब विनोबा जी के हृदय परिवर्तन द्वारा भूमि का पुनः वितरण हो जायेगा। आज सन्त विनोबा जी को पूरा विश्वास है कि सन् १९५७ तक हृदय परिवर्तन के द्वारा सात करोड़ एकड़ ज़मीन प्राप्त कर सकेंगे और बांट सकेंगे। समाजवादी नता श्री जयप्रकाश नारायण जी भी कानून की बात नहीं करते हैं। उनको भी सन्तोष है और वह कहते हैं कि हृदय परिवर्तन के द्वारा हमारी भूमि समस्या हल हो सकती है। इस सम्बन्ध में मैं सरकार को केवल इतना ही सुझाव देना चाहता हूं कि वह मैक्सिमम सीलिंग (maximum sealing) फ़िक्स कर दे कि इतनी ज़मीन से कोई अधिक ज़मीन नहीं रख सकेगा। और किसानों को यह छूट दे कि वह सन् १९५७ के अन्त तक अपनी अधिक से अधिक ज़मीन को स्वेच्छापूर्वक ग़रीबों को बांट दें और उतनी ही ज़मीन वह रखें जितनी ज़मीन रखने का उनको कानून के अनुसार अधिकार मिला हो। मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि महावीर और बुद्ध की भूमि में आज फिर त्याग की भावना प्रबल होगी और हमारी ज़मीन की समस्या हल हो जायगी। आज ऐतिहासिक बात को तो जाने दीजिये। हमारे सामने पूज्य बापू जी और देशबन्धु जी का उदाहरण मौजूद है। आज अखबार में निकला है कि रामगढ़ के राजा ने एक लाख एकड़ ज़मीन विनोबा जी को दान दी है। यह धनी मानी लोगों के लिये आदर्श होगा और इस प्रकार हमारी समस्या स्वयं हल हो जायगी। भूमि वितरण और भूमि समस्या के हल के सम्बन्ध

[श्री वी० पी० सिन्हा]

में मैं कुछ सुझाव आप के सामने रखना चाहता हूं और आशा है कि सरकार इन पर विचार करेगी। कहा जाता है कि यदि हम १० प्रति शत अनाज और पैदा कर सकें तो हमारी कमी पूरी हो जायेगी। अनाजों से हमार मतलब गेंहूं, चावल, मकई और बाजरा से ही होता है। सब से अधिक कमी चावल की बतलाई जाती है : मैं समझता हूं कि अगर चावल की सारी मिलों को बन्द कर दिया जाय तो चावल की पौष्टिकता बढ़ जाने के अतिरिक्त हमें मन पीछे तीन सेर चावल बच सकता है। साथ ही साथ अगर गेंहूं के आटे का चोकर न निकाला जाय और उसको चोकर सहित ही खाया जाय तो एक मन में ढाई तीन सेर की बचत हो सकती है। इसके अतिरिक्त जौ मटर आदि के सत्तू काम में लाकर हम अपनी अन्न की कमी को पूरा कर सकते हैं। सरकार की ओर से जो ज्यादा गल्ला उपजाने के प्रयोग किये जाते हैं उनमें लगन की कमी रहती है। इसलिये सबसे पहले हमें भूमि समस्या को हल करना चाहिये। इस सम्बन्ध में सरकार की अनिश्चित नीति के कारण किसानों में उत्साह नहीं पैदा होता। इसलिये सरकार को ज़मीन की समस्या की ओर अधिक ध्यान देना चाहिये। इस सम्बन्ध में भी अपना एक सुझाव आप के सामने रखना चाहता हूं वह सुझाव यह है कि जो किसान उत्साह से ज़मीन को आबाद करते हैं उन को न छेड़ा जाय और जो दिल से खेती नहीं करते, अच्छी तरह से खेती नहीं करते, उनको सरकार ज़मीन का मुआवज़ा दे कर ज़मीन ले ले और ऐसा नियम बना दिया जाय कि कोई किसान ५० एकड़ से ज्यादा ज़मीन न रख सके। मुआवज़ा देकर प्राप्त की हुई ज़मीन और बंजर से सुधार कर प्राप्त हुई ज़मीन को किसी व्यक्ति विशेष को न दिया जाय बल्कि ऐसे लोगों को दिया जाय जो सहयोग के आधार पर खेती करना चाहते हों। इस तरह से खेती करने वालों से ज़मीन का दस प्रतिशत ले कर उनको वह ज़मीन दे दी जाय और शेष ९० प्रतिशत लम्बी किश्तों में ले लिया जाय। मैं चाहता हूं कि मुफ्तखोरी की भावना जनता में न आने पावे। अगर जनता में मुफ्तखोरी की भावना आ गयी तो सरकार देश की पैदावार की समस्या को हल नहीं कर सकेगा।

मैं आपके सामने डेनमार्क (Denmark) का उदाहरण पेश करना चाहता हूं। वहां पढ़े लिखे बेकारों की समस्या को इस तरह से हल किया गया कि उनको बंजर से सुधार की हुई भूमि दी गयी और उसका १० प्रतिशत मूल्य ले लिया गया और बाकी ९० प्रतिशत बहुत दिनों की किश्तों में लिया गया। इससे उनकी बेकारी भी दूर हो गयी और देश की पैदावार भी बढ़ गयी। अगर हम ऐसे भूमिहीन लोगों को ज़मीन दे देंगे जिनको कि खेती में दिलचस्पी नहीं है तो इससे देश की पैदावार नहीं बढ़ सकेगी। मेरा यह ख्याल है कि सभी भूमिहीनों को ज़मीन दे देने से अनइकानामिक् होल्डिंग्स (uneconomic holdings) हो जायेगी और उससे देश की पैदावार नहीं बढ़ सकेगी। इसलिये जिनको खती में दिलचस्पी हो उन्हीं को ज़मीन देनी चाहिये। इसी तरह हमारे देश की पैदावार बढ़ सकेगी। प्रत्येक भूमिहीन परिवार को ५० एकड़ ज़मीन निवास के लिये देनी चाहिये। कोई भी होल्डिंग ५ एकड़ से कम का नं हो। अनाज पर से कंट्रोल हटा दिया जाय जिससे कि किसानों को अपने उत्पादन का पूरा मूल्य मिल सके। कोई आदमी अधिक गल्ला एकत्र न कर सके। गल्ले के एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त में जाने पर कोई प्रतिवन्ध न रहे। किसान गल्ला देकर अपनी आवश्यकता की चीज़ें बार्टर (Barter) के रूप में

प्राप्त करें। सरकार समय समय पर उचित मूल्य पर गल्ला खरीद कर अपनी दुकानों में रक्खे जिससे कि गल्ले के भाव अधिक न बढ़ने पावें। इस चीज़ का हम को तजुरबा है। जब बिहार में भूकम्प हुआ था तो डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद जी ने इस नीति को अख्तियार किया था और बाजारों को अपने अधिकार में रखा था। लेकिन जब से सरकार उनके हाथ में आयी है तब से यह बाज़ार कंट्रोल करने में असमर्थ है। हमारा ख्याल है कि अनाज पर से कंट्रोल हटा कर हम लोगों में साधारण जीवन की भावना पैदा कर सकेंगे और इसके ज़रिये से हम अनाज का कंट्रोल कर सकेंगे। इस प्रकार से हमको विदेशों से अनाज खाने के लिये नहीं मंगाना पड़ेगा। विदेशों का अनाज हमारे खाने के लायक नहीं होता। आज के "नव भारत" में निकला है कि जो गल्ला अमरीका से आया है वह सड़ा हुआ है और उसके प्रत्येक बुशल (Bushel) के लिये सरकार को डेढ़ रुपया अधिक देना पड़ा है। अमरीका में ऐसा क़ानून है कि गल्ला बाहर न भेजा जाय इस लिये जो गल्ला कनाडा (Canada) से आया था उसमें से २० लाख टन हिन्दुस्तान में और कुछ हिस्सा जर्मनी (Germany) में गया और प्रत्येक बुशल के लिये आपको डेढ़ रुपया अधिक देना पड़ा। हमारी सरकार ने हम को बतलाया था कि सन् १९५१ तक हम सेल्फ़ सफ़ीशेंट (self-sufficient) हो जायेंगे। लेकिन जब सन् १९५१ बीत गया तो हम से कहा गया कि हम सन् १९५२ तक गल्ले के मामले में सेल्फ़ सफ़ीशेंट हो जायेंगे। लेकिन जब सन् १९५२ भी बीत गया तो हम से कहा गया कि पंच वर्षीय योजना के बाद हम सेल्फ़ सफ़ीशेंट हो जायेंगे। हमारा कहना है कि इसके लिये हम को दृढ़ होना चाहिये। जब तक हम दृढ़ नहीं होंगे तो हो सकता है कि पंच वर्षीय योजना के बाद भी कोई समय बताया जाय जब कि हम सेल्फ़ सफ़ीशेंट हो जायेंगे। हम कहते हैं कि दूसरे देशों से गल्ला मंगाना हमारे शासन के लिये अपमान की बात है और शासन के साथ साथ जनता के लिये भी अपमान की बात है कि आज हम अपने देश में इतना गल्ला पैदा नहीं कर सकते जो कि हम खा सकें। आज जो गल्ले की कमी बतलाई जाती है वह बहुत ज्यादा कमी नहीं है। उसकी पूर्ति हम कर सकते हैं। हमारा ख्याल है कि अगर हम संतुलित भोजन का चार्ट बना कर उसके अनुसार भोजन करें तो हम इस कमी को पूरा कर सकते हैं वह चार्ट आपके सामने रखता हूं। अनाज १२ आउंसोज (Ounces), दालें ६ आउंस सब्जी, ६ आउंस फल ३ आउंस, दूध या मट्ठा १० आउंस। मट्ठा मैंने इसलिये रखा है कि आज हमारे देश के गरीब होने के कारण दूध इतना नहीं मिल सकता। लेकिन मट्ठे के ज़रिये से हम दूध जैसे ही पौष्टिकता प्राप्त कर सकते हैं। आज बहुत से विशेषज्ञों का यह ख्याल है कि मट्ठे में जो गुण हैं वह दूध में नहीं हैं। आज गरीबी हमारे लिये स्वाभिमान की चीज़ होनी चाहिये। हमारे अन्दर यह भावना होनी चाहिये कि हम अपनी गरीबी में भी स्वाभिमान अनुभव करें और जो हमारे भोजन में पौष्टिकता की कमी है उसको संतुलित भोजन द्वारा इस तरीके से प्राप्त करें जो कि अमीरों को भी नसीब नहीं हो सकती है। लेकिन आज इसके लिये नेतृत्व नहीं है। उसके लिये मार्ग प्रदर्शन चाहिये। आज हमारा मार्ग प्रदर्शन करने वाला कोई आदमी नहीं है। इस सम्बन्ध में मुझे जर्मनी का एक उदाहरण याद आता है। हमारे एल० एस० जी के मिनिस्टर झा साहब जर्मनी गये थे। उनके पास पांच पाउण्ड मक्खन था। वह उसको दूसरों को बांटना चाहते थे। लेकिन हर एक आदमी ने जिसको उन्होंने मक्खन देना चाहा उसको

[श्री वी० पी० सिन्हा]

लेने से इंकार किया। एक विद्यार्थी ने, एक संस्कृत के विद्यार्थी ने उसको लेने से इंकार करते हुए यह कहा कि हम ने निश्चय किया है कि हम अपनी गरीबी को बांट खायेंगे। इसलिये हम मक्खन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं आज देश के अन्दर हम एक ऐसा आदर्श उपस्थित कर सकते हैं कि हमारे सामने जो चीज़ है उसी का उपयोग करेंगे। जो गल्ला हमारे देश में है उसी से काम चलावेंगे। जो आज हम विशेष रूप से भोजन करते हैं जो कि आज हिन्दुस्तान की साधारण जनता को नहीं मिल सकता है, उस को कम करेंगे। उसके अन्दर एक भावना पैदा कर सकते हैं कि जैसा विदेशों से हम गल्ला मंगाते हैं तो खुद वह कहते हैं कि घोड़ों के लिये जो सड़ा हुआ अनाज था वह हम बाहर भेज रहे हैं। अमेरिका में जो मिलट (Millet) सूअर के खाने के लिये काम में आती थी वह हिन्दुस्तान भेजी जा रही है। तो आज इस देश के लिये यह अपमान की बात है कि विदेशों से गल्ला आये। आज भी जो गल्ले की कमी है वह दरअसल गल्ले की कमी नहीं है। वह आंकड़ों के फेर में कमी बताई जाती है। फिर उसके अनुसार भी जब दस प्रतिशत की ही कमी है तो जैसा हमने बताया कि लाल चावल की लाली और चोकर न निकाल कर और साग आदि से पूर्ति कर के हम उस कमी को पूर्ण कर सकते हैं। हमारे अन्दर एक आत्माभिमान होना चाहिये। पूज्य बापू जी ने जब विदेशों से वस्त्र मंगानें का बहिष्कार किया था तो उस वस्त्र को न मंगाने के लिये पूज्य बापू जी ने अपने सारे वस्त्र फैंक दिये थे और कहा था कि चाहे सरदी में हम ठिठुर ही जायें, लेकिन हम बाहर का वस्त्र नहीं मंगावेंगे। उस भावना को हमें कबूल करना चाहिये और आज यह निश्चय करना चाहिये जो गल्ला हमारे यहां है उसी से काम चलावेंगे बाहर विदेशों से कोई गल्ला नहीं मंगावेंगे। इस तरह से हमारे शासन को, हमारे नेताओं को दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिये कि चाहे कुछ भी हो, हम विदेशों से गल्ला नहीं मंगावेंगे। चाहे कोई भी चीज़ खानी पड़े, हम बाहर के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे। आज हमारे देश में कई वस्तुएं हैं जिन में पौष्टिकता की कमी नहीं है। आप के अनुसंधान करने वाले को इस बारे में जांच करनी चाहिये कि कौन सी चीज़ पौष्टिक होते हुए भी हमारे यहां सर्व-साधारण उपलब्ध हो सकती है। हम एक अरब ५४ करोड़ और कुछ लाख रुपयों का गल्ला विदेशों से मंगाना चाहते हैं इस गल्ले की कमी की यहां पर ही पूर्ति करके हम उस रुपये से बहुत कुछ दूसरे कार्य कर सकते हैं और इंडस्ट्रियल डवलैप्मेंट (Industrial development) के काम में उस रूपये को ला सकते हैं।

इस सम्बन्ध में मैं आप को बताऊं कि मैं बिहार का रहने वाला हूं पर एक समय मुझे मौका मिला था और मैंने सौराष्ट्र और पश्चिमी हिन्दुस्तान का दौरा किया था। वहां मैंने यह देखा कि बहुत सी ज़मीन ऐसी थी कि जहां पर पानी की सिंचाई के ज़रिये से जहां उन्होंने काम लिया वहां पर बम्पर क्राप (bumper crop) थी। तो उसी तरह से आज भी हमारे पीछे एक दृढ़ निश्चय होना चाहिये कि विदेश से गल्ला नहीं मंगावेंगे। आज हम कोआपरेटिव फार्मिग (co-operative farming) की बात करते हैं। कोआपरेटिव फार्मिग के सम्बन्ध में आपको एक आदर्श रखना चाहिये। पार्लियामेंट के जो मैम्बर हैं वह और हम आज पांच घंटे रोज काम करते हैं और आज हिन्दुस्तान के मज़दूरों के काम करने का समय ८ घंटे बतलाते हैं। हम कहते हैं कि जब पार्लियामेंट

में ५ ही घंटे या तीन या ४ ही घंटे का काम होता है तो तीन या चार घंटे का समय शारीरिक श्रम करके और और कई कार्य कर के उस में लगा कर औरों को रास्ता दिखा सकते हैं। ऐसा हमें करना चाहिये। इस तरह कार्य करने से हम समझते हैं कि देश की बड़ी बड़ी मस्यायें हम हल कर सकेंगे।

हमारे जीवन के जो आवश्यक अंग हैं वे हैं, शान्ति, रक्षा, वस्त्र, शिक्षा और स्वास्थ्य। वस्त्र के सम्बन्ध में आज हमारी सरकार मील के बने कपड़े पर एक पैसा गज़ बढ़ा कर उस पैसे को हैंडलूम (handloom) के कामों में खर्च करना चाहती है। इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि हैंडलूम तो बहुत अच्छी हालत में है। वह सारा का सारा पैसा यदि खादी के प्रयोग के काम में किया जाय और हैंडलूम के काम में न किया जाय तो ठीक है। यदि वह हैंडलूम के काम में खर्च किया गया तो हम समझते हैं कि सरकार का यह काम दूध में खटाई डाल देने के समान होगा।

शिक्षा के सम्बन्ध में भी हमने देखा कि केवल दो करोड़ रुपये बेसिक एजूकेशन (Basic education) के लिये रखे गये हैं। दो करोड़ रुपया बहुत ही कम है और वह नगण्य समान है। लेकिन फ़ाइनैंस कमीशन (Finance commission) के सुझाव के मुताबिक कुछ सहायता प्रादेशिक सरकारों को हमारी सरकार देने जा रही है। उस सहायता में काफ़ी रक़म को यदि आप ईयरमार्क (Yearmark) कर दें कि वह प्राइमरी शिक्षा में ही खर्च हो तो इस से बहुत काम हो सकता है। आज हम देखते हैं कि पांच वर्षीय योजना में निरक्षरता निवारण का कोई मामला नहीं रखा गया है। चौदह वर्ष के स्कूल जाने के लायक जो लड़के हैं उन के लिये स्कूल में कोई जगह नहीं है। तो इस हालत को सुधारने के लिये हम आज बेसिक एजूकेशन के जरिये से ही यह परिस्थिति ला सकते हैं कि सब को स्थान मिल जाय। बेसिक एजूकेशन के लिये जो प्रादेशिक सरकारें इसको चलाती हैं तो इस में हैंडिक्राफ्टस का काफ़ी समावेश होना चाहिये।

आज हम देखते हैं कि आप की स्वास्थ्य की जो योजना है उस में आपने केवल प्रिवैंटिव (preventive) रखा है, क्यरेटिव (curative) नहीं रखा है। क्यूरेटिव नहीं रखने से आज हम जाते हैं तो आप के लोग कहते हैं कि हम बीमारी रोकने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन बीमारी फैल जाती है तो आप के लोग जाते हैं और कहा जाता है कि हमारे हिन्दुस्तान के अन्दर क्यूरेटिव चीज़ नहीं है। इसलिये हमारा ख्याल है कि स्वास्थ्य योजना में जिस तरह से प्रिवैंटिव समावेश है उसी तरह से क्यूरेटिव का भी समावेश हो। आज हमारे देश में लोगों का स्वास्थ्य गिरता जाता है। उसके जो कारण हैं, उन में रहने का खराब स्थान, नाइट साएल (night soil) का कुप्रबन्ध और खाने पीने की कमी है। इन सब चीज़ों को आप दूर कर सकते हैं और इस के ज़रिये से देश में एक नवीन व्यवस्था ला सकते हैं। तो इस ओर हम आप का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं।

साथ ही साथ हम आप से अर्ज करना चाहते हैं कि पार्लियामेंट के सदस्यों को और हिन्दुस्तान के हर एक नागरिक को वर्क्र स्वातंत्र्य होना चाहिये। अपने भाषण पर किसी के ऊपर अत्याचार न हो इसकी सरकार को व्यवस्था करनी चाहिये और पार्लियामेंट के मेम्बरों के लिये खास कर प्रधान मंत्री को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिये ताकि लोगों के विचार जाने जा सकें।

[श्री वी० पी० सिन्हा]

इन शब्दों के साथ इस बजट का समर्थन करते हुए हम यह कहेंगे कि आप की जो पंच वर्षीय योजना है उस पंच वर्षीय योजना में क्या करना है, उसका एक खरीता सरकार को देना चाहिये। नहीं तो जब हम कांस्टीट्युएंसी (constituency) में जाते हैं तो पंच वर्षीय योजना के बारे में बातें करते हैं तो वह उसी तरह की बातें होती हैं जैसे हम कहते हैं कि रचनात्मक कार्य करो, रचनात्मक कार्य करो। इसलिये सरकार का और प्लानिंग कमीशन के जो इंचार्ज हैं, उन का यह फर्ज़ होना चाहिये कि पार्लियामेंट के हर सदस्य को और उन की कांस्टीट्युएंसी में वह सब सूची में भेजनी चाहिये जो यह बताए कि पंच वर्षीय योजना से हिन्दुस्तान में क्या हो सकता है। साथ ही आप के जो बड़े बड़े प्रयोग हैं उन को छोड़कर छोटे छोटे प्रयोगों को हाथ में ले लें जिससे कि अन्न की समस्या हल हो जाय और देश में शान्ति की स्थापना आप कर सकें।

पंडित सी० एन० मालवीया (रायसेन) : श्रीमान् चेयरमैन साहब, मैं आप को इसलिये धन्यवाद देता हूं कि आप ने मुझे इस पार्लियामेंट के शुरू होने से इस वक्त पहली मर्तबा यह मौक़ा दिया है कि मैं अपने अर्थ मंत्री साहब को मुबारकबाद पेश करूं। हमारे बजट के सिलसिले में जो ऐतराजात किये गये हैं उन में एक क़िस्म का एतराज़ तो वह है जो विचार धारा से सम्बन्ध रखता है और वह यक़ीनन हर तरीक़े से यही कहना चाहते हैं कि चूंकि यह साम्यवादी या समाजवादी व्यवस्था का बजट नहीं है इसलिये इसका विरोध होना चाहिये। लेकिन हमारा बजट, जो हमारी पंच वर्षीय योजना है उससे मिल कर बना है, उसी के आधार पर बना है, इसलिये वह मिक्सड् इकानामी (mixed economy) आधार पर है। मेरी समझ में हमारा बजट जो हमारे देश की स्थिति है उसको सामने रख कर बनाया गया है हम समाजवाद को अडाप्ट (adopt) करना चाहते हैं, हम एक वर्गहीन समाज की बुनियाद बना कर आगे चलना चाहते हैं। ऐसी सूरत में हमारे देश की परिस्थिति को सामने रख कर जो बजट बनाया गया है उसमें यह ऐतराज नहीं किया जा सकता कि यह पीपुल्स (peoples) का बजट नहीं है। न कोई यह कह सकता है कि आज जनता में जोश नहीं है। जनता में जोश है और वह पंच वर्षीय योजना को कामयाब बनाने के लिये तैयार भी है। लेकिन मैं निहायत अदब से एक एतराज यह करना चाहता हूं कि हमारी सरकार खुद ही अपनी जनता के जोश को अभी सही तौर पर नाप नहीं पाई है और शायद वह प्रतिक्रियावादी शक्तियों के असर में या उन की मुरव्वत में उन शक्तियों के जोश को और संगठन को इतना समझ बैठी है कि अगर वह जनता में राय और तेज़ी से आगे बढ़े तो मुमकिन है कि यह लोग ऐसे मौके पर आकर हम को पकड़ें कि हमारी सरकार अस्तव्यस्त हो जाय। तो इस कारण उनके प्रति थोड़ी सी मुरव्वत और मेल रखन का सवाल है। इसलिये मैं जो तजवीज रखता हूं पहले मैं निहायत अदब से यह कहना चाहता हूं कि जब मैं प्रीवी पर्स का जिक्र करता हूं तो मेरा मतलब हरगिज यह नहीं है कि मैं अपने उन राजों महाराजों का अपमान करना चाहता हूं कि जिन्होंने यकीनन हमारी बहुत नाज़ुक वक्त में मदद की है, उन्होंने ६०० रियासत को इकट्ठा करने में हमारी मदद की है। मेरी तजवीज़ यह है कि क्या वजह है कि प्रीव पर्सेज़ का जो ४ करोड़ ७६ लाख रुपया सालाना हम देते हैं यह वे अपनी जेबों में रखें। मैं यह चाहता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने पहले काम किया है उसी तरह से हमारे राजा महाराजा साहबान और गवर्नमेंट

दोनों मिलकर यह तरीका निकालें कि प्रीवी-पर्स की जो रक़म है उसका देशहित में उपयोग हो, क्योंकि वही तो कोई उनकी आमदनी नहीं है उन की और भी दूसरी आमदनी है, उनकी जाती जायदाद है; कारबार है, उस सबका लिहाज़ रखा जाय। उनका जो जाती खर्चा है, उनका जो दूसरा खर्चा है, उनके रहन सहन का जो ढंग है, और जो जनता का ढंग है, जो जनता की भूख की स्थिति है उसको देख कर यह कुरबान करें।

और मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे हमारी यह हृदय परिवर्त्तन की फ़िलासफी चल रही है, उसका वह जरूर ध्यान रक्खेंगे और उन क्रान्ति की शक्तियों को ज़रा सामने रखेंगे और आज के बदलते युग और समय को देख कर वह खुद इस बड़ी रक़म को बचायेंगे और वह खुद इसको समझ सकेंगे कि इस रक़म को स्वयं अपने खर्च में लाना जो अनप्रोडेक्टिव (unproductive) हो और जिसका देश में कोई उपयोग नहीं हो सकता, कहां तक उचित है, आज हमारे देश में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज (industries) चल रही हैं और चलाने की योजना है, उनमें रुपये के इनवेस्टमेंट की ज़रूरत है, क्यों नहीं इस रुपये को उस ओर लगा दिया जाय और इस सम्बन्ध में मेरी पहली तजवीज़ यह है कि यह प्रिवीपर्स कम्पेनसेशन (compensation) देने का जो विधान में क्लाज़ (clause) है, वह जैसा कि हमारे पंडित जी ने पंच वर्षीय योजना के सम्बन्ध में बोलते हुए कहा था कि हम इस योजना को हर क़ीमत पर कामयाब बनायेंगे और अगर ज़रूरत होगी, तो हम इस विधान को भी बदलेंगे और मैं चाहूंगा कि विधान में जो जो यह प्रिवीपर्स और कम्पेनसेशन देने का क्लाज है, उसे तरमीम कर दें और इस तरह जो यह चार करोड़ छियत्तर लाख रुपया है उसको इंडस्ट्रीज़ में लगायें, अलबत्ता उस रक़म का जो सूद हो वह हम उनको दें, आज सारे देश में जो हमें कम्पेनसेशन देना पड़ रहा है, वह तकरीबन पांच अरब रुपये के आता है मुमकिन है इससे कुछ ज्यादा हो या कम, लेकिन निस्सन्देह यह पांच अरब रुपये की एक बहुत बड़ी रक़म है, दूसरे हम बाहर के देशों से भी ६ अरब रुपये का क़र्ज लेने वाले हैं, इसलिये यह और भी ज़रूरी हो जाता है कि हम इस पांच अरब रुपये की रक़म को बचायें और इसको आमदनी की मद में जोड़ सकते हैं।

इसके बाद मैं गवर्नमेंट का ध्यान इस तरफ़ भी दिलाऊंगा कि हमारे उन पूंजीपति भाइयों और राजा साहबान का जिनका रुपया अमरीका, इंग्लैंड देश के बैंकों में जमा है, तो क्यों नहीं वह रुपया उनका यहां हिन्दुस्तान के बैंकों में जमा हो ताकि हम उस रुपये का इस्तेमाल कर देश की उन्नति कर सकें। इसके साथ ही साथ मैं यह भी सुझाव देना चाहता हूं कि आज जो पार्ट सी० स्टैट्स (part 'C' States) में इतना ज्यादा खर्चा है, उनको बड़ी स्टेट्स में मर्ज़ (merge) कर दिया जाय लेकिन मिलाते वक्त और प्लान बनाते वक्त वह इस बात का ध्यान रखें कि इन छोटी छोटी रियासतों और इलाकों का भी ध्यान रक्खें, और उनको नेगलेक्ट (neglect) न कर दिया जाय, जैसे जो बड़ी बड़ी राजस्थान और मध्यभारत की यूनियनें बनी हैं, उनमें जो छोटी छोटी रियासतें हैं जैसे मध्यप्रदेश में छत्तीसगढ़ का इलाका है, उसकी तरफ ध्यान देना चाहिये, यह मैं इसलिये कर रहा हूं ताकि जो मिनिस्टर्स वहां बनें वह सिर्फ़ एक संकुचित दृष्टिकोण अपना कर अपने ही जिले अथवा रियासत का ध्यान न रक्खें और समय की पुकार है कि अब हमें इस संकुचित वृत्ति को छोड़ देना चाहिये और अगर हम ऐसा कर सकें तो हम अपने उद्देश्य में अवश्य सफल सिद्ध होंगे और इसके बाद

[पंडित सी० एन० मालवीय]

मैं इस चीज़ का भी समर्थन करता हूं कि यहां जिस तरह से हमारा लोकतंत्र चल रहा है, उस में हमारी गवर्नमेंट को यह ज़रूर विचार करना चाहिये कि वास्तव में क्या कौंसिल आफ़ स्टेट की ज़रूरत है ? इसके साथ ही साथ हमारे जो बड़े बड़े सरकारी अफ़सरान हैं उनकी की इज्ज़त करते हुए भी मैं यह चाहूंगा कि क्यों नहीं हम आज जो बहुत से अफ़सरान हैं उनकी कमी करें और उनकी योग्यता का दूसरे स्थानों में उपयोग करें इसलिये कि क्लर्कस ही ज़्यादा काम करते हैं। बड़ी योग्यता के अफ़सरों को हम दूसरी तरफ़ लगा कर फ़ायदा उठा सकते हैं, देश के लिये जो दूसरी तरह के एक्सपर्टस (experts) आदमियों की ज़रूरत है, उस की तरफ़ उन्हें लगाना चाहिये। मेरी राय में ज़रा इस बात पर भी गौर करना चाहिये कि क्या हम कुछ मिनिस्ट्रीज को मिला कर काम कर सकते हैं।

जहां तक नमक कर का सम्बन्ध है, मैं आप को बतलाऊं कि इस में हमारी राष्ट्रीय भावना निहित है। हमारे बहुत से भाइयों ने और हम ने पिछले समय में नमक कर आन्दोलन भी किये हैं और आन्दोलन चला कर बन्द किया था, लेकिन हम को फिर इस पर सोचना चाहिये कि हम क्या इस नमक कर को फिर से लगा कर अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि पिछले सेशन में जब बजट पर बहस हुई थी तो दो चीज़ों पर ज्यादातर ज़ोर दिया गया था, एक तो डिफ़िसिट फ़ाइनेंसिंग (deficit financing) पर और दूसरे साल्ट ड्यूटी पर। इस साल जो बजट पेश है, उसमें डिफिसिट बजट का प्रविजन तो है लेकिन यह जो साल्ट टैक्स की बात है यह ज़रा फिर से ग़ौर करने की बात है और मेरी प्रार्थना है कि उस पर मुनासिब तरीके से सोचना चाहिये।

इसके साथ ही साथ हमारा जो राजा महाराजाओं के साथ समझौता हुआ है उसके अनुसार उनकी बहुत सी प्रापरटीज अभी टैक्स की हद में नहीं आतीं। आज जब कि हमारे राजा महाराजा लोग समान नागरिकता के अधिकारी हैं और उनको वह पूर्ण अधिकार प्राप्त है और उनको चुनाव में खड़े होने और पार्लियामेंट और असेम्बलियों में जाने का अवसर प्राप्त है, तो क्या वजह है कि उनके साथ कोई विशेष व्यवहार किया जाय और मैं समझता हूं कि वह खुद भी इसको पसन्द नहीं करेंगे और छोड़ने को तैयार हो जायेंगे और इसलिये यह उचित हो जाता है कि शासकों की प्रापरटीज़ और उनकी आमदनी पर भी टैक्स लगना चाहिये।

अभी कल या परसों की ही तो बात है कि जब यहां पर हमारे प्रधान मन्त्री ने स्टालिन के सम्बन्ध में तक़रीर की थी, उसमें इस चीज़ को साफ़ किया था कि हमारी पालिसी शान्ति की पालिसी है और जब शान्ति हमारी पालिसी है तो हम इस चीज़ को भी मानते हैं कि दुनियां में शान्ति क़ायम रखने के लिये बड़ी बड़ी जो ताक़तें हैं जैसे यूनाइटेड नेशन्स आदि, उनके ज़रिये दुनिया में शान्ति क़ायम रक्खी जा सकती है, और आज दुनिया हिन्दुस्तान की तरफ़ देख रही है कि वह उसको शान्ति का पैग़ाम दे और आज वक्त है कि हम उन बड़ी ताकतों को इन्दौर के कांग्रेस प्रस्ताव के अनुसार हिन्दुस्तान में दावत दें और शान्ति कायम रखने के लिये शान्ति पैक्ट (pact) कराने की कोशिश करें ताकि दुनिया में शान्ति कायम रक्खी जाय, और इसके लिये बजट में हमको ज़रूर गुंजाइश करने की कोशिश करनी चाहिये।

इसके बाद चूंकि वक्त कम है, इसलिये कुछ बातें ऐसी हैं जिनको मैं अपनी रियासत से मुताल्लिक और खास तौर से जो पार्ट सी०

स्टेटस हैं उनके मुताल्लिक़ समझता हूं और उनकी ओर आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं। जितनी भी पार्ट 'सी' स्टेट्स हैं, उन में कई असेम्बलीज़ (assemblies) हैं, लेकिन अभी हाल में अजमेर में चीफ़ मिनिस्टर्स की जो बैठक हुई थी उसमें उन्होंने इस चीज़ का ज़िक्र किया है कि जब तक आप उनको कायम रखते हैं, उस वक्त तक तो उनको यह अधिकार अवश्य दिया जाय कि आप जब एक मर्त्तबा उनके लिये बजट पास कर दें, तो फिर उनको उसके खर्च करने में ज्यादा दिक्कत अथवा कठिनाई न हो, और होता यह है कि उनको बार बार हर बात के लिये सेंटर के पास आने जाने में दिक्कत उठानी पड़ती है और खर्चा भी ज्यादा होता है, ऐसा प्रबन्ध होना चाहिये कि उन को हर बात के लिये यहां आप के पास आने की दिक्क़त न उठानी पड़े, क्योंकि एक तो खर्चा ज्यादा होता है और दूसरे ज़िम्मेदारी और रिसोर्सेज़ ठीक न होने की वजह से काम में दिक्क़त होती है।

इंडस्ट्रीज़ की जो हमारी पालिसी है, उस में एक तरफ़ तो हम चाहते हैं कि इंडस्ट्रीज़ हमारी बढ़ें, लेकिन हमारे भूपाल में शुगर फैक्टरी (sugar factory), मैच फैक्टरी (match factory) और ग्लास फैक्टरी (glass factory) बन्द पड़ी हुई हैं, मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट उस ओर ध्यान दे, क्योंकि उन के बन्द रहने से मशीनरी और तमाम अन्य चीज़ें बेकार जा रही हैं।

सर्विसेज़ के बारे में मैं कहना चाहता हूं और वह पुरानी बात है और मैं बिल्कुल उस उसूल से इत्तिफ़ाक़ करता हूं कि राज्य कार्य में उत्तर, दक्षिण, भूपाल, ग्वालियर अथवा इंदौर का सवाल पैदा नहीं होना चाहिये, लेकिन इसके साथ साथ मैं यह ज़रूर चाहूंगा कि जो कि उस राज्य विशेष के रहने वाले हों, और वह पढ़े लिखे और नौज़वान हों और वह उनकी यह इच्छा कि उन्हें उस राज्य की ख़िदमत करने का अवसर मिले, बिल्कुल स्वभाविक है और हमें इसकी ओर ध्यान देना चाहिये, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि पार्ट 'सी' स्टेट्स के एडमिनिस्ट्रेशन (administration) में उनको नहीं लिया जाता और इसलिये वह उनकी सेवा से वंचित रह जाते हैं, तो इस तरह की गलत पालिसी को चलाने के लिये कौन ज़िम्मेदार है, मैं इस गलती के लिये गवर्नमेंट को ज़िम्मेदार क़रार नहीं देता, लेकिन उसकी जांच ज़रूर होनी चाहिये कि इसके लिये कौन ज़िम्मेदार ह ? पार्ट 'सी' स्टेटस् में आज ऐसे लोगों को शासन कार्य में रक्खा हुआ है जिनका उन स्टेटस् से कोई ताल्लुक नहीं है और मैं चाहता हूं कि उस कार्य के लिये योग्य व्यक्ति अगर उस स्टेट में मिल सकते हों, तो उन्हें वह कार्य सौंपा जाना चाहयिे। यह सिर्फ़ भूपाल की ही शिकायत नहीं है, बल्कि यह करीब करीब हर एक पार्ट 'सी' स्टेट की शिकायत है और हमें इस पर ग़ौर करना चाहिये। पेंशन और डी० ए० अलाउन्स (pension and dearness allowance) के क़ानून वहां बनाये, नये उसूल कायम किये, यह सब ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ जो वहां के रहने वाले हैं जो पुराने मुलाज़मीन हैं और पहले के मुलाज़मीन हैं उनके प्रति ऐसी उपेक्षित नीति बरती गयी और यह मैं केवल भूपाल के लिये ही नहीं कह रहा हूं बल्कि दूसरी पार्ट 'सी' स्टेटस् के लिये भी कह रहा हूं कि जो पहले के मुलाज़िम थे उनके साथ इस किस्म की पालिसी बरती गयी कि नये उसूल तो वहां लागू किये गये लेकिन उनमें नये आदमियों को रख दिया गया और वहां के पुराने आदमियों को किसी न किसी बहाने से निकाल दिया या उन्हें महरूम

[पंडित सी० एन० मालवीय]

कर दिया, इसलिये इस चीज़ की भी जांच होनी चाहिये और जो इस तरीक़े से उन जगहों से महरूम रक्खे गये हैं, उनको फ़ायदा पहुंचाना चाहिये और उनको उनका उचित हक़ दिया जाना चाहिये।

इस के साथ आप और हम पांच वर्ष की योजना को कामयाब बनाना चाहते हैं। लेकिन इसको कामयाब बनाने के सिलसिले में जो बहुत से लीकेजेज़ (leakages) हैं उन लीकेजेज़ की ओर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। भोपाल में सेन्ट्रल रेलवे तकरीबन दो लाख पचास हज़ार गैलन पानी खर्च करती है जिसके नेशनलाइज्ड इंडस्ट्री होने के कारण आठ आने पर गैलन के हिसाब से एक लाख पचीस हज़ार रुपया मिलना चाहिये। लेकिन वह नहीं दिया जाता। इसी तरह से कार्ड बोर्ड फैक्टरी है जिस को एक लाख तीस हज़ार रुपया देना चाहिये लेकिन सिर्फ़ तीन हज़ार रुपया सालाना देकर काम चलाया जाता है।

इस के अलावा, चेयरमैन साहब, मुझे दो एक बातों का और ज़िक्र करना है।

सभापति : मैं अब माननीय सदस्य से अपना भाषण समाप्त करने के लिये कहूंगा। मैं उनको केवल दो मिनट और दे सकता हूं ?

पंडित सी० एन० मालवीय : थैंक यू वेरी मच (thank you very much) अब मैं करप्शन पर कुछ कहना चाहता हूं। करप्शन के सिलसिले में बहुत आवाज़ उठाई गई है और लगभग एक ही बात कही गई है कि जितने सरकारी मुलाज़िम हैं वही करपटेड (corrupted) हैं। लेकिन मैं एक दूसरी बात भी कहना चाहता हूं। करप्शन की जिम्मेदार कांग्रेस नहीं है। बल्कि इस करप्शन की जिम्मेदार वही बात है जैसे कि हमने देखा था एक जमाने में जब हिन्दू मुसलिम झगड़े हुआ करते थे तब क्या होता था। जब हिन्दू हिन्दू झगड़ते थे तो कोई नहीं पूछता था, इसी तरह से जब मुसलमान मुसलमान लड़ते थे तब भी कोई नहीं पूछता था, लेकिन अगर एक भी हिन्दू और मुसलमान लड़ जाय तो हिन्दू मुसलिम दंगा हो जाता है। इसलिये मैं अपोज़ीशन के मेम्बरों से अपील करना चाहता हूं खास तौर पर कि अगर कभी किसी सरकारी मुलाज़िम के खिलाफ़ या व्यापारी के खिलाफ़ कोई एक्शन लिया जाय तो फिर आप को यह नहीं कहना चाहिये कि चूंकि फ़लां आदमी का हमारी पार्टी से ताल्लुक़ है इसलिये आप उस को ख़त्म करते हैं।

आज जब कि हमारे देश में शान्ति होनी चाहिये तब साम्प्रदायिक संस्थायें बढ़ रही हैं और हमारी कुछ दूसरी संस्थायें जानबूझ कर उन साम्प्रदायिक संस्थाओं की मदद करें तो दूसरी बात है। वर्ना हम उन शक्तियों को बढ़ाना नहीं चाहते हैं। इसी तरह से जो लोग करप्ट हैं, बड़े बड़ पूंजीवादी, बड़े बड़े होर्डर्स (hoarders) जो चीज़ें जमा कर के रखते हैं वह हमारे सरकारी मुलाज़िमों को करप्ट करते हैं, उन्हें मजबूर करते हैं और जो ईमानदार अफ़सर हैं उनका रहना नामुमकिन कर देते हैं और शिकायत कर कर के उन का ट्रान्स्फ़र (transfer) करवा देते हैं और उनके चले जाने पर अपना काम या रोज़गार आजादी से करते हैं। और चूंकि वह बेचारे सरकारी मुलाज़िम अपना डिफ़ेन्स (defence) नहीं कर सकते इसलिये हम सारी ज़िम्मेदारी उन के ऊपर रख देते हैं। मैं यह नहीं कहता कि उन अफ़सरों के अन्दर इस किस्म के करप्ट लोग नहीं हैं, लेकिन हम और

आप जा कर सिफ़ारिश करते हैं कि ऐसे आदमी का ट्रान्सफ़र मत करो, हम कहते हैं कि उस के ट्रान्सफ़र को रोक दो, जब हम और आप ही ऐसे काम करते हैं तो इस करप्शन की ज़िम्मेदारी हमारी और आप की है। मैं चाहता हूं कि इस बारे में पार्टी का सवाल न उठाया जाय। हम सब को मिलकर करप्शन को हटाना चाहिये। इसी तरीक़े से हम अपने यहां फैले करप्शन को हटा पायेंगे और हमारी उन्नति के बहुत से साधन खुल जायेंगे क्योंकि हमारी आमदनी और खर्च का बहुत सा हिस्सा करप्शन खा जाता है, इसलिये इस सम्बन्ध में सब को मिल कर कोशिश करनी चाहिये।

चेयरमन साहब, मैं आप को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप ने मुझे वक्त दिया और अपनी बात अच्छी तरह से कहने का मौका दिया।

श्री एम० डी० रामास्वामी (अरूर पुक्कोटाई): देश के कुछ भागों में अकाल के संबंध में वित्त मंत्री ने आयव्ययक में कुछ भी नहीं ध्यान दिया। राज्यों की आर्थिक स्थिति बड़ी खराब है और कुछ दक्षिणी जिलों में अकाल की सहायता के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा सहायता की अत्यन्तावश्यकता है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र की स्थिति बड़ी शोचनीय है फ़सलों के नष्ट हो जाने के कारण। मद्रास राज्य में फ़सलें सूख गई हैं। पीने वाले पानी के कुएं सूख गए हैं, और तालाबों को वर्ष भर में पानी नहीं दिया गया है। केन्द्रीय सरकार को वहां की स्थिति पर स्थानीय विधान सभा के सदस्यों तथा कांग्रेस दल के नेताओं द्वारा प्रतिवेदन भेजा गया है। विशेषकर कृषकों की तीन तालुकों में दशा बड़ी ही शोचनीय है किन्तु अभी तक सरकार द्वारा कोई ध्यान इस ओर नहीं दिया गया है। यदि भारत सरकार राज्य सरकार की सहायता से कृषकों की दशा सुधारने के लिये तथा सिंचाई आदि के लिये कुछ उपाय नहीं करती है तो सम्भव है कि जनता सरकार का विरोध करने लग जाय।

जहां तक हथकरघा उद्योग का संबंध है, केवल निम्न कोटि के भोजन की व्यवस्था से ही समस्या सुलझ नहीं सकती वरन् एक दीर्घकालीन नीति का अपनाना आवश्यक है। ४० प्रतिशत धोती तथा साड़ियों के निर्माण को हथकरघा उद्योग को दे देने से स्थिति सुधर नहीं जाती।

श्री एस० एस० मोरे: यह उद्योग केवल उदर-पूर्ति तक के लिये काफी नहीं है।

श्री एम० डी० रामास्वामी: धोतियों और साड़ियों के निर्माण का सारा कार्य हथकरघा उद्योग को ही दे दिया जाना चाहिये जैसा कि हजारों वर्ष पूर्व हुआ करता था। जब से यह कार्य मिलें करने लगीं तभी से इन उद्योगों की अवस्था इतनी शोचनीय हो गई। मिलों के पास कताई और बुनाई का सारा प्रबन्ध रहता है अतः वह सस्ता पड़ता है और करघा उद्योग को ये सुविधायें नहीं प्राप्त हैं। उसके अतिरिक्त मिलों में कम समय में अधिक से अधिक कपड़ा तैयार हो जाता है जो सस्ता भी पड़ता है। यही कारण है कि हथकरघा उद्योग मिलों से प्रतिस्पर्द्धा नहीं कर सकता। यदि सरकार ही चाहे तभी इसमें परिवर्तन हो सकता है और देश के करोड़ों लोगों का जीवन भी सुधर सकता है। मिल के कपड़े पर उप-कर लगाना खादी के ही हित में होगा। सरकार द्वारा यों भी खादी उत्पादन में सहायता दी जा रही है, इसके होते हुए भी मित्यव्ययतापूर्वक उत्पादन असफल रहता है।

[श्री एम० डी० रामास्वामी]

राजस्व तथा व्यय मंत्री (श्री त्यागी) : क्योंकि खादी अधिक से अधिक दूर वाले भागों में जाती है और बुनने वाली ग्रामीण गरीब स्त्रियां होती हैं।

श्री एम० डी० रामास्वामी : खेद है, माननीय मंत्री गलती पर हैं। जो लोग कांग्रेस का समर्थन करते हैं, केवल वे ही ऐसा करते हैं। उत्तर प्रदेशीय सरकार ने लगभग दस लाख लोगों की मांगों को पूरा करने के लिये जिनका जीवन करघा उद्योग पर निर्भर करता है, सहकारी संस्थाएँ खोली हैं जिससे उनको आर्थिक तथा अन्य प्रकार की सहायता भी दी जाती है। ३६ इंच से अधिक अर्ज़ वाली धोतियां और साड़ियां बनाने का काम इसी उद्योग के लिये रक्षित कर दिया गया है इससे हथ करघा उद्योग की काफी उन्नति होगी और उसकी समस्याओं का निराकरण हो सकेगा।

श्री एन० राचय्या (मैसूर-रक्षित अनुसूचित जातियां) : माननीय वित्त मंत्री के आय-व्ययक का देश के विभिन्न भागों में स्वागत किया गया है क्योंकि भारत के गरीब जन-साधारण पर राजस्व भार अधिक नहीं पड़ने पाया है। दूसरी बात यह है कि यह कृषि पर निर्भर करता है और हमारे देश में कृषि अधिकतर वर्षा की अनिश्चितता पर ही निर्भर रहती है। श्री रघुरामय्या सदन के एक माननीय सदस्य ने कहा कि मद्यनिषेध को समाप्त कर देना चाहिये। किन्तु मैं इसका विरोध करता हूं क्योंकि भारत के ३६ करोड़ लोग बड़े गरीब हैं और इस गरीबी का मुख्य कारण मदिरा पान ही है। मद्रास, बम्बई तथा मैसूर राज्य सरकारों ने मद्य-निषेध किया है यद्यपि उनको ऐसा करने से राजस्व में कमी अवश्य हुई है किन्तु उनकी दशा पहले से अच्छी है। अन्य राज्यों में भी इसको लागू कर दिया जाय तो देश की आर्थिक स्थिति सुधर सकती है।

हिन्दुत्व की रक्षा के लिये गो-वध निषेध होना भी आवश्यक है। इससे न केवल खेती की दशा ही सुधरेगी वरन् अस्पृश्यता भी दूर होगी जो अधिकतर गांवों में पाई जाती है। अछूतों के मन्दिरों, होटलों तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों पर जाने का पूरा अधिकार भी मिलना चाहिये। अपने संविधान में भी अस्पृश्यता निवारण को महत्व दिया गया है। केन्द्रीय सरकार को पुलिस की सहायता से इसे लागू कर देना चाहिये जिससे उचित कार्यवाही की जा सके।

साधारणत: हमारे गृह मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्य कुशलता एवं शैक्षिक योग्यता के सम्बंन्ध में नौकरियों के लिये अधिक बोलते हैं जैसे बी० ए०, एम० ए० आदि। किन्तु मेरे विचार से ईमानदारी तथा निष्ठता होने के साथ ही गरीबों की ओर सहानुभूति की भावना की ओर भी ध्यान देना चाहिये। ऐसे लोग जब नौकरियों में लिये जायेंगे तो देश का वास्तविक कल्याण होगा।

मुझे यह कहते हुए दु:ख होता है कि हरिजन उद्धार की ओर केन्द्रीय सरकार का व्यवहार एकसा नहीं है और न कोई निश्चित नीति या सिद्धान्त ही है। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि यह छ: करोड़ लोगों का प्रश्न है। अत: इसके लिये एक अलग मंत्रालय खोला जाय जो यह देखे कि केन्द्र तथा राज्यों में उनके साथ उचित व्यवहार किया जा सके।

एक माननीय सदस्य : ऐसा वे नहीं करगे।

श्री एन० राचय्या : हमको राजनैतिक स्वतन्त्रता तो प्राप्त है किन्तु सामायिक स्वतन्त्रता नहीं । इसे प्राप्त करने के लिये हिन्दू कोड बिल अविलम्ब ही पारित कर दिया जाना चाहिये ।

अब मैसूर राज्य की ओर आइये जिसका प्रशासन बड़ा ही सुन्दर है । यद्यपि यह राज्य भाग ब के राज्यों में आता है किन्तु अब इसको भाग अ राज्य का पद मिल गया है । इस राज्य ने ३५ बड़ी बड़ी सिंचाई की योजनाओं को हाथ में लिया है । नेगू योजना मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है जो लगभग एक वर्ष में पूर्ण हो जायगी । अन्य दो योजनाओं बद्रा तथा तुंगा के लिये केन्द्रीय सरकार की ओर से विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है । इसके अतिरिक्त अकाल पीड़ित क्षेत्रों को भी आर्थिक सहायता देने की योजना बन चुकी है जिसके लिये केन्द्र से कुछ सहायता मिली है यद्यपि वह बहुत थोड़ी है । आशा है राज्य के हित को देखते हुए इस पर पुनः विचार किया जायगा और कुछ उदारता से काम लिया जायगा ।

अब रेलवे, केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा आय कर का एकीकरण हो जाने के परिणाम-स्वरूप मैसूर राज्य के कर्मचारियों तथा अधिकारियों के हितों पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है । हरिजनों के साथ रेलवे में उचित व्यवहार नहीं किया जारहा है और कई कर्मचारियों का प्रत्यावर्त्तन कर दिया गया है । इसके अतिरिक्त मैसूर राज्य के अधिकारियों के साथ भारतीय प्रशासन तथा भारतीय पुलिस सेवाओं में समान व्यवहार नहीं किया जाता है । जब तक सरकार इस ओर ध्यान नहीं देगी तब तक इन हरिजनों को भारतीय प्रशासन तथा भारतीय पुलिस सेवाओं में लिया जाना सम्भव नहीं यद्यपि सरकार का विचार हरिजनों के उद्धार की ओर है । संविधान के अनुच्छेद ३३५ के अनुसार प्रशासन में हरिजन अधिकारों के प्रतिनिधित्व की ओर विशेष ध्यान दिये जाने का उल्लेख है । आशा है भविष्य में उनके कष्टों की ओर विशेष ध्यान दिया जायगा ।

मैसूर राज्य के कहवा, चाय तथा सिल्क उद्योगों को बड़े संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है । इन को उचित प्रोत्साहन नहीं दिया जाता । चाय तथा काफी उद्योगों में अधिक सरकारी कर्मचारियों को भरने की नीति केन्द्रीय सरकार की चल रही है । आशा है भविष्य में इन उद्योगों को उचित प्रोत्साहन तथा संरक्षण देश के हित की दृष्टि से दिया जायगा ।

चमड़ा उद्योग की दशा भी बड़ी खराब है । मैसूर राज्य सरकार द्वारा भी अन्य उद्योगों को सहकारी समितियों द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता इस चमड़ा उद्योग को नहीं दी जा रही है । इस उद्योग को प्रोत्साहन देने से हरिजनों की दशा भी सुधर सकेगी । अतः इधर ध्यान देना आवश्यक है ।

हरिजनों के उत्थान के लिये मैसूर राज्य २० लाख रुपये प्रति वर्ष इनके लिये गृह निर्माण योजना पर खर्च करती है । इनको निःशुल्क शिक्षा विश्वविद्यालय के स्तर पर दी जाती है जैसी कि अन्य कुछ राज्यों में व्यवस्था नहीं है ।

एक माननीय सदस्य : मद्रास में नहीं ।

श्री एन० राचय्या : शिक्षा के सम्बन्ध में एक समान योजना की आवश्यकता है । सामान्य निर्वाचन के पश्चात् जनसाधारण में जागृति की भावना प्रबल हो रही है । अतः ग्रामीण अपढ़ जनता को शिक्षित बनाना अत्यन्त आवश्यक है । लोकतन्त्र में शिक्षा का विशेष स्थान रहता है ।

श्री नानादास (ओंगोल——रक्षित——अनुसूचित जातियां) : हरिजनों को भूमि देने के सम्बन्ध में क्या हो रहा है ?

श्री एन० राचय्या : अन्य राज्यों की अपेक्षा वहां अधिक भूमि तथा छूटें दी जारही हैं। मेरे मित्र कांग्रेस दल की ओर निर्देश कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि यह केवल कांग्रेस दल तथा कांग्रेस सरकार ही है जो हरिजनों को पदार्थ दे सकती है। गांधीजी तथा इस कांग्रेस के कारण ही हमने अस्पृश्यता को एक झटके में दूर कर दिया और अब अन्य क्षेत्रों में उनको सुख सुविधायें मिलने जा रही हैं। अस्पृश्यता को दूर करने का तत्काल उपाय किया जाना चाहिये क्योंकि यह भारतीय समाज के लिये एक कलंक की बात है।

श्री मुरारका (गंगानगर-झुंझनू) : यह आय व्ययक विशेष महत्व रखता है क्योंकि पंचवर्षीय योजना के लिये अर्थ एकत्रित करता है।

हीनार्थ प्रबन्धन इस देश के लिये कोई नवीन वस्तु नहीं है किन्तु पहले कई बार युद्ध का सामना करने के लिये किया गया था तथा इसका परिणाम मुद्रा-स्फीति एवं उच्च रहन-सहन स्तर ही निकला। यही कारण है कि इसकी बात आते ही जनता सशंकित हो उठती है और डर जाती है। हीनार्थ प्रबन्धन देश की आर्थिक उन्नति करने के लिये, जबकि अन्य उपायों से यथा ऋण या आन्तरिक बचत अथवा वाह्य सहायता नहीं मिल सकती, आवश्यक हो जाता है। यह देश के लिये अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। यह सब देश में वर्तमान परिस्थिति में लागू करने की सीमा तथा आर्थिक नीति पर निर्भर करता है।

पंचवर्षीय योजना में २९० करोड़ रुपये का हीनार्थ प्रबन्धन दिखलाया गया है। यद्यपि वह इससे भी अधिक हो सकता है। ३६५ करोड़ रुपये की और कमी रह जाती है उसके लिये नियोजकों का कहना है कि वह अतिरिक्त करों, अधिक ऋण तथा विदेशी सहायता के द्वारा प्राप्त कर सकेंगे। जहां तक अतिरिक्त करों का प्रश्न है, वर्तमान स्थिति को देखते हुए इससे अधिक राजस्व की गुंजाइश नहीं जान पड़ती। यद्यपि केन्द्रीय सरकार की ओर से अतिरिक्त कर नहीं लगाये गये हैं बल्कि कुछ सहायता ही दी गई है किन्तु राज्य सरकारों ने कुछ नये कर लगा दिये हैं जिनसे भार अधिक बढ़ गया है।

आन्तरिक ऋण की दशा भी हम देख ही रहे हैं। वर्ष १९४७–४८ से सरकारी ऋण १५१७ करोड़ रुपये से घट कर १४०३ करोड़ रुपये रह गया है और भविष्य में १५ करोड़ रुपये की और कमी होने की आशा है। वित्त मंत्री ने विश्वास दिलाया है कि १०० करोड़ रुपये की वृद्धि इस ऋण में कर सकेंगे।

एक माननीय सदस्य : नोट छाप कर।

श्री सी० डी० पाण्डे (जिला नैनीतालव जिला अलमोड़ा दक्षिण पश्चिम व जिला बरेली—उत्तर) : छाप कर क्यों नहीं ?

श्री मोरारका : संयुक्त राज्य अमरीका में गणराज्य की विजय से किसी भी देश को अब उससे सहायता की आशा करना व्यर्थ होगा। उनका नारा है 'अधिक व्यापार किन्तु सहायता नहीं।' अतः हम जिस भांति भी हो देश की आर्थिक दशा को आन्तरिक उपायों से ही सुधारने का प्रबन्ध करें जिससे उसका उल्टा प्रभाव न पड़ सके। माननीय वित्त-मंत्री ने वर्त्तमान आय-व्यय में १४० करोड़ रुपये की पूंजी लेखा में कमी बताई है जिसमें ३० करोड़ रुपये की कमी एकाधिक्य में कमी करके और शेष ११० करोड़ रुपय की कमी अतिरिक्त भाग ऋण से पूरी हो

जायगी। यह अतिरिक्त ऋण किस प्रकार प्राप्त किया जायगा इसके विषय में आगे चल कर निश्चय होगा। देश की वर्तमान आर्थिक अवस्था प्रबन्धन के लिये उपयुक्त है। आज उद्योगों में स्टाक एकत्रित हो रहा है, देश में बेकारी बढ़ रही है और सामान्यतः मूल्य-स्तर भी गिर रहा है। अतः यदि इसमें कुछ अतिरिक्त राशि बढ़ा दी जाय तो उससे हानि के बदले लाभ ही होगा। देश में उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा तथा रोज़गार भी बढ़ेगा।

कुछ माननीय सदस्यों ने इस आयव्ययक की आलोचना करते हुए कहा है कि हीनार्थ प्रबन्धन से मुद्रा-स्फीति होगा किन्तु मैं बताना चाहता हूं कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए ऐसा कहना बिल्कुल निराधार एवं निस्सार है। उनका कहना है कि देश में ११० करोड़ रुपये के और नोट प्रचलन में आ जायेंगे। इससे आर्थिक दशा और भी बिगड़ जाती है। किन्तु ऐसी बात नहीं है। यदि हम ५० या ६० करोड़ रुपया जनता से ऋण के रूप में ले लेते हैं तब तो हीनार्थ प्रबन्धन केवल ५० या ६० करोड़ का ही रह जाता है।

यद्यपि हम लोग रूस की भांति अपनी पंचवर्षीय योजना के लिये केवल आन्तरिक बचत पर ही निर्भर नहीं रह सकते। हम लोगों को किसी सीमा से आगे धन बचाने के लिये मजबूर नहीं कर सकते, केवल उनसे इसके लिये अनुनय कर सकते हैं और यदि माननीय सदस्य इसके लिये लोगों से अनुनय कर उन्हें इसके लिये तैयार कर लेते हैं तो स्वतः ही हीनार्थ प्रबन्धन में कमी हो जायगी। उनका दूसरा अनुमान यह है कि यह ११० करोड़ रुपया व्यय होकर तत्काल ही उन लोगों के हाथ में चला जायगा जो उपभोग की वस्तुओं पर अधिक खर्च करते हैं। अतः यह कहना बड़ा कठिन है कि इसका कितना अंश आवश्यकता वालों को मिलेगा और कितना सम्पन्न व्यक्तियों को मिलेगा फिर भी इतना तो निश्चय ही है कि कुछ न कुछ अंश दोनों को मिलेगा ही। वे लोग जो नकद धन अधिक लेते है, वे अधिकतर उपभोग में कमी करके उसकी मात्रा को एकत्रित करने का अधिक प्रयत्न करते हैं। इससे मुद्रा प्रचलन में कमी होगी तथा उपभोग की वस्तुओं की मांग घट जायगी।

इन आलोचकों का तीसरा अनुमान जो बिल्कुल गलत है यह है कि हीनार्थ-प्रबन्धन काल में भोग्य-पदार्थों का उत्पादन तथा उपभोग की मात्रा सदैव स्थिर रहेगी। यदि मुद्रा प्रचलन में वृद्धि के साथ ही साथ पूर्ति में भी वृद्धि हो जाती है, तो मूल्य-स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता, किन्तु यदि पदार्थों की पूर्ति की मात्रा स्थिर रहती है, तो पदार्थों के मूल्य में वृद्धि हो जाती है। मैं नहीं समझता कि पदार्थों की पूर्ति की मात्रा किस प्रकार स्थिर रह सकती है। हमारी कुछ योजनायें अधिक अन्न उपजाने तथा वस्त्र उत्पादन की चल रही है जिनका प्रभाव स्पष्ट है। सरकार मुद्रा-स्फीति को लाभ की मात्रा तथा व्यक्तिगत रूप से पूंजी लगाने पर नियन्त्रण लगा कर रोक सकती है। दूसरा उपाय है कि सरकार विदेशी व्यापार को नियमित कर उसके द्वारा वस्तुओं की पूर्ति मात्रा तथा बाजार में धन की पूर्ति को घटा-बढ़ा सकती है। और अन्तिम उपाय है हीनार्थ प्रबन्धन को सफल बनाने का कि इस नीति का समाप्त करने के स्थान पर उसको सुधारना जहां तक जीवनोपयोगी पदार्थों का सम्बन्ध है।

हमारे योजना काल में नैसर्गिक आपत्तियां, शरणार्थी समस्या तथा सुरक्षा व्यय आदि ऐसी समस्याएं हैं जिन पर हमें विचार करना है। इस समय अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति भी बड़ी अनिश्चित हो रही है। यह इसी अनि-

[श्री मोरारका]

श्चितता एवं भय का परिणाम है कि हमें अत्यधिक व्यय पर बड़ी बड़ी सेनायें रखनी पड़ रही हैं। यदि इस व्यय में कुछ बचत की जा सके तो हीनार्थ-प्रबन्धन में कुछ कमी हो सकती है। यद्यपि मैं इसका विशेषज्ञ नहीं हूं कि इसके लिये कुछ उपाय बता सकूं किन्तु सरकार से इतना अवश्य निवेदन करना चाहूंगा कि वह इस विषय पर गम्भीरता पूर्वक विचार करे क्योंकि यदि शान्ति की रक्षा हमें भविष्य में भी सदैव बनाये रखनी है तो वह सेना के द्वारा नहीं, युद्धों पर अधिक व्यय करके नहीं, किन्तु लोगों के मस्तिष्कों से दरिद्रता एवं अशिक्षा के कष्टों को दूर करके ही स्थापित की जा सकती है।

श्री खर्डेकर (कोल्हापुर व सतारा) : नये बजट से मुझे बड़ी निराशा हुई। मैं इसमें काफी रोमाण्टिक तत्व की आशा करता था किन्तु मुझे आश्चर्य इस पर हुआ कि सौन्दर्य प्रसाधनों तक पर भी कर लगा दिये गए हैं और कुछ पर बढ़ा दिये गये हैं। सौन्दर्य-प्रसाधनों पर कर आरोपण करना सौन्दर्य पर कर लगाना है, जो मेरी समझ से कुछ असभ्यता सी है। माननीय मंत्री यह कह सकते हैं इन प्रसाधनों पर कर लगाने का अर्थ है अमीरों पर कर लगाना किन्तु यह मनमौजी मूर्खता है। बेचारे गरीब का तो सारा रोमांस छीन ही लिया गया है सुपाड़ी पर करारोप कर क्योंकि उस बेचारे का तो रोमांस का एकमात्र साधन पान ही था।

अन्य देशों में हीनार्थ प्रवन्धन का सहारा अधिकतर अवमूल्यन तथा बेकारी की बुराई को कम करने के लिये किया जाता है किन्तु हमारे माननीय वित्त मंत्री ने इसको उन्नति का एक मार्ग बनाया है। हमारी पंचवर्षीय योजना में कुछ गलत अनुमान आ गए हैं, जिनके कारण मैं निश्चयपूर्वक कह सकता हूं कि यह योजना पूर्ण नहीं हो सकती। यद्यपि मैं अर्थ शास्त्र दुर्भाग्यवश नहीं जानता फिर भी मनुष्य होने के नाते इतना अवश्य कह सकता हूं कि सभी विज्ञान जिनमें सामाजिक विज्ञान भी सम्मिलित है, और विशेषकर अर्थशास्त्र जिनका उद्देश्य होता है मनुष्य को अधिकाधिक उन्नत एवं सुखी बनाना। जब इस आयव्ययक में शिक्षा तथा स्वास्थ्य की उपेक्षा की गई है, तो उन्नत तथा सुखी बनाने की कोई सम्भावना रह ही नहीं जाती।

हमारे प्रधान मंत्री ने सरकार को एक पलिका-गृह बताया है। इस प्रकार हमारे वित्त मंत्री गृहिणी हुये जिनका कर्तव्य अपने सभी बच्चों की समान देख-रेख करना है, किन्तु वे वैसा नहीं करते और पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ उचित व्यवहार नहीं करते। हमारी सरकार का व्यवहार पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ दूसरे प्रकार का है और अनुसूचित जातियों के साथ दूसरे प्रकार का। सरकार का अर्थ है भला करना। मुझे एक पंक्ति स्मरण आती है :

"यदि आपका उद्देश्य भलाई करना है, किन्तु आप भलाई करते नहीं हैं, तो आप मूर्ख हैं।"

पिछड़े वर्गों की समस्या का मूल तत्व है दरिद्रता की समस्या। इसको समझने के लिये हमें गांधीजी तथा शा के विचारों का पालन करना पड़ेगा। आज सबसे अधिक शक्तिशाली का राज्य है। गांधी जी गरीबों को अपना दरिद्र नारायण समझते थे। दुर्भाग्यवश आज लोगों की केवल जिह्वा पर ही गांधी जी का नाम रह गया है, और हृदयों में कुछ और ही है, यही तो सबसे बड़ी कठिनाई है। शा के अनुसार दरिद्रता पाप है। यही सारे दुःखों का मूल है। मेरा निवेदन है कि यदि हम उचित विकल्प प्रस्तुत नहीं कर

सकते, तो हमारा कर्तव्य क्रान्ति उत्पन्न करना हो जाता है। दरिद्रता को दूर करने के मैं कुछ नम्र प्रस्ताव रखता हूं।

केन्द्र तथा राज्यों में राज्य परिषदें हैं उनको समाप्त क्यों न कर डाला जाय? इसके पश्चात् कुछ वैधानिक परिवर्तन करके इन राज्यपालों को भी हटा दिया जाय। लोकतन्त्र का अर्थ है जन-साधारण के स्तर को ऊंचा उठाना तथा उसको उचित समान देना है। उसका आधार है दरिद्रों को शिक्षा प्रदान करना। इसके बिना लोकतन्त्र नहीं कहा जा सकता।

इन राज्यपालों की तो कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती। इनको मन्त्रिमंडलों में लिया जा सकता है। इन पर व्यय करना विलासिता है। बम्बई के राज्यपाल श्री बाजपेयी भी वहां व्यर्थ का कार्य ही कर रहे हैं।

सम्पत्ति शुल्क की कोई भी चर्चा वित्त-मंत्री के भाषण में नहीं की गई थी, किन्तु बाद को उन्होंने स्थिति स्पष्ट की थी। यदि आप उच्चतम श्रेणी के लोगों को हटाते हैं तो यह ध्यान रखिये कि निम्नतम श्रेणी के लोगों का भला होता है या नहीं।

अब जमींदारी उन्मूलन को ले लीजिये जिसकी बड़े ज़ोर शोर की चर्चा है। पिछड़े वर्ग के लोगों को प्राथमिकता क्यों नहीं दी जाती? आज हम तमाम नदी-घाटी योजनाऐं तथा सिंचाई अभियोजनाएं बना रहे हैं। इनसे केवल भूमि मालिकों का ही भला होगा। क्या सरकार कोई न्यायपूर्ण व्यवस्था गरीबों तथा अनुसूचित जातियों के लिये नहीं कर सकती।

कुछ राज्य मद्य-निषेध के अत्यधिक पक्ष में हैं। और मेरे मित्र श्री खण्डूभाई तथा मुरारजी इसकी महान् सफलता पर बड़े ज़ोर दार शब्दों में बोलते हैं तथा मद्य-निशेध योजना के कारण ही वे निर्वाचित हुए हैं, मैं नहीं जानता। इसके पश्चात् प्रशासन पर व्यय आता है।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य का समय समाप्त हो चुका है। अत: वह अन्य नवीन विषय रखने का प्रयास न करें। अभी बहुत से लोग बोलने के इच्छुक हैं। मैं दो तीन मिनट और देता हूं।

श्री खर्डेकर : मान लीजिये कि अचानक मंत्रियों की लगभग आधी संख्या त्यागपत्र दे देती है इस कारण कि तमाम गरीब हरिजन तथा पिछड़े वर्ग के लोग भूखों मर रहे हैं। तो इस से क्या प्रशासन में गड़बड़ी नहीं पैदा हो जायगी। हमारे प्रधान मंत्री ने एक स्थल पर कहा कि "अनुसूचित जातियों के लोगों को विशेषाधिकार मांगने में स्वयं ही लज्जा आनी चाहिये, हम समानता में विश्वास रखते हैं।" क्या अजीब मूर्खता की बात है। यदि मेरे कथन का कोई मूल्य नहीं है तो मैं उपाध्यक्ष महोदय के दृष्टिकोण से पूर्णतया सहमत हूं कि यह सदन बातें करने का स्थान नहीं है।

श्री श्यामनन्दन सहाय (मुजफ्फरपुर मध्य) : यह आयव्ययक नागरिक का है, राजनीतिज्ञ का नहीं। इसमें भविष्य की अधिक बातें हैं, वर्तमान की नहीं। इसमें हीनार्थ-प्रबन्धन विदेशी सहायता, तथा पाकिस्तानी भुगतानों आदि की विशेष चर्चा है किन्तु मंदी तथा बेकारी पर कुछ भी नहीं कहा गया है।

हमारी आयव्ययक नीति की कोई निश्चित योजना नहीं है जिससे न तो निर्माता का कोई लाभ होता है और न उत्पादक

[श्री श्यामनन्दन सहाय]

का ही। कभी रेल किराया बढ़ा दिया जाता है और कभी डाक-महसूल। माननीय वित्त मंत्री का कहना है कि यह आयव्ययक पंचवर्षीय योजना को सम्मुख रख कर देखा जाय।

हीनार्थ-प्रबन्धन दो प्रकार का होता है। यदि वह आपका सामान्य व्यय पूरा करने के लिये है, तो वह निश्चय ही हानिप्रद सिद्ध होगा, किन्तु हीनार्थ-प्रबन्धन यदि विकास सम्बन्धी कार्यों के लिये है, किन्तु उस प्रकार से नहीं जैसा कि योजना आयोग ने अपने प्रतिवेदन में दिया है, किन्तु अनेक दशाओं में इसका सहारा भारत जैसे देश के लिये लेना ही पड़ता है। मेरे विचार से इस आयव्ययक को दो भागों में विभाजित कर देना वांछित होगा। यदि मैं गलती पर नहीं हूं तो पूंजी वृद्धि कार्य पर व्यय तथा सामान्य व्यय सम्मिलित कर लिये गए हैं।

श्री त्यागी : मैं समझता हूं कि वे अलग अलग हैं ।

श्री श्यामनन्दन सहाय : मैं ने इसका पता लगाने का प्रयत्न किया, किन्तु मैं ऐसा नहीं समझता। माननीय मंत्री मुझे बताने की कृपा करें किन्तु आय व्ययक में विभिन्न मदों का योग व्यय वही है।

मेरी समझ से दो अलग अलग बजट आगणन होने चाहिये। एक विकास-व्यय जो साधारण होता है और दूसरा जिसमें साधारण विकास व्यय तथा प्रत्यावर्ती आय एवं व्यय भी सम्मिलित रहता है। हमारी वर्तमान स्थिति यह है कि पिछली रोकड़ बाकी का हिसाब चुकता करना था और लगभग ५० करोड़ रुपया हमको अपने साधारण व्यय के लिये रखना था। अतः उसमें हमने ऐसा हिसाब रखा कि जिससे आय व्ययक में रोकड़ बाकी ५० करोड़ रुपये के लगभग आ जाय। मैं पाकिस्तान से १८ करोड़ रुपये की राशि मिलने वाली को इसमें सम्मिलित नहीं करना चाहता। आयव्ययक में लगभग सदा ही कुछ न कुछ कार्य अधूरे रह ही जाते हैं। अतः मैं प्रस्तावित करूंगा कि वह आय जिसका निश्चय नहीं है, परिवर्जनीय व्यय में जोड़ दी जानी चाहिये अन्यथा किसी भी बड़े देश में व्यय बढ़ता जाता है किन्तु आय पूरी नहीं हो पाती।

श्री त्यागी : क्या मेरे माननीय सदस्य यह अनुभव नहीं कर रहे हैं कि देनदार यह समझेगा कि महाजन अपने समझौते को उपस्थित कर रहा है ?

श्री श्याम नन्दन सहाय : मैं नहीं समझता कि देनदार इतना बुद्धू होगा कि वह यह न समझ सके कि वह किस सीमा तक झुक रहा है। अतः मैं अपने मित्र से सहमत नहीं हूं और आय-व्ययक में यह मानने से लाभ नहीं होगा कि दूसरा पक्ष समझदार नहीं है।

वास्तव में वित्त मंत्री ने कर आरोप जांच आयोग की नियुक्ति कर उसके अध्यक्ष पद का भार डा० जान मथाई को सौंप कर एक प्रशंसात्मक कार्य किया है। इससे देश का हित होगा और देश के कर अरोप का ढांचा बदल कर उसमें समानता आ जायगी। जूट निर्यात कर में कमी करना भी एक महान परिवर्तन है। आज जूट उद्योग की दशा कुछ और ही है अर्थात् सरकार के हाथ से बहुत कुछ यह उद्योग निकल कर व्यक्तिगत अधिकार में आ गया है। जूट निर्यात कर में कमी होनी चाहिये अन्यथा जूट यहां के बाज़ारों में नहीं बिकेगा। किन्तु आप लोगों को इस स्थिति में होना चाहिये

कि किस प्रकार की कमी सहायता या वृद्धि की जानी चाहिये। हम लोग ऐसा तब करते हैं जब हमें उस वस्तु का व्यापार करना पड़ता है। हमारे देश में निर्यात और आयात के संबंध में ऐसा नहीं होना चाहिये। अभी हम सब के नये होने के नाते ऐसा ही चल रहा है, कुछ अनुभव के पश्चात् हम इसमें कुछ परिवर्तन कर सकेंगे।

आय कर सीमा छूट भी सदन में संस्तुति करने योग्य है। कुछ आवश्यक आयातित दवाइयां जैसे पेनिसिलीन आदि पर भी कर लगा दिए गए हैं।

मेरे पूर्ववक्ता महोदय ने ही विलास की वस्तुओं पर कर वृद्धि के विरोध में आवाज उठाई, अन्य किसी ने नहीं।

बिना कटे छंटे और बिना जड़े हुए बहुमूल्य पत्थरों तथा लोतियों पर आयात कर बढ़ा देना उचित नहीं है। इससे बड़ी गड़बड़ी तथा बेईमानी हो सकती है। इसके लिये मेरी समझ से सबसे उत्तम नीति यह है कि इस देश में जहां तक सम्भव हो अधिकाधिक बहुमूल्य पत्थर प्राप्त हो जाने चाहियें पृथ्वी के अन्दर तमाम छिपे हुए बहुमूल्य पदार्थ होंगे यदि उनको ढूंढ कर खोज निकाला जाय तो काफी स्थिति सुधर सकती है।

डाक की दरें बढ़ा देने के पक्ष में मैं नहीं हूं। यह नीति सही नहीं है। इससे बैंकों का कार्य अधिक बढ़ जायेगा। लोग अधिकतर डाकखाने द्वारा रुपये भेजने के बजाय बैंकों द्वारा भेजने लगेंगे क्योंकि यह सस्ता भी पड़ेगा।

लेखकों तथा कलाकारों को दी जाने वाली सहायता में भी कई अड़चनें हैं। सहायता केवल उन कार्यों के लिये दी जाती है जिनमें एक वर्ष से अधिक समय लगता है। अब यह निर्णय करना कि वह कार्य एक वर्ष से अधिक से हो रहा है अथवा नहीं या यह किसके द्वारा तय किया जाय आदि कठिन चीजें हैं। उनको सहायता देने का उचित उपाय है कि उनको इस प्रकार सहायता दी जाय कि वे सुगमता से उससे लाभ उठा सकें।

बैंकों में ब्याज दर बढ़ा देने से लोग अधिककतर डाकखानों आदि में जमा करने के बजाय बैंकों में धन जमा करते हैं। अतः यदि हमारी सरकार अधिक ऋण चाहती है तो उसे भी ब्याज दर बढ़ा देनी चाहिये ताकि उसे उचित समय पर अधिक धन ऋण रूप में उपलब्ध हो सके।

नागरिक प्रशासन व्यय की ओर भी ध्यान देना आवश्यक है। वर्ष १९५२–५३ में यह व्यय ५५·९८ करोड़ रुपये था, जबकि वर्ष १९५३–५४ में यह रकम बढ़ा कर ७१·२७ करोड़ रुपये कर दी गई है।

वित्त मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : वर्ष १९५२-५३ में ५५ करोड़ रुपये में जितने मद थे इस वर्ष उससे कहीं अधिक मद हैं।

श्री श्यामनन्दन सहाय : ठीक यही दशा वैदेशिक कार्यों के सम्बन्ध में भी है। वित्त विभाग जिसको अन्य विभागों के सम्मुख आपका आदर्श उपस्थित करना चाहिये उसका व्यय ही १·१४ करौड़ रुपये से बढ़ा कर १·४२ करोड़ रुपये हो गया है।

मेरी समझ से अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से इतनी ऊंची ब्याज दर पर ऋण लेना देश के लिये बड़ा ही घातक है। सरकार को यह देखना चाहिये कि मुद्रा-बाज़ार में इस पर क्या प्रतिक्रिया हो रही है और इतनी ऊंची ब्याज दर पर कोई भी विकास कार्य किया जा सकता है जो देश के लिये लाभदायक सिद्ध होगा।

श्री दाभी (कैरा उत्तर): अब मैं सब से पहले सरकार की खाद्य-नियंत्रण नीति पर कुछ कहना चाहता हूं। फिर सरकार द्वार

[श्री दाभी]

समय समय पर घोषणा की गई कि नियन्त्रण कुछ महत्वपूर्ण स्थानों पर ही लगाया जाय। इस योजना के अनुसार राज्य में ही खाद्यान्नों के लाने ले जाने पर से प्रतिबन्ध हटा दिया गया है, और सम्पूर्ण नियन्त्रण केवल बहुत बड़े शहरों जैसे कलकत्ता में रखा है किन्तु दुर्भाग्यवश बम्बई ही एक ऐसा राज्य है जहां कि कठोरतम नियंत्रण अभी तक चल रहा है। माननीय खाद्य मंत्री ने अनेक बार सदन में घोषणा की कि खाद्य नियन्त्रण में छूट कर देने से स्थिति में काफी सुधार हो गया है और सफलता भी मिली है। अतः बम्बई राज्य सरकार को भी खाद्यान्नों पर से नियंत्रण हटा देना चाहिये। इस प्रकार केवल, बम्बई, अहमदाबाद, शोलापुर तथा पटना नामक चार प्रमुख नगरों में नियन्त्रण चलने देना चाहिये। इसके अतिरिक्त जहां कहीं आवश्यक समझा जाय उचित मूल्य दूकानें खोल दी जायं। जहां तक इस नियन्त्रण की सभी उकता देने वाली चीज़ें दूर कर दी गई है, किन्तु दुर्भाग्यवश बम्बई राज्य में नहीं। वहां सभी छोटे शहरों में भी नियन्त्रण का कड़ाई से पालन होता है ? और वहां इन राशन की दुकानों पर इतना खराब गेंहूं तथा चावल मिलता है, जो न केवल पेट में खराबी ही पैदा करता है वरन् उसमें कुछ दुर्गन्ध सी भी आती है।

सभापति : माननीय सदस्य उन वस्तुओं की आलोचना कर रहे हैं जो पूर्ण रूपेण राज्य सरकारों के अधिकार में हैं। आय व्ययक तथा इसके सम्बन्ध में सुझावों तक की सीसित बाद-विवाद होना चाहिये।

श्री दाभी : मैं चाहता हूं कि यह नीति केन्द्र से निर्धारित की जाती है और यदि अच्छा खाद्यान्न दिया जाय तो कोई भी कठिनाई न हो। खाद्यान्न खराब होने के अतिरिक्त अनावश्यक परेशानी भी इन प्रतिबन्धों के कारण उठानी पड़ती है और व्यक्तिगत उपभोग के लिये एक पाउण्ड भी चावल या गेंहूं तक नहीं मिल पाता। अतः राज्य सरकारों को इन परेशानी वाले नियन्त्रणों को हटा देने का आदेश दे दिया जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त नियंत्रित क्षेत्रों में व्यक्तिगत उपभोग के लिये चावल या गेंहूं की कुछ मात्रा स्वीकृत की जानी चाहिये।

पंचवर्षीय योजना में यद्यपि खादी तथा कुटीर-उद्योगों को देश की आर्थिक दशा सुधारने में प्रमुख स्थान दिया गया है और एक ग्राम उद्योग मण्डल की स्थापना खादी को प्रोत्साहन देने के लिये की गई है। मेरी समझ से जब तक सरकार अपनी सम्पूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये जैसे पुलिस अथवा सेना के लिये वर्दी बनवाने आदि में खादी का उपभोग मूल्य की चिन्ता किये बिना नहीं करती तब तक खादी को वास्तविक सरक्षण मिलना नहीं कहा जा सकता। देश में लाखों गज कपड़ा बिना बिका हुआ पड़ा है, और लाखों बुन कर बेकार हो गये हैं किन्तु फिर भी सरकार खादी नहीं खरीदती यद्यपि उसकी आवश्यकता कई लाख गज की होती है। सरकार को चाहिये कि जनता के सम्मुख अपना आदर्श उपस्थित करे और जब तक ऐसा नहीं होता, खादी की सच्ची उन्नति नहीं हो सकती।

पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सरकार कोल्हू से पिरे तेल उद्योग को भी यथासम्भव महत्व देना चाहती है। किन्तु मुझे आश्चर्य होता है कि सरकार औद्योगिक कार्यक्रमानुसार वनस्पति घी, जो एक प्रकार से जमे हुए तेल का ही बदला हुआ नाम है और जो ताज़े तेल से भी घटिया और मिलावट वाला होता है, सरकार क्यों प्रोत्साहन दे रही है ? सरकार की यह नीति कुछ समझ में नहीं आती।

अब मद्य-निषेध को लीजिये। कहा जाता है बम्बई राज्य की मद्य-निषेध योजना असफल रही किन्तु ऐसी बात नहीं है। वित्त मंत्री का यह आदेश कि मद्य-निषेध योजना बम्बई राज्य में समाप्त कर दी जानी चाहिये, कुछ समझ में नहीं आती। संविधान को दृष्टि में रखते हुए भी ऐसा कहना उचित नहीं जान पड़ता।

[तत्पश्चात् उन्होंने हिन्दुस्तान टाइम्स नामक पत्र से अपने कथन की पुष्टि के लिये कुछ पंक्तियां पढ़ कर सुनाईं जिनका आशय यह था कि मद्य-निषेध से बम्बई राज्य के लोगों का ध्यान रचनात्मक कार्यों की ओर झुकता जा रहा है, और लोगों का नैतिक सुधार हो रहा है]

श्री एन० आर० नायडू (राजमुंडी): पिछले वर्ष आय व्ययक पर खूब आलोचना हुई थी किन्तु माननीय वित्त मंत्री ने उत्तर में कहा कि इसको दूसरे ही दृष्टिकोण से बनाया गया है। इसके अतिरिक्त यह आय-व्ययक पंचवर्षीय योजना का एक अस्त्र ही समझना चाहिये। अतः इससे स्पष्ट है कि यह आयव्ययक सामान्य व्यक्ति के पक्ष को लेकर नहीं वरन् देश के व्यापारिक क्षेत्रों के साथ अधिक सहानुभूति रखता है। अतः यदि उन्हें व्यापारियों, पूंजीपतियों तथा विदेशियों की सहायता पंचवर्षीय योजना को कार्यान्वित करने में चाहते हैं, तो हमें इस विषय में कुछ नहीं कहना है। यदि सरकार जन सहकारिता सामान्य व्यक्ति तथा मजदूरों आदि का साथ चाहती है, तो इस नीति से काम नहीं चलेगा। नमक-कर पर गांधी जी ने जनता के सहयोग से कितना बड़ा आन्दोलन किया था, केवल इस कारण कि वह साधारण व्यक्ति तथा मजदूरों के हित में न था। अब पुनः वित्त मंत्री उसको लागू करने का विचार कर रहे हैं। देश की दशा बड़ी शोचनीय हो रही है। कारखाने बन्द होते जा रहे हैं; व्यवसायों में छंटनी हो रही है, बेकारी बढ़ती चली जा रही है। हमारा वर्तमान आयव्ययक इस समस्या का कोई हल नहीं देता। यह ब्रिटिश अर्थशास्त्री की गणानुसार पांच वर्ष पश्चात् लगभग २५,०००,००० मजदूर बेकार हो जायेंगे। किन्तु सरकार की नीति से ऐसा पता नहीं लगता कि वह निम्न आय वाले लोगों के हित के लिये क्या कर रही है। जब सरकार को यह सुझाया गया कि एक हजार रुपये से अधिक वेतन पाने वालों की आय में कमी करके निम्न वेतन वालों के वेतनों में वृद्धि कर दी जाय। इस पर माननीय वित्त मन्त्री ने बताया कि केवल प्रति व्यक्ति १ रु० ८ आ० ही पड़ेगा। अतः इससे दरिद्रता और बढ़ेगी। यह तो सरकार का निम्न वेतन वालों की ओर से विचार है। इससे जन-साधारण पर कोई भी मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया नहीं होती और वह समझते हैं कि यह सरकार पूंजीपतियों का पक्ष करती है, सामान्य व्यक्ति का नहीं। अतः पंचवर्षीय योजना अन्त में निश्चय ही असफल सिद्ध होगी।

यदि लोक-सहयोग प्राप्त हो जाता है, तो सब कुछ होते हुए भी देश का कुछ न कुछ हित होना निश्चित ही है। यह सरकार तक ने स्वीकार किया है।

हम लोगों के समक्ष ख्यापादासगढ़ तथा नन्दीकोंडा योजनाओं का उदाहरण है। प्रथम में अधिक धन की आवश्यकता नहीं किन्तु उससे लाभ अत्यधिक हैं और पांच वर्ष बाद भी वह योजना पूरी न हो सकेगी। दूसरी योजना का भी यह हाल है कि उससे बाद की योजनाएं लगभग पूर्ण होने को हैं किन्तु वह अभी अधूरा ही पड़ा हुआ है।

सरकार द्वारा जनता को यह विश्वास दिलाना चाहिये कि हम किसी के प्रति भी

[श्री एन० आर० नायडू]

पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं करते हैं किन्तु ऐसा वह कहे कैसे जब ऐसी बात नहीं है। केवल उन्हीं स्थानों तक को प्रश्रय मिलता है जहां के मन्त्रिगण आदि होते हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में गोदावरी नदी पर एक पुल बनने का कार्य सन् १९४९ से प्रारम्भ किया जाने को था जो अब जाकर शुरू किया गया है जबकि पालर नदी जो श्री अलगेशन के निवास ग्राम के समीप से होकर बहती है और यद्यपि उसमें पानी केवल वर्ष में एक या दो बार बहता है, उस पर पुल लगभग बन चुका है। इतनी बड़ी नदी जिस पर लगभग सात लाख व्यक्तियों का जीवन निर्भर करता है, इतने समय बाद कहीं जाकर पुल बनने का कार्य प्रारम्भ हुआ है। ये उदाहरण ऐसे हैं कि जिनसे सिद्ध होता है कि जनता का सहयोग सरकार को प्राप्त नहीं हो सकता जब तक वह अपनी नीति निष्पक्ष नहीं बनाती।

हीनार्थ-प्रबन्धन से मुद्रा-स्फीति होगी अर्थात् वस्तुओं का मूल्य बढ़ जायगा किन्तु लोगों का वेतन नहीं। इससे दशा और भी गिर जायगी यदि उचित नियन्त्रण नहीं होगा और हीनार्थ-प्रबन्धन चलेगा तो लोगों को जीविका चलाना भी दूभर हो जायगा। नियन्त्रण केवल गेंहूं, चावल या अन्य खाद्यान्नों पर ही न होकर अन्य सभी वस्तुओं पर भी होना चाहिये। जब सरकार को हीनार्थ-प्रबन्धन का सहारा लेना ही पड़े तो इन सभी पदार्थों का एकत्रीकरण कर लिया जाय और समान नियन्त्रण लगा दिया जाय तभी स्थिति वश में रहेगी।

मैं उस राज्य में रहता हूं जहां मद्य-निषेध दर्शक के सन्तोष के लिये नहीं वरन् सरकार के सन्तोष के लिये लागू किया गया है। आप गली में खड़े हो जाइये और आवाज लगाइये आपको देशी शराब मिल जायगी। यह तो मद्रास मद्य-निषेध का हाल है।

मद्य-निषेध एक आदर्श है किन्तु इसके पूर्व हमें यह जान लेना चाहिये कि यथार्थ रूप से किस प्रकार जीवन व्यतीत किया जाता है। जब तक हम यह नहीं जान लेते कि हमें किस प्रकार रहना चाहिये, हमको मद्य-निषेध जैसे आदर्श के विषय में नहीं सोचना चाहिये।

श्री वी० पी० नायर (चिरायिन्किल) : किन्तु श्रीमान्, यह प्रथा रही है कि प्रतिदिन प्रत्येक दल के व्यक्ति को बोलने का अवसर दिया जाता है।

सभापति : मैं नहीं समझता कि मैंने किसी के साथ अन्याय किया है। मैं डा० सिन्हा को बोलने का अवसर देता हूं।

डा० एम० एम० दास (बर्दवान—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : मैं जानना चाहूंगा कि कांग्रेस दल के सदस्यों को बुलाने का क्या तरीका है?

सभापति : साधारणतः हम को ऐसे नियम का पालन करना चाहिये जिससे सभी प्रकार के लोगों को विभिन्न विचार सदन में रखने का अवसर प्राप्त हो सके। मेरे विचार से यही ठीक भी है। अब मैं श्री लिंगम को बोलने का अवसर देता हूं क्योंकि जब मैंने डा० सिन्हा को बुलाया तो वह थे नहीं।

श्री एन० एम० लिंगम (कोयम्बटूर) : इस आयव्ययक को अनेक नामों से सम्बोधित किया गया है किन्तु मैं समझता हूं कि इसमें वित्त मंत्री के व्यक्तित्व की सच्ची झलक है। अनेक सदस्यों ने कहा कि जब देश की आर्थिक दशा अच्छी होती है तो अधिकतर हीनार्थ प्रबन्धन साधारणतः चलता ही रहता है। हमारे देश की दशा कुछ सुधरती जान

पड़ती है, उत्पत्ति बढ़ रही है, चीजों के भाव गिर रहे हैं और स्थिरता आ रही है और खाद्य स्थिति भी सुधर रही है किन्तु हीनार्थ-प्रबन्धन भी एक सीमा तक ही होना चाहिये अन्यथा पंचवर्षीय योजना सफल नहीं हो सकती। वित्त मंत्री ने १८ करोड़ रुपये भी इसमें जोड़ लिये हैं जो पाकिस्तान से मिलने हैं। किन्तु मेरे विचार से यह राशि निकट भविष्य में तो मिल नहीं सकती।

माननीय वित्त मंत्री ने पंचवर्षीय योजना को सफल बनाने में राज्यों का प्रमुख हाथ बताया है किन्तु ऐसे समय में जबकि राज्यों में अकाल पड़ने की सम्भावना हो नये कर लगने जा रहे हों या बेकारी फैल रही हो, तो राज्य सहायता नहीं कर सकते और न वे इस योजना की सफलता के लिये इतने अधिक इच्छुक ही हैं जितने कि वित्त मंत्री।

ब्रिटेन तथा अमरीका के बीच होने वाली वार्ता स्पष्ट ज्ञात होती है कि आर्थिक स्थिति में अन्तर्राष्ट्रीय जगत् में महान् परिवर्तन होने वाला है। हमारे यहां भी मुद्रा अवमूल्यन होने वाला है। हम नहीं जानते यदि यह अवमूल्यन हुआ, जैसा कि विशेषज्ञों के कथन से ज्ञात होता है तो इससे शोधनाधिक्य की स्थिति पर कहां तक प्रभाव पड़ेगा।

यद्यपि वस्तुओं के मूल्यों के लिये भी कहा जाता है कि वे गिर रहे हैं और स्थायित्व की ओर जा रहे हैं किन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि वे उस सीमा तक आ गए हैं जैसा कि आयव्ययक में रक्खा गया है। वित्त मंत्री या तो इन ग़लत धारणाओं को दूर करें या ऐसी कार्यवाहियां करें जिससे उन बातों पर भी ध्यान दिया जा सके जो आयव्ययक के बनने के समय नहीं उत्पन्न हुई थीं।

पंचवर्षीय योजना के विषय में काफी कहा जा चुका है। सदन में भी और बाहर भी। योजना को सफल बनाने के लिये वित्त मंत्री व्यय बढ़ाने के इच्छुक हैं। यद्यपि इस योजना के पूर्ण हो जाने से राष्ट्र का कल्याण अवश्य होगा, किन्तु भारत जैसे अनुन्नत देश के लिये यह योजना अभी उन्नति की ओर अग्रसर करने वाली प्रथम सीढ़ी है। कुछ क्षेत्रों की ओर केवल ध्यान देने से कार्यवाही नहीं चल सकती किन्तु राष्ट्र की उन्नति के लिये सभी अंगों की ओर ध्यान देना पड़ेगा जैसे खाद्योत्पत्ति, औद्योगीकरण, अनुसूचित जातियों तथा वनजातियों का सुधार, शिक्षा तथा स्वास्थ्य आदि। आवश्यकता इस बात की है कि इस योजना में जितनी भी बाधायें आयें उन पर विजय प्राप्त की जाय और ऐसा वातावरण तथा लोगों में उत्साह उत्पन्न किया जाय कि वे सम्पूर्ण शक्ति इसको सफल बनाने में लगा सकें। केवल पुस्तकाएं आदि प्रकाशित करने से कार्य पूरा नहीं हो सकता वरन् जन-साधारण को इसके लिये हर प्रकार से तैयार करना होगा। सरकारी कार्यों में अनावश्यक व्यय तथा अपव्यय बचाने पड़ेंगे।

भाग 'ग' के राज्य अधिकतर ताल्लुकों या ज़िलों से भी छोटे हैं जिनमें व्यर्थ ही इतना धन व्यय किया जाता है। अतः इनको समाप्त कर दिया जाना चाहिये।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

आन्ध्र राज्य का बनना भी भाषा, प्रशासन तथा आर्थिक दृष्टि से बड़ा ही कठिन कार्य है। अतः इस प्रश्न को समाप्त कर देना ही अच्छा है।

मेरी समझ से योजना को नीचे से ऊपर की ओर चलाना चाहिये था अर्थात् इसकी तीन श्रेणियां होनी चाहियें प्रथम जिला स्तर द्वितीय राज्य स्तर और अन्तिम केन्द्रीय स्तर। बिना इन तीनों स्तरों के इस योजना का सफल होना सम्भव नहीं जान पड़ता।

[श्री एन० एम० लिंगम]

ज़िलों में बने नियोजन मंडल व्यर्थ हैं, वे कुछ भी लाभदायक कार्य नहीं कर सकते । वे अगुआई ही कर सकते हैं और न उनमें इतनी प्रेरणा शक्ति ही है कि वे इस योजना की उन्नति में सहायक बन सकें ।

जब तक कि सारे भारत के जन साधारण के जीवन को प्रभावित करने का कोई उपाय योजना के अन्तर्गत नहीं होगा जिससे उनको प्रोत्साहित कर उनकी सहायता प्राप्त की जा सके, तब तक इसके पूर्ण होन में सन्देह है । इस कारण जनसाधारण के दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाले उन्नति कार्यों की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये अर्थात् सामुदायिक योजनाओं को पहले कार्यान्वित किया जाना चाहिये ।

त्याग की भावना को आयव्ययक में कोई स्थान नहीं मिला जब तक सम्पूर्ण देशवासियों में त्याग की भावना नहीं भरी जायगी मुझे इस योजना के पूर्ण होने में सन्देह बना रहेगा ।

श्री पी० एन० राजभोज (शोलापुर--रक्षित--अनुसूचित जातियां) : आज बजट पर बोलते हुए कई लोगों ने हमारे अछूतों के बारे में बहस की है और लेक्चर भी दिये हैं । लेकिन मेरे ख्याल से हम लोगों के लिये जो कुछ काम हो रहा है वह अच्छे दिमाग से, अच्छी दृष्टि से नहीं हो रहा है । हम लोगों की तरफ से जो रिप्रेज़ेंटेटिव्ज (Representatives) हैं वह अलग अलग नारे लगाते हैं । हमारे आर्थिक सवाल के बारे में अभी तक कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है । और बहुत से बिल पास किये हैं जैसे कि डिसएबिलिटी बिल (Disability Bill) पास किया है लेकिन जब हम अपनी नौकरी चाकरी के बारे में जो कुछ सवाल करते हैं, कुछ मांग करते हैं तो हम को कुछ न कुछ जवाब देकर दबा दिया जाता है । नागपुर की दलित कान्फ्रेंस में जब हमारे भाई जगजीवन राम जी अध्यक्ष थे उस समय नेहरू जी ने कहा था कि अछूतों में नौकरी चाकरी के मामले में जातिवाद नहीं होना चाहिये । मैं कहता हूं कि अगर देखा जाय तो मालूम होगा कि जितने ऊंचे ऊंचे अफसर हैं वह सब ऊंचे **वर्ग** के हैं । लेकिन जब हम अपने लिए **कुछ बात** कहते हैं तो हम को जातिवादी कहा जाता है । इस देश में हम अछूतों की संख्या पांच करोड़ से ज्यादा है । अध्यक्ष महोदय मुझे यह कहते हुए शर्म लगती है कि जिस कम्युनिटी (Community) में मैं पैदा हुआ हूं उसके प्रति अभी भी देश में छुआछूत मौजूद है । कानून तो आप ने बना दिया है लेकिन वह अमल में नहीं आता । हम इस के लिये आवाज़ उठाते हैं । लेकिन जब से कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी है तब से हमको दबाया जा रहा है । अगर हम बोलते हैं तो कहते हैं कि तुम कांग्रेस के खिलाफ हो । क्या हम देश के दुश्मन हैं ? हमारी आर्थिक दशा खराब है । हमारा दरजा ऊंचा होना चाहिए । उसके बारे में कुछ नहीं हो रहा है । मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज देश में ईसाई हैं, मुसलमान हैं, हिन्दू हैं, और इसमें भी छुआछूत फैली हुई है । इसके साथ ही गवर्नमेंट ने एक नई छूआछूत पैदा कर दी है । उन्होंने बैकवर्ड क्लास (Backward class) और शिड्यूल्ड ट्राइब्स (Schedule tribes) कायम की है । बैकवर्ड क्लास के लिए छूआछूत नहीं है लेकिन उनको भी इसमें मिला दिया गया है । मैं हरिजन नहीं कहलाना चाहता । लेकिन जब तक इस देश में छूआछूत है और हमारी आर्थिक दशा नहीं सुधरती, और हमको हिन्दुओं के बराबरी का दर्जा नहीं मिलता तब तक हम अछूत रहेंगे । हम लोगों में से जो लोग यहां बैठे हैं वह तरह तरह के नारे लगाते हैं । कुछ लोग ठीक बात बोलते हैं

कोई प्रतिकूल बात बोलते हैं। लेकिन हमारा कहना है कि जहां तक अछूतों का सवाल है उनको बराबरी का दरजा नहीं मिला है। एक बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाया गया है। हमारी कम्युनिटी में ऐम० ए० हैं, पी० एच० डी० हैं लेकिन उसका अफसर सवर्ण हिन्दू को रखा गया है। जिन लोगों को दर्द है कि जितनी अच्छी तरह से उनके जाति के लोग काम कर सकते हैं दूसरे नहीं कर सकते। इन अफसरों में कुछ अच्छे भी हैं लेकिन जहां तक हो सके बैकवर्ड बोर्ड के लिये हमारा बैकवर्ड क्लासेज़ का ही अफसर रखना चाहिए। आज कांग्रेस के हाथ में पावर है। वह जिस तरह से चाहती है हमको दबाती है। यहां कई पार्टियों के लोग हैं। जब तक आप उन सब को कानफिडेंस (confidence) में नहीं लेते तब तक यह केवल शो ही है। पांच वर्ष के लिये हरिजनों को यह अलग अधिकार रहा है। मैं पूछता हूं कि पांच वर्ष बाद अछूतों का क्या होगा। पंडित नेहरू हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। वह अछूतों के बारे में बोलते नहीं हैं। वह साउथ अफ्रीका (South Africa) के लोगों के बारे में बोलते हैं। मैं समझता हूं कि हमारे देश में हर एक गांव में उनको साउथ अफ्रीका मिलेगा। वहां अछूतों की बस्तियां अलग हैं। वह साउथ अफ्रीका के लिये रोते हैं, फंड जमा करते हैं। दूसरी तरफ रिफ्यूजीज़ (Refugees) का सवाल देखिये। उनके लिये करोड़ों रुपया खर्च करते हैं लेकिन हम हजारों वर्षों से दबे हुए हैं, हमारे पास मकान नहीं, ज़मीन नहीं हमारे लिए सैनीटेशन (Sanitation) नहीं है, नौकरी चाकरी में हमारा ठीक रिप्रेज़ेंटेशन नहीं है, लेकिन हमारी हालत सुधारने के लिये कोई काम नहीं हो रहा है, कोई यूनीफार्म पालिसी नहीं है। रिफ्यूजीज को मकान मिल गये, नौकरी चाकरी में उनको प्रिफरेंस (Preference) दिया जाता है लेकिन हम जो हजारों वर्षों से गुलामी में पड़े हुए हैं हमको प्रिफरेंस ठीक नहीं दिया जाता। हमको भी बराबरी का दरजा मिलना चाहिए। हम लोगों को कानफिडेंस में लेना चाहिए। हम लोगों ने देश को बचाया है हम देश को बिगाड़ना नहीं चाहते लेकिन हमारी हालत अभी तक ठीक नहीं हुई है। आप कोरिया की बातें करते हैं दूसरे देशों की बातें करते हैं। लेकिन हमारे पास घर नहीं है, हमारे पास पानी नहीं है और हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, पर हमारे लिये आप कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारे लिये कोई प्रावीज़न (Provision) नहीं किया जाता। हम चाहते हैं कि हम लोगों में क ्सरी ऐजूकेशन होनी चाहिये।

बम्बई की सरकार ने शराब बन्दी की है। इससे प्रतिवर्ष १५ करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। और घर घर में शराब बन रही है। कुछ कांग्रेस के ऐम० पी० कहते हैं कि राम राज्य हो रहा है। यह झूठी बात है। आप मेरे साथ चलिये और जांच कीजिये तो आपको मालूम होगा कि हर गांव में दस दस पांच पांच घर पीछे शराब की भट्टी है। ऐसा झूठा प्रचार करने से देश का भला नहीं होगा। आपको सच बोलना चाहिए। गांधी जी सदा सच से काम लेते थे आप को भी सच से काम लेना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि सारे लोग शराबी बन जायं लेकिन इन चार पांच सालों में हमको ६०/७० करोड़ का नुकसान हो गया। अब बम्बई राज्य में अकाल पड़ रहा है। शोलापुर और दूसरे जिलों में अकाल बहुत है। हमारी गवर्नमेंट थोड़ा बहुत कर रही है। आज हमारे महाराष्ट्र गुजरात और करनाटक में लोगों की स्थिति बहुत खराब है। उनके लिए कोई अच्छी तरह से काम नहीं हो

[श्री पी० एन० राजभोज]

रहा है। वहां के लोगों के नौकरी और रोजगार के लिये कुछ ठीक काम नहीं होता है।

मैं एक और बात बताना चाहता हूं कि वहां अछूतों को हिन्दुओं से फसल में से अनाज मिल जाया करता था। लेकिन जब हिन्दुओं के खेतों में कुछ हुआ ही नहीं तो अछूतों को क्या मिल सकता है। उनकी हालत बहुत खराब है। इसलिये मैं गवर्नमेंट को बताना चाहता हूं कि जो बड़े बड़े अफसर हैं और मिनिस्टर हैं वह तो बड़े बड़े लोगों के साथ जाते हैं, पार्टियां खाते हैं, हवाई जहाजों में घूमते हैं और दो तीन दिन दौरा करके आ जाते हैं। अभी राम मूर्ति कमीशन गया था। वह शोलापुर में गये। वहां बड़े बड़े आई० सी० एस० आफिसर मौजूद थे। अगर वे देहात में जाते और देखते कि लोगों को पानी की, खाने की, मकान की क्या तकलीफ है तो उनको सही हाल मालूम होता। बड़े बड़े कमीशन बनते हैं, ऐलाउंस लेते हैं और गरीबों की तरक्की के लिए कुछ नहीं करते हैं। इसलिये मैं अध्यक्ष महोदय यह कहना चाहता हूं कि मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि यह राम राज्य नहीं है राक्षस राज्य है।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : यह अस्थायी है राम राज्य तो बाद को आयेगा।

श्री पी० एन० राजभोज : मुझे इसके लिए बड़ा दुख मालूम पड़ता है। राम राज्य में भी एक शम्बूक नाम के अछूत को इसलिये मार डाला गया था कि वह तपस्या करता था। तो वैसे इस ज़माने में जो कुछ हो रहा है यह मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। इस वास्ते हम अपोजीशन के लोग विरोध करते हैं और आप से कहते हैं हम लोगों को तो कहा गया है कि विलायत में अपोजीशन के लोगों को तनख्वाह मिलती है और उनकी बात गवर्नमेंट वाले मानते हैं। इधर यहां अपोजीशन वालों को जेल में डाल देने की कोशिशें करते हैं, यह क्या बात है?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : (गुड़गांव) : अपोजीशन वालों को यहां भी तनख्वाह मिलती है, सब को मिलती है।

श्री पी० एन० राजभोज वह तो मालूम है, यह तो सैशन में अलाउन्स मिलता है। आजकल जो कुछ हम कहते हैं उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। हर बात में, नौकरी के बारे में, मकानों के बारे में, जो कुछ हम बात कहते हैं उस पर अमल नहीं होता है। अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि यह जो काम हमारे लोगों के बारे में कुछ नहीं होता जिन के बारे में मैं हर वक्त पार्लियामेंट में बोलता हूं, बैकवर्ड क्लास कमीशन का काम ठीक नहीं है, वह कमीशन सिर्फ कांग्रेस पार्टी का है। २५ परसेंट ज़मीन गांव में पड़ी है, लेकिन वह मिलती नहीं है, यह चीजें नहीं होनी चाहियें। जमीन के लिए अप्लीकेशन देने को जावेंगे तो शरणार्थी को मिलेगी, फिर दूसरे नम्बर में बैकवर्ड क्लास वाले को मिलेगी, तीसरे शिड्यूल्ड ट्राइब को मिलेगी और तब हम को। यह क्या हो रहा है? तो पहले जब तक देश में छूआछूत का सवाल है और आर्थिक सवाल ठीक नहीं होता तब तक देश की हालत ठीक नहीं हो सकती। यह हमारे कम्युनिस्ट भाई बैठे हैं, हैदराबाद में क्या है। हम लोगों के पास ज़मीन नहीं थी, तो उन लोगों ने कहा कि चलो आवो, हम ज़मीन देंगे। तो कुछ दे दी होगी। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यही हालत रही तो वह दिन आने वाला है कि सब कम्यूनिस्ट हो जावेंगे। मैं तो नहीं चाहता, हमारे जो

आइडियाज हैं उन में हम तो अभी भी चाहते हैं कि लोकशाही की पद्धति होनी चाहिये, ऐसा ही हमारा ख्याल है ठीक कार्य न हुआ तो हम लोग मजबूर हैं।

एक माननीय सदस्य : सब हालत बदल जायेंगी।

श्री पी० एन० राजभोज : बदल जायगी तब मैं आपको ठीक कहूंगा। लेकिन बदलने का मामला कोई दिखता नहीं है।

मुझे पांच मिनट का समय कृपा करके थोड़ा सा कल दे दें।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, अभी दो मिनट दूंगा।

श्री पी० एन० राज भोज : नहीं, नहीं, पांच मिनट दीजिये। मुझे बहुत कुछ कहने को है और मुझ को अभी और भी सजेशन करने को हैं।

मैंने अभी शिड्यूल्ड कास्ट के बारे में, जो कुछ सजेशन किये हैं, मकान के बारे में उन की आर्थिक हालत के बारे में सजेशन्स किये हैं उन पर अमल करना चाहिये। फिर जो कमिश्नर है तो वह शिड्यूल्ड कास्ट का होना चाहिये। एक सैपरेट मिनिस्ट्री भी अछूतों की बननी चाहिये जब तक यह सैपरेट मिनिस्ट्री नहीं बनेगी, जैसे कि रिफ्यूजी मिनिस्टर तो हमारे जैन साहब बन गये, तब तक ठीक नहीं होगा। जैसे यह रिफ्यूजीज़ की मिनिस्ट्री बन गयी है वैसे ही एक शिड्यूल्ड कास्ट का सैपरेट मिनिस्टर होगा तो उस से हमारे देश का और हमारा भी भला हो जायगा।

एक माननीय सदस्य : श्री जगजीवन राम जी हैं।

श्री पी० एन० राजभोज : लेकिन उन को बेचारों को तो कम्युनिकेशन्स मिनिस्टर बना दिया है। तो जसे दो मिनिस्टर मुसलमान बना दिये हैं एक दो और अछूत ले लें, उस से आप का क्या नुकसान होता है। जब आप का हमारे ऊपर प्रेम है तो आप प्रेम बतलाते क्यों नहीं। जगजीवनराम जी हैं ही, और दूसरे एक डिप्टी मिनिस्टर एक लेडी को आपने कर दिया। वह बेचारी क्या करती, उन को हैल्थ डिपार्टमेंट दे दिया गया। वह उस का क्या करेगी? यह तो अछूतों का सवाल है। मैं चाहत हूं कि शिड्यूल्ड कास्ट के बारे में एक पक्की मिनिस्ट्री बन जाय जिस से हम लोग हर वक्त उनकी तरफ़ से काम कर सकें, उनके पास जा सकें, तो जैसे रिफ्यूजी मिनिस्टर बन गये वैसे यह मिनिस्टर भी होना चाहिये।

फिर इसके वास्ते भी मुझे कहना है कि हम को लीगल एड मिलनी चाहिये। जो आपने हम लोगों के लिये एक डिपार्टमेंट खोला है वह सिर्फ़ शिड्यूल्ड कास्ट के वास्ते होना चाहिये। अमेरिका में जाइये, वहां नीग्रो के लिये कितना काम हो रहा है।

एक सवाल मैं आप के सम्मुख और पेश करना चाहता हूं। मैं काश्मीर में गया था। यह हम लोगों को जो कांस्टीट्यूशन में थोड़ा बहुत मिल रहा है वह पूरी तरह से नहीं है। मेरे पास हमारे डिप्टी होम मिनिस्टर मि० दातार साहब ने एक लिस्ट भेजी है उस में हम को कितना दिया है, क्लास १ में सिर्फ़ २९ आफिसर्स हैं, क्लास दो में ४८ हैं और क्लास सैकिंड नान गजटैड में १०० आफिसर्स शिड्यूल्ड कास्ट के हैं। यह सारे हिन्दुस्तान में हैं। इतनी हमारे ऊपर कांग्रेस की मेहरबानी है कि जहां करोड़ों अछूत लोग हैं उस में इतने हमारे अफसर हैं। मैं आप को यह बताना चाहता हूं कि आजकल हम लोगों के लिये ठीक से काम नहीं होता। रेलवे में डिफेंस में जो रिज़र्वेशन का सवाल

[श्री पी० एन० राजभोज]

है वह हम लोगों को नहीं मिलती, अछूत और बैकवर्ड क्लास के नाम से दूसरे लोग उस में रख लिये जाते हैं।

अब अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट में ही एक बात और आप को कहना चाहता हूं, मैं दूसरी बातें नहीं कहूंगा जिससे आप को रंज हो मैं ऐसा नहीं बोलता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं अभी जम्मू में गया था तो वहां क्या होता है कि हम लोगों की नौकरी रिज़र्वेशन, स्कोलरशिप्स नहीं मिलती हैं। वहां तो पाकिस्तान थोड़े दिनों में होने वाला है।

कई माननीय सदस्य : नहीं होगा।

श्री पी० एन० राजभोज : आपके ख्याल से नहीं होगा, लेकिन ९९ परसैंट मुसलमान कश्मीर में हैं। हम तो किसी के साथ नहीं हैं, हमने तो इंडिपेंडेंट दृष्टि से देखा है कि वहां जैसी मारपीट हो रही है और जुल्म हो रहा है, गोलाबारी हो रही है उस से पता नहीं हालत कहां तक जायगी। अध्यक्ष महोदय जी मेरी प्रार्थना यह है कि जो हिन्दुस्तान में अछूतों के लिये हो रहा है वैसे ही कम से कम कांस्टीट्यूशन में जो कुछ हमारे अछूतों के लिये है वह वहां भी जम्मू में होना चाहिये। इतना ही मुझे बोलना है और मुझे उम्मीद है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर पंडितजी शेख अब्दुल्ला कहेंगे कि अछूतों के लिये भी काम करो। तभी कुछ होगा, नहीं तो देश का भला नहीं होगा। वहां पर चार लाख अछूतों की आबादी है और लोगों की हालत को देख कर मैं आया हूं। तो उस का भी काम होना चाहिए, यह मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं। जैसे गांधी जी ने काम किया, डाक्टर अम्बेदकर ने काम किया, एम० सी० राजा ने काम किया, वैसे काम होना चाहिये।

तो यह जो कुछ मुझे कहना था, मैंने कहा क्योंकि समय बहुत कम है। जो कुछ मैंने कहा है उम्मीद है कि उसको अमल में लाने की कोशिश होगी। इतना बोल कर, अध्यक्ष महोदय आपने जो कुछ मुझे टाइम दिया है उसके लिये आप को धन्यवाद देता हूं। आज के बजट में अछूतों के भले होने के लिये देशमुख साहब ने कोई खास प्रावीज़न रख दिया है यह नहीं है। आप राशनिंग करते हैं वैसा राशनिंग आफ़ हाउसेस, राशनिंग आफ मनी वगैरह होना चाहिये, तो इसके लिये, अछूतों के लिये भी कुछ करो। तभी कुछ भला होगा। नहीं तो देश के बरबाद होने का टाइम आने वाला है। अगर आप हमारा सवाल नहीं उठावेंगे तो हम को आपकी नीति के खिलाफ आवाज़ देश में उठानी पड़ेगी। यह आप को नहीं भूलना चाहिये। मैं जोश में नहीं बोलता हूं। लेकिन कुछ कांग्रेस के पिट्ठू हरिजन खड़े करके उनके बोलने से कि हरिजनों की हालत ठीक नहीं होगी और अच्छा काम नहीं चलेगा। आपको कुछ काम करना चाहिये।

श्री वी० पी० नायर : वित्त मंत्री ने आय-व्ययक को बड़े ही सुन्दर शब्दों में सजा कर देश की वास्तविक स्थिति पर पर्दा डालने का प्रयत्न किया है। अनेक लोगों ने आय-व्ययक की अलग-अलग संज्ञा दी है। एक कांग्रेस नेता ने इसको "धक्का सुरक्षित आयव्ययक" कहा है। मेरे तथा कुछ लोगों के लिये यह धक्का लगने वाला आय-व्ययक था बल्कि मैं इसे "परजीवी" आय-व्ययक तक कह सकता हूं।

इस सरकार ने शक्ति धारण करते ही प्रत्यक्ष करों को घटा कर, अप्रत्यक्ष करों को बढ़ा दिया अर्थात् अमीरों को छूट मिली और गरीबों पर कर भार बढ़ा दिया गया। इसी-

लिये मैं इसे 'परजीवी' आय-व्ययक की संज्ञा दे रहा हूं।

हमारे देश में तमाम नई नई बीमारियां बढ़ती जा रही हैं जैसा कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा ज्ञात होता है। जानवरों की बीमारियां भी बढ़ रही हैं। वित्त मंत्री ने अपने सुन्दर शब्दों के जाल में इस को बिल्कुल भुला ही दिया। उनके कथनानुसार हम लोगों को कोई बीमारी नहीं जान पड़ती। उन्होंने उन बातों को बिल्कुल ही भुला दिया जो उनके विपरीत पड़ती हैं।

कृषि मंत्री, डा० देशमुख ने श्री सी० डी० देशमुख की बात का समर्थन करने के लिये राज्य परिषद् में कहा कि देश में कृषि उत्पादन उन्नति पर है और खाद्यान्न की फसलों में कमी नहीं हुई है। मैं समझता हूं कि वह इससे सहमत होंगे।

डा० पी० एस० देशमुख : मैंने यह कहा था कि जहां तक नक़द फसलों का सम्बन्ध है, उसमें काफी उन्नति हुई है और जहां तक खाद्य फसलों का सम्बन्ध है, इसमें न तो लगातार वृद्धि हुई है और न लगातार कमी ही।

श्री वी० पी० नायर : मैं नहीं समझता कि डा० देशमुख ने श्री भूपेश गुप्त द्वारा दिये गए कुछ आंकड़ों को अस्वीकार क्यों कर दिया यह कह कर कि कुछ सम्भावना ऐसी है कि भारत में कृषि भूमि घटती जा रही है। क्या हमारे यहां राजस्थान में, आधे महाराष्ट्र में, सुन्दर बनों में तथा अब लगभग सभी राज्यों में अकाल क्षेत्र नहीं है?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : क्या मैं पूछ सकता हूं कि माननीय सदस्य के कहने का आशय यह है कि अकाल क्षेत्र प्रति वर्ष बढ़ते जा रहे हैं?

श्री वी० पी० नायर : अवश्य, अवश्य ही, हां इसमें सन्देह ही क्या है?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : निश्चय ही नहीं। प्रतिवर्ष देश के कभी एक भाग में तो कभी दूसरे भाग में अकाल पड़ते रहते हैं। दो वर्ष पूर्व हमारे जिले में ही जैसा कि अब है इससे कहीं अधिक विस्तृत अकाल पड़ा था। बहुत से ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां अकाल नहीं भी पड़ते हैं।

श्री वी० पी० नायर : मैं सभी ऋणों का विरोधी नहीं हूं किन्तु इससे जब देश में भ्रष्टाचार तथा सिद्धान्तहीनता फैलती है, तो निश्चय ही मैं इसका विरोधी हूं। सभी ऋणों का इस प्रशासन द्वारा अपव्यय किया गया है। अपने साम्राज्यवादी पूर्वजों के ऋणों का भुगतान अब आप लोग करने जा रहे हैं और वह भी परोक्ष करों के द्वारा अर्थात् गरीबों से वसूल कर। एक अमरीकन गेहूं ऋण भी है जो भारतीयों के गले में फंदे के समान है, ऋण के समान नहीं। इसके अनुसार हमें बड़ा महगा गेहूं अमरीका से मिलेगा इस अप्रसिद्ध गेहूं ऋण का उद्देश्य अधिक धन पैदा करना था। इस ऋण के अनुसार एक टन गेहूं का मूल्य १० डालर भारत में आकर पड़ता था। जिसमें से लगभग आधा गेहूं अमरीकन जहाज कम्पनियों द्वारा अमरीका ले जाया गया क्योंकि उनका भारत अमरीका व्यापार में एकाधिकार था। यह सौदा हमारे लिये करोड़ों रुपये में पड़ा। अब उस कर्ज का हमें भुगतान करना है जिसमें लगभग २२६ लाख रुपये हमें ब्याज स्वरूप देने हैं। यह है हमारा गेहूं ऋण।

अब मैं कुछ उद्योगों के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा। उद्योग तथा व्यापार पत्रिका के अनुसार ३४ उद्योगों में से १७ उद्योगों में ह्रास चल रहा है और दो यथावत् हैं। फिर भी वित्त मंत्री का कहना है कि हमारे यहां औद्योगिक

[श्री वी० पी० नायर]

समृद्धि है। यद्यपि सरकारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष १९५२-५३ में ४८०० ००० ००० लाख गज़ कपड़ा तैयार हुआ, अर्थात् प्रति व्यक्ति १६.७ गज से कुछ अधिक था, फिर भी हम लोग विदेशियों द्वारा अर्द्धनग्न ही कहे जाते हैं। और आज यह मात्रा प्रति व्यक्ति ९.७ गज़ तक ही रह गई है, तो अब हम तीन चौथाई नग्न कहे जाते हैं। अतः मूल उद्योगों जैसे धातु सम्बन्धी उद्योगों, स्थूल रसायनिक उद्योगों तथा इंजीनियरिंग उद्योगों में उन्नति किये बिना औद्योगिक सम्पन्नता बताना बिल्कुल मूर्खता है। इनमें सुधार किये बिना किसी भी औद्यो गिक सम्पन्नता के सम्बन्ध में कुछ कहना हवा में महल बनाना होगा। ऐसी दशा में मिश्रित बचत की बात करना व्यर्थ है। पिछले दिन भी जैसा कि मैं प्रश्न में पूछ चुका हूं कि छोटे छोटे दियासलाई उद्योग समाप्त होते जा रहे हैं इनका कारण है एकाधिकार। इसके अतिरिक्त अन्य सभी छोटे उद्योग समाप्त होते जा रहे हैं क्योंकि उनमें बड़े उद्योगों से स्पर्धा करने की शक्ति नहीं है। एक बात मुझे और कहनी है कि हमारे देश में करघा उद्योगों तथा रस्सी आदि बटने के उद्योग में संक्रमण काल आ जाने से सैकड़ों हजारों व्यक्ति मृत्यु के मुख में समाते जा रहे हैं। इन के विषय में आश्चर्य है कि सरकार कभी कुछ नहीं कहती।

माननीय टी० टी० कृष्णमाचारी द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ आयोग के प्रतिवेदन का निर्देश करते हुए श्री टी० टी० कृष्णमाचारी ने भी बताया कि रस्सी आदि बटने वालों का जीवन बड़ा संकटमय है। सूत की उत्पादन मात्रा भी घटती जा रही है जिससे करघा उद्योग को उचित मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाता।

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो १३,०००,०००,००० लाख गज़ होता है।

श्री बी० पी० नायर : यदि इतनी मात्रा उपलब्ध है तो हमारे मित्रों की केवल कल्पना में ही वस्त्र उद्योग फले-फूलेगा। किन्तु मेरा कहना है कि भारत का औद्योगिक ढांचा लड़खड़ा रहा है। मैं जानता हूं कि श्री टी० टी० कृष्णमाचारी मेरी इस बात का विरोध करेंगे कि जब ५०० टन रबड़ बिक न सकी तो उन रबड़ के व्यापारियों ने श्री ए० वी० टामस संसद् सदस्य सहित वाणिज्य मंत्री से भेंट करनी चाही थी किन्तु श्री कृष्णमाचारी ने श्री ए० वी० टामस तथा अन्य व्यापारियों से कह दिया कि उनसे कुछ लेने के लिये वह भेंट न कर सकेंगे। यह मुझे कुछ सदस्यों ने व्यक्तिगत रूप से बताया था। मुझे विश्वस्त सूत्र से ज्ञात हुआ है कि मामला प्रधान मंत्री के पास पहुंच गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : इस सब को लिखने की आवश्यकता नहीं है।

श्री वी० पी० नायर: मैं चाहता था कि वाणिज्य मंत्री इसका विरोध करें। यदि यह घटना न हुई होती तो मुझ से अधिक कोई प्रसन्न न हुआ होता। मैं चाहता हूं कि प्रधान मंत्री अपने सभी मंत्रियों यथा शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री एवं खाद्य तथा कृषि मंत्री को बुला कर वास्तविक स्थिति पर विचार करें। इसके अतिरिक्त अकाल तथा भुखमरी पर भी दृष्टि रखनी होगी तभी वास्तविक स्थिति का ज्ञान हो सकेगा अन्यथा नहीं।

इस के पश्चात् सदन की बैठक मंगलवार १० मार्च, १९५३ के दो बजे तक के लिये स्थगित हो गई।